लोक शक्ति परियोजना

विदिशा जिले हेतु सतत् शिक्षा परियोजना का प्रस्ताव

स्रोत —
स्वाध्याहोना.

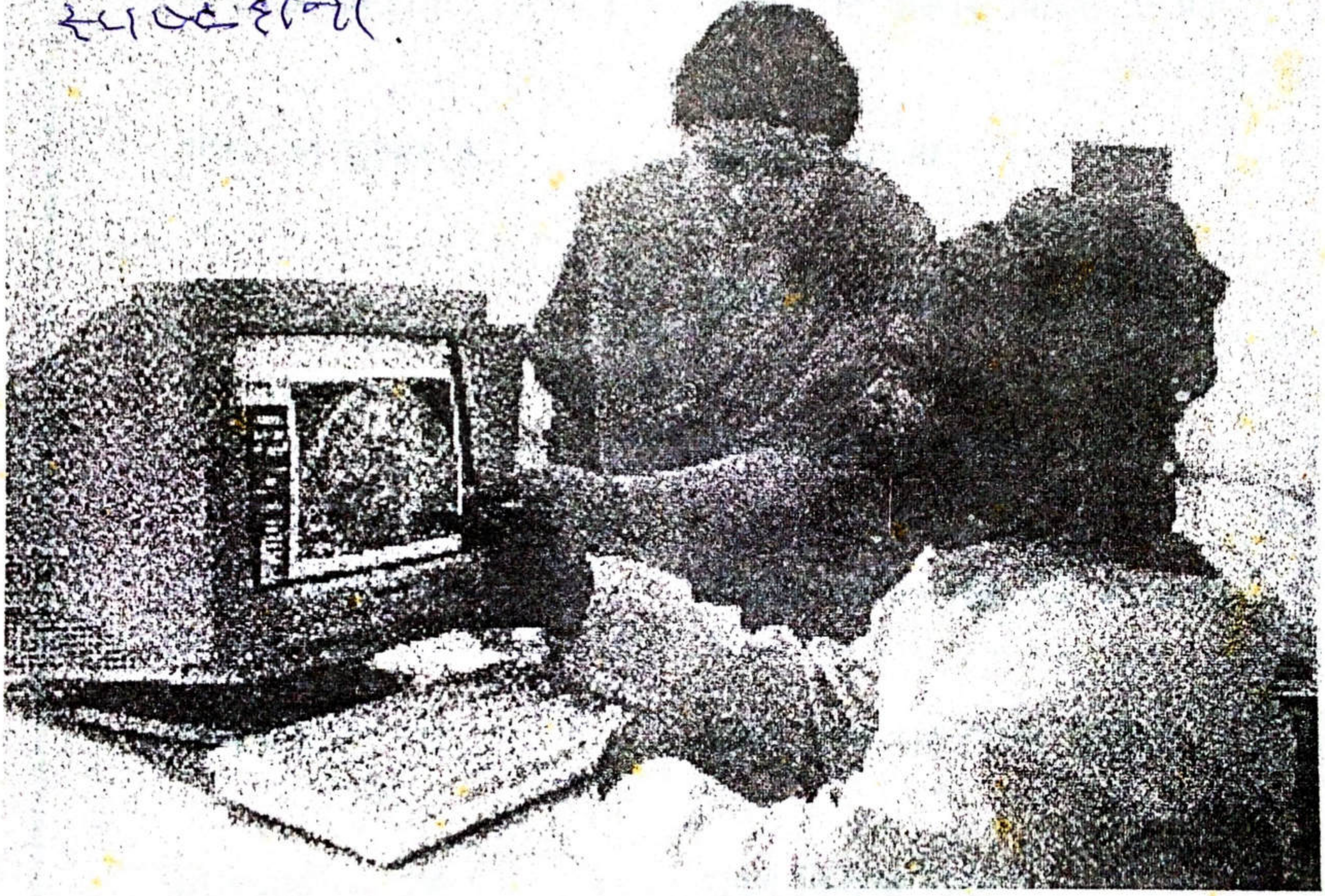

प्रस्तुतकर्ता:

जिला साक्षरता समिति—विदिशा

कलेक्ट्रेट कैम्पस

विदिशा {म.प्र.}

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

क्रियान्वयन संगठन का परिचय

क्रियान्वयन एजेन्सी	:	जिला साक्षरता समिति, विदिशा
संस्था का पता	:	कलेक्टोरेट परिसर, विदिशा (म.प्र.)
संस्था का दूरभाष क्र.	:	(07592) 37490
फैक्स	:	(07592) 37490
ई मेल	:	jskrgsmvds@rediffmail.com
पंजीयन कमांक	:	भोपाल संभाग / 1621 दि. 10.05.93
परियोजना का नाम	:	सतत् शिक्षा परियोजना, विदिशा
परियोजना का क्षेत्र	:	संपूर्ण विदिशा जिला
परियोजना की अवधि	:	5 वर्ष (2001–2006)
फंडिग एजेंसी	:	मानव संसाधन विकास मंत्रालय,नई दिल्ली
परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण	:	जुलाई 2001

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

विषय सूची

अध्याय क्रं.	विषय	पेज नं.
	कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला साक्षरता समिति का प्राक्कथन	3-4
1.	परियोजना का संक्षेपीकरण	5-12
2.	जिले की मूलभूत जानकारी	13-32
3.	साक्षरता अभियान अंतर्गत विगत गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	33-38
4.	परियोजना का उद्देश्य एवं लक्ष्य समूह	39-45
5.	परियोजना की रणनीति	46-57
6.	परियोजना की प्रमुख गतिविधियां (अ) केन्द्र आधारित गतिविधियां (ब) नव साक्षर साहित्य (स) सतत् शिक्षा गतिविधियों में नवाचार • जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम • समतुल्यता उपार्जन कार्यक्रम • आय उपार्जन कार्यकम • व्यक्तिगत रूचि प्रौन्नत कार्यकम	58-1355
7.	जिले की कार्य योजना	136-139
8.	संरचना	140-144
9.	प्रशिक्षण	145-149
10.	मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन	150-154
11.	बजट	155-170
12.	परिशिष्ट 1. सतत शिक्षा आवश्यकताओं का पूर्वानुमान 2. संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र की सूची 3. नवाचार कार्यक्रमों के अंतर्गत हितग्राहियों की सूची 4. विभिन्न श्रेणियों के आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण	 171-175 176-218 219-248 249-251

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

वीरा राणा
आई.ए.एस.
कलेक्टर,
जिला–विदिशा

फोन नं : (आ.) 34520
(नि.) 34530
कार्यालय
जिला दण्डाधिकारी विदिशा

लोक शक्ति पर आधारित सतत् शिक्षा परियोजना

सतत् शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य के लिये है। यह समाज के प्रत्येक वर्ग को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करती है। इस प्रकार सतत् शिक्षा, साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण व व्यापक विषय है। सतत् शिक्षा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन ही वयस्कों को क्रियाशील रूप में साक्षर करेगा तथा भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था का विवेकपूर्ण सदस्य बनाएगा। सतत् शिक्षा ही वास्तव में समग्र सामाजिक शिक्षा है। सतत शिक्षा की योजना की सफलता हेतु आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं का प्रभावी रूप से अनुगमन हो-तथा-प्रभावशाली ढंग से विभिन्न कार्यक्रमों का एकीकरण किया जाये। सतत् शिक्षा कार्यक्रमों को सामाजिक रूढ़िवादिता पर भी प्रहार करना होगा। यह अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि हमारा समाज अनेक रूढ़ियों से ग्रस्त है जहां महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों पर अनेक बंधन है। आज भी माना जाता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अल्प अवस्था में ही विवाह की रूढ़ियों से हम आजादी के पचास वर्षों के उपरान्त भी पूर्णतः मुक्त नहीं हो सके हैं।

उपर्युक्त भावना के अनुरूप ही विदिशा जिलें में संपूर्ण साक्षरता अभियान तथा पढ़ना–बढ़ना आंदोलन के पश्चात सतत शिक्षा परियोजना जिला साक्षरता समिति की सहमति से प्रस्तुत की जा रही है। हमारा मानना है कि प्रत्येक मानव निरंतर सुख और समृद्धि में जीना चाहता है। सही समझकर ही वह सुखी होता है। सही समझ के आधार पर ही वह सही व्यवहार व सही कार्य का निश्चयन कर पाता है। सही व्यवहार से मानव स्वयं सुखी होता है और दूसरों को भी सुखी करता है। सही कार्य से वह स्वयं भी समृद्ध होता है और मनुष्येत्तर प्रकृति (पशु–पक्षी, पेड़–पौधे, हवा–पानी) को भी समृद्ध करता है। इस तरह सही समझ (समाधान) के आधार पर सही व्यवहार (सामाजिकता) और सही कार्य (स्वावलंबन) सुनिश्चित होता है। सामाजिकता से सुख और स्वावलंबन से समृद्धि की निरंतरता होती है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में सही समझ को सुनिश्चित करना तथा उसके आधार पर सामाजिक और स्वावलंबन में जीने के अवसर, साधन एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर इनमें निरंतरता को प्राप्त करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति स्वयं निरंतर, सुख एवं समृद्धि से जी पाता है । इसी आधार पर सतत शिक्षा परियोजना को लोकशक्ति पर आधारित योजना के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

www.madhyaatudarshan.info - Information Portal

सतत् शिक्षा परियोजना के निर्माण के साथ ही साथ परियोजना को प्रारंभ करने हेतु तैयारियां गी प्रारंभ कर दी गई है। इराके अंतर्गत जिला स्त्रोत व्यवितयों को राज्य रांराधन केन्द्र भोपाल द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाकर जिला, विकासखण्ड एवं संकुल स्तर पर कमशः जिला संसाधन व्यक्तियों, विकासखंड संसाधन व्यक्तियों एवं गुरूजी तथा ग्राम समन्वयकों के प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं। जिले में लगभग 150 सेल्फ हैल्प ग्रुप गठित किये जा चुके हैं ताकि सतत् शिक्षा कार्यकम के कियान्वयन में हितग्राही रिवाल्विंग फंड से लाभ उठा सकें। इसके अलावा गुरूजी नव साक्षरों को ब्रिज प्राईमर पढ़ा रहे हैं जिससे कि हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं के लाभ की जानकारी मिल सके तथा उनकी पढने की आदत बनी रहे। पूर्व में स्थापित जनशिक्षण निलयम केन्द्रों की पुस्तकें भी इसी निमित्त पढ़ना–बढ़ना समितियों को दी गई है।

परियोजना प्रस्ताव में संपूर्ण साक्षरता अभियान के नवसाक्षर, पढ़ना–बढ़ना आंदोलन के नवसाक्षर, अर्द्धसाक्षर, शेष बचे निरक्षर व शाला त्यागी बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में 1089 संस्कृति संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र व 154 नोडल संस्कृति संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र खोले जाएंगे। केन्द्र की नियमित गतिविधियों के अतिरिक्त लक्ष्य विशिष्ट गतिविधियों भी संचालित की जाएगी। परियोजना की अवधि 5 वर्ष की होगी। प्रति संस्कृति संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र का व्यय राशि रू. 12,300/– एवं प्रति नोडल संस्कृति संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र का व्यय राशि रू 17,700/– रखा गया है। 5 वर्षों का कुल बजट राशि रू 20,75,71ए930/– है। परियोजना में 5 वर्ष के बाद कार्यकम को स्थायित्व प्रदान करने की रणनीति भी स्पष्ट की गयी है।

हमें विश्वास है कि हम सतत साक्षरता अभियान को इसकी असली भावनाओं के अनुरूप रांचालित कर इराके उद्देश्यों को प्राप्त कर राकेंगे।

इस प्राक्कथन के अनुसार
लोक शक्ति का आधार और
स्वीकृति नाही है होना
आवश्यक है।

(वीरा राणा)IAS
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला साक्षरता समिति
विदिशा (म.प्र.)

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अध्याय – 1

परियोजना का संक्षेपीकरण

अध्याय – 1

परियोजना का संक्षेपीकरण

यूनेस्को द्वारा सतत् शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण हेतु बनाई गई संदर्शिका में सतत् शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है –

"सतत् शिक्षा एक व्यापक संकल्पना है जिसमें सभी सीखने के अवसर हैं और जिसे मूल साक्षरता, शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के अलावा भी समाज के सभी व्यक्ति चाहते हैं या उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं।"

शिक्षा हमारे लोकतंत्र की महती आवश्यकता है। यह शिक्षा ही है जो हमें उस भविष्य की दृष्टि प्रदान करती है, जिसे बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसके निर्माण के लिए हमारे अंदर नैतिक एवं बौद्धिक शक्ति पैदा करती हैं।

साक्षरता अभियान के दो चरण है :

1. बुनियादी शिक्षा
2. उत्तर शिक्षा एवं सतत् शिक्षा

जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान, पढ़ना–बढ़ना आंदोलन के द्वारा लोगों को बुनियादी शिक्षा प्रदान की जा चुकी है। अब साक्षरता का दूसरा चरण इन लोगों को निरंतर अपने ज्ञान का विकास करने का मौका देगा, जिससे कि ये लोग सतत् शिक्षा के माध्यम से स्वयं अपना समाज एवं राष्ट्र का विकास कर सकें एवं व्यक्ति शिक्षा के कम को जारी रखे इसे टूटने न दे। इसी उद्देश्य में साक्षरता मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार सतत शिक्षा परियोजना प्रस्तावित की जा रही है। सतत शिक्षा योजना नवसाक्षरों के अर्जित ज्ञान को स्थाई परिपक्व तथा कियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

सतत् शिक्षा कार्यकम के अंतर्गत् मुख्यतः जिले द्वारा तीन उद्देश्य निर्धारित किए गये हैं।

- साक्षरता आन्दोलन अन्तर्गत् नव साक्षरों द्वारा अर्जित कौशल को बनाये रखना व उसका विकास करना।
- नव साक्षरों तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में साक्षर हुए व्यक्तियों द्वारा जीवनपर्यन्त अध्यन करना।
- आम व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

इस हेतु जिला साक्षरता समिति द्वारा जिले में कुल 1089 सतत् शिक्षा केन्द्र तथा 154 नोडल सतत् शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य समुदाय के प्रत्येक सदस्य को विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना तथा सूचना केन्द्र स्थापित करना होगा। सतत् शिक्षा केन्द्र जहां एक ओर नव साक्षरों तथा बचे हुए निरक्षरों के लिए अध्ययन केन्द्र होगा वहीं दूसरी ओर वह व्यवसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास/सांस्कृति एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा।

लोगों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले हेतु **लोक शक्ति परियोजना** प्रस्तावित की गई है जिसमें मांग के आधार पर निम्न चार प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित होंगे –

1. समतुल्यता कार्यक्रम (Equivalency Programme)
2. आय उपार्जन कार्यक्रम (Income Generating Programmes)
3. जीवन स्तर में सुधार संबंधी कार्यक्रम (Quality of Life Improvement Programme)
4. व्यक्तिगत रूचि को प्रोत्साहन संबंधी कार्यक्रम (Individual Interest Promotion Programme)

जिले में वर्तमान में सतत् शिक्षा कार्यक्रम के परियोजना प्रस्ताव को तैयार करने के निमित्त पढ़ना–बढ़ना आन्दोलन अंतर्गत् साक्षर हुए व्यक्तियों के सर्वेक्षण को आधार मानते हुए यह परियोजना तैयार की गई है। नोडल तथा संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र का आंकलन वास्तविक आधार पर किया गया है जबकि विशिष्ट प्रकार के उपर्युक्तानुसार चार विशिष्ट कार्यक्रम प्रक्षेपित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किए गये हैं, यह कार्यक्रम समस्त नोडल एवं संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र के स्थापित एवं प्रारंभ हो जाने के पश्चात् पुनः सर्वेक्षण कर क्षेत्र की आवश्यकता के मान से निर्धारित किये जायेंगे।

पंचायती राज एवं अन्य विभाग से समन्वय :–

पंचायती राज का उद्देश्य जनता को सत्ता सौंपना है। पंचायतों के गठन का उद्देश्य जनता के लिए जनता का राज स्थापित करना है। ग्राम के लोग मिलकर अपने गांव की साक्षरता के माध्यम से उन्नति, विकास और प्रशासन की स्वयं ही जिम्मेदारी लें। ग्रामीण इलाकों के सभी क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है, ग्रामीण जनता अपनी छोटी–छोटी समस्या अपने स्तर पर सुलझायें तो देश मजबूत बनेगा।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

इस जिले में पंचायती राज के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों को साक्षरता अभियान के अंतर्गत साक्षर करने का प्रयास किया गया है, त्रिस्तरीय पंचायत साक्षरता अभियान के कियान्वयन में यथासंभव सहयोग दे रही है। सतत् शिक्षा अभियान में पंचायत प्रतिनिधि संपूर्ण साक्षरता अभियान की तरह ही बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सतत् शिक्षा कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों निकायों को इस कार्यक्रम को स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रारंभ से ही जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम के कियान्वयन, स्थापना, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन एवं नीतिगत निर्णय लेने में सहभागी बनाया जावेगा। कार्यक्रम के पांच वर्ष बाद पंचायतें एवं स्थानीय निकाय स्वयं इस कार्यक्रम को संचालित करें सुनिश्चित किया जायेगा। सतत् शिक्षा के स्थापना पूर्व जिला साक्षरता समिति इस बावत् पंचायतों से अनुबंध भी करेगी।

शासन के विभिन्न विभागों में सहयोग एवं समन्वय

सतत् शिक्षा के व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली राशि एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि कार्यक्रम की गतिविधियों को विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के सहयोग से संचालित किया जाये, साथ ही इन शासकीय-अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन में उनके नेटवर्क का समुचित उपयोग करते हुए सहयोग लिया जायेगा, जैसा कि रणनीति में समुदाय की भागीदारी, ग्राम शिक्षा समिति का दायित्व, नीतिगत फैसले, प्रेरक व स्थान चयन, केन्द्र का प्रबंधन एवं संचालन की जिम्मेदारी होगी। इसके कार्यों का नियंत्रण ग्रामसभा करेगी। ग्राम सभा द्वारा केन्द्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया जाएगा। जनपद स्तर पर गठित शिक्षा समिति पूरे विकासखण्ड के कार्य की समीक्षा करेगी। यह सतत् शिक्षा कार्यक्रम को आने वाले 5 वर्षों के बाद में पंचायतें स्वयं संचालित करे इस योग्य तैयार करने हेतु ग्रामसभा/ पंचायतों की भूमिका सुनिश्चित की जाएगी।

मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज की परिकल्पना की गई है। इसका कियान्वयन भी 1 जनवरी 2001 से प्रारंभ किया गया है। स्थानीय संस्थाओं को ही सतत् शिक्षा केन्द्र के संचालन की जिम्मेदारी दी जायेगी। इनकी समीक्षा, कियान्वयन तथा इन्हें स्व-पोषित करने के लिए सक्षम बनाया जायेगा। जिला स्तर की बैठक में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समीक्षा करायी जावेगी। आने वाली दिक्कतों एवं कठिन क्षेत्रों/स्थानों का समाधान जिला/ग्राम सरकार द्वारा कराया जावेगा जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं से मानव संसाधन, तकनीक का उपयोग करते हुए विभिन्न विभागों के शेष कार्य को पूर्ण करने का प्रयास होगा।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जिले के सभी विभागों के साथ पूर्ण समन्वय बनाते हुए कार्य किया जायेगा। इनमें विशेष रूप से निम्नांकित विभागों से समन्वय स्थापित किया जायेगा :–

1. जिला ग्रामीण विकास विभाग
2. राजस्व विभाग
3. महिला एवं बाल विकास विभाग
4. शिक्षा विभाग
5. आदिवासी विकास विभाग
6. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
7. स्वास्थ्य विभाग
8. पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग
9. उद्योग विभाग
10. जनशक्ति नियोजन विभाग
11. कृषि विभाग
12. म.प्र.विद्युत मण्डल
13. परिवहन विभाग
14. नगर निकाय
15. पुलिस विभाग
16. पशु पालन विभाग

अर्द्ध शासकीय अशासकीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी :–

1. इस जिले में संचालित रा.गां.शि.मिशन के बी.आर.सी. एवं मिशन से जुड़े कार्यकर्ताओं का उपयोग सतत् शिक्षा के उनके क्षेत्रों के अनुसार सहयोग लिया जायेगा।
2. जिले में संचालित वाटर शेड (जलग्रहण क्षेत्र) के परियोजना अधिकारी, परियोजना समन्वयक, वाटर शेड के सदस्यों का भी उनके अपने–अपने कार्य क्षेत्र में सतत् शिक्षा में सहयोग लिया जायेगा।
3. माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सैकेण्डरी तथा महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं का वातवरण निर्माण, रैलियों, सम्मेलनों आदि में सहयोग लिया जाकर संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र की मॉनिटरिंग मूल्यांकन व अकादमिक सहयोग तथा समतुल्यता कार्यकमों में भागदारी सुनिश्चित की जाएगी।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

4. विदिशा जिले में कई सामाजिक संगठन व समितियां हैं, जिन्हें सतत् शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ा जायेगा, अनेक महिला मण्डल भी यहां सक्रिय हैं, जिनके द्वारा निरक्षर महिलाओं के समूह को प्रेरित कर अभियान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

5. जिले के प्रचलित विभिन्न व्यवसायों के चुनिन्दा संस्थाओं के रिसोर्स परसन का दक्षता विकास कार्यक्रमों में तकनीकी सहयोग लिया जायेगा।

6. जिले में निम्नांकित स्वयंसेवी संगठन व संस्थाएं हैं :—

1. लायंस क्लब विदिशा
2. रोटरी क्लब विदिशा
3. म.प्र.शिक्षक कांग्रेस विदिशा
4. अधिवक्ता संघ विदिशा
5. राष्ट्रीय सेवा योजना विदिशा
6. नेहरू युवा केन्द्र विदिशा
7. मुस्लिम त्यौहार समिति विदिशा
8. जिला सैनिक कल्याण संघ विदिशा
9. भारत ज्ञान—विज्ञान समिति विदिशा

जिला साक्षरता समिति विदिशा की यह मान्यता है कि अधिकांशतः समाज वे ही व्यक्ति निरक्षर हैं जो सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। शिक्षा की जिस प्रकार की पद्धति वर्तमान में प्रचलित है उसका एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। साक्षरता अभियान तथा पढ़ना—बढ़ना आंन्दोलन के अंतर्गत् साक्षर हुए अधिकांश व्यक्ति वे हैं जोकि साक्षर होने के साथ—साथ ही अपने रोजगार के अवसरों तथा जीवन स्तर में सुधार चाहते हैं। सतत् शिक्षा कार्यक्रम जहां उनको एक ओर उनके साक्षरता के अर्जित मापदण्डों को बनाए रखने में सहयोगी होगा वहीं दूसरी ओर वह उन्हें ऐसे अवसर भी उपलब्ध कराएगा जिससे कि वे अपनी वर्तमान आय को अपेक्षित स्तर तक बढ़ा सकें, तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मूलभूत उद्देश्यों के अनुरूप अपनी वंचना के कारणों को समझकर संगठित होकर अपने विकास के लिए कार्य कर सकें । साथ ही राष्ट्रीय मूल्यों यथा राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव तथा स्त्री शिक्षा के महत्व इत्यादि विषयों को एकात्म कर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर उसके विकास में सहायक हो सकें।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जिला साक्षरता समिति द्वारा परियोजना निर्माण के पूर्व जिले के विभिन्न विभागों को उनके योजना मद में प्राप्त राशि की जानकारी लेकर उनकी समीक्षा की गई है तथा यह आंकलन किया गया है कि ऐसे कौन से मद हैं जिनके अंतर्गत् नव साक्षरों को प्रशिक्षणों तथा अनुदानों के माध्यम से लाभान्वित किया जा सकता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जल ग्रहण क्षेत्र मिशन, महिला एवं बाल विकास, वन विभाग, जिला शहरी विकास अभिकरण, वेस्टलेन्ड डवलपमेन्ट इत्यादि अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत् स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जाकर उनके प्रशिक्षण तथा लघु उद्योगों की स्थापना हेतु अनुदानों की व्यवस्था की गई है। जिला साक्षरता समिति द्वारा इस प्रकार की समस्त योजनाओं को चलाने वाले अधिकारियों की एक बैठक की जाकर उनकी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई है तथा उन्हें जिला साक्षरता समिति में भी सदस्य रूप में रखा गया है जिससे कि बजट आबंटन में दोहरापन न हो। जिले की जानकारी में ऐसे विभागों के बजट आबंटनों को भी सम्मिलित कर दर्शाया गया है।

जिले हेतु लिया गया विशिष्ट कार्यक्रम : लोक शक्ति परियोजना

जिला साक्षरता समिति में यह सहमति बनी है कि यद्यपि परियोजना निर्माण एवं प्रस्तुति की दृष्टि से परियोजना के विभिन्न कार्यक्रम अलग–अलग दर्शाए जा सकते हैं परंतु वस्तुतः यह परियोजना विदिशा जिले को इस प्रकार का विशिष्ट अवसर उपलब्ध करा रही है जिसमें नव साक्षरों तथा समाज के अन्य व्यक्तियों हेतु भी शिक्षा, विकास तथा स्वास्थ्य एवं समाज की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को संजोने एवं विकसित करने का अवसर है। इस दृष्टि से यह बात भी स्पष्ट है कि लोगों में विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति समझ बनाना आवश्यक है। समझ के अभाव में व्यक्ति कार्यक्रमों को अपनाते नहीं हैं तथा वे मात्र शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित हो जाते हैं। इसी समझ के चलते ही साक्षरता अभियान सहित अनेक कार्यक्रमों में प्रचार प्रसार हेतु पर्याप्त राशि भी दी गई है। विदिशा जिले में सतत् शिक्षा अभियान को लोकशक्ति योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस योजना अन्तर्गत् एक ऐसे स्वयं स्फूर्त समाज की रचना की जाएगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समाधानित हो, प्रत्येक परिवार स्वावलंबी हो, समाज में अभय हो तथा प्रकृति की समस्त इकाईयों के मध्य परस्पर पूरकता हो । इसी तथ्य को केन्द्र में रखकर पूरा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा ।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जिले में स्थापित किए जाने वाले नोडल एवं संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र की संख्या

विकासखण्ड	गांवों की संख्या	शहरी नोडल सतत् शिक्षा केन्द्र	नोडल सतत् शिक्षा केन्द्र	कुल नोडल सतत् शिक्षा केन्द्र	शहरी सतत् शिक्षा केन्द्र	250 से अधिक आबादी वाले सतत् शिक्षा केन्द्र	कुल सतत् शिक्षा केन्द्र
बारौदा	273	1	25	26	4	200	204
ग्यारसपुर	186	0	18	18	1	121	122
कुरवाई	206	0	17	17	4	153	157
लटेरी	180	1	20	21	1	104	105
नटेरन	180	0	22	22	1	130	131
सिरोंज	271	1	26	27	4	187	191
विदिशा	226	1	22	23	4	175	179
योग	**1522**	**4**	**150**	**154**	**19**	**1070**	**1089**

बजट सारांशीकरण

बजट सारांश

क्रमांक	मद	राशि (रू.)
1	कार्यालयीन/प्रशासनिक, प्रबंधकीय व्यय (नोडल एवं सतत् शिक्षा केन्द्रों के आवर्ती व्यय का 10 प्रतिशत) रु.9538650.00	
	जिले हेतु प्रशासनिक व्यय रुपये 7630920.00	6931000.00
	राज्य हेतु प्रशासनिक व्यय रुपये 1907730.00	1907730.00
	मूल्यांकन	700000.00
	कुल	**9538730.00**
2	नोडल सतत् शिक्षा केन्द्रों के लिए व्यय :	
	(अ) अनावर्ती व्यय	2725800.00
	(ब) आवर्ती व्यय	13629000.00
	योग	**16354800.00**
3	सतत् शिक्षा केन्द्रों हेतु व्यय :	
	(अ) अनावर्ती व्यय	15288900.00
	(ब) आवर्ती व्यय	76444500.00
	योग	**91733400.00**
4	लक्ष्य विशिष्ट कार्यक्रम :	
	सतत् शिक्षा गतिविधियों में नवाचार कार्यक्रम	
	(अ) जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम	**23100000.00**
	(ब) समतुल्यता कार्यक्रम	**29865000.00**
	(स) आय उपार्जन कार्यक्रम	**31700000.00**
	(द) व्यक्तिगत रूचि प्रौन्नत कार्यक्रम	**5280000.00**
	योग	**89945000.00**
	महायोग	**207571930.00**

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अध्याय – 2

जिले की मूलभूत जानकारी

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अध्याय – 2

जिले की मूलभूत जानकारी

जिले का परिक्षेत्र एवं स्थिति –

भारत की स्वतंत्रता पूर्व तक विदिशा जिला ग्वालियर स्टेट का एक भाग था, उसके बाद यह मध्य भारत का जिला बनाया गया। वर्तमान विदिशा जिले का गठन पांच भूतपूर्व रियासतों क्रमशः ग्वालियर, टोंक, हैदरगढ़, मोहम्मदगढ़ एवं कुरवाई के क्षेत्र सम्मिलित कर हुआ है।

यह जिला 23^0 21′ से 24^0 28′ उत्तर अक्षांश एवं 77^0 15′ से 78^0 18′ पूर्व देशान्तर के मध्य मालवा के पूर्वी भाग में स्थित है। जिले के दक्षिण भाग में जिला मुख्यालय के दो किलोमीटर दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है। विदिशा जिले में सात तहसील एवं सात ही विकासखंड हैं, विदिशा, ग्यारसपुर, नटेरन, बासौदा, कुरवाई, सिरोंज एवं लटेरी हैं। विदिशा जिला मुख्यालय बम्बई–दिल्ली मध्य रेलवे लाईन पर स्थित है। यह मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से 54 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जिले में कुल 1610 ग्राम हैं इनमें से 108 ग्राम जनसंख्या विहीन हैं। जिले का कुल क्षेत्रफल 7371 वर्ग किलोमीटर है। जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का 15.64 प्रतिशत वन क्षेत्र है। विदिशा जिले की सीमाएं उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिशा में गुना जिले, पूर्व दिशा में सागर जिले, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले तथा दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में भोपाल जिले से लगी हैं।

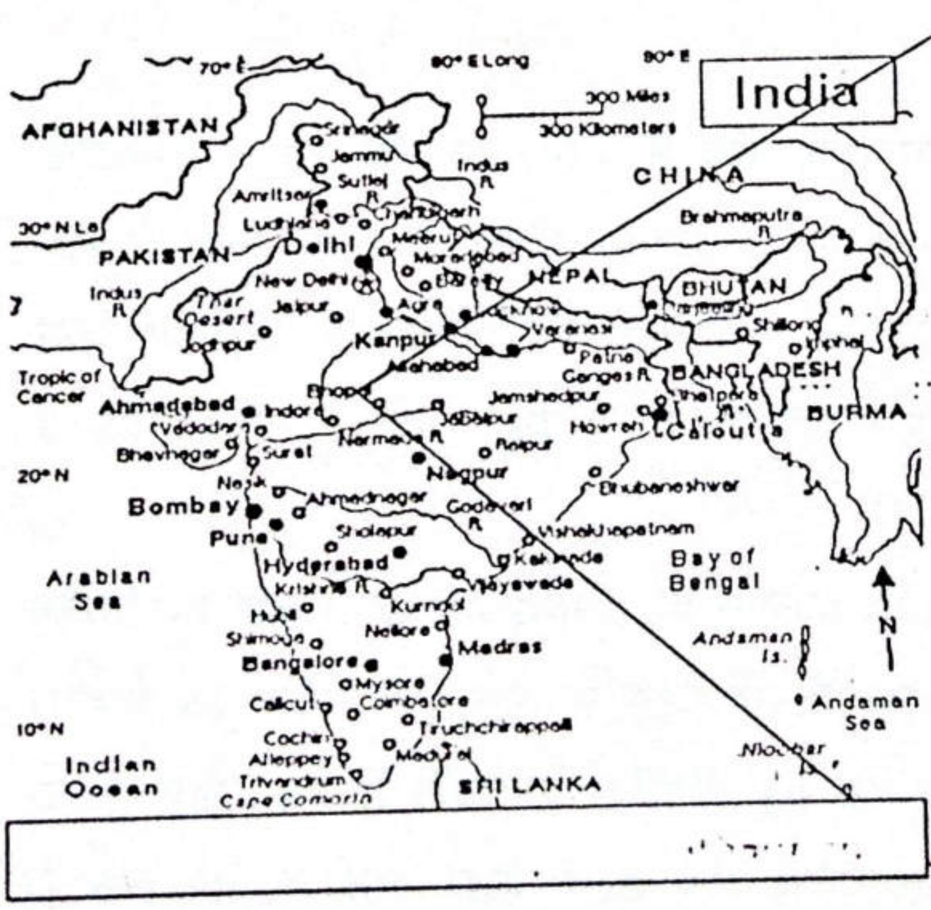

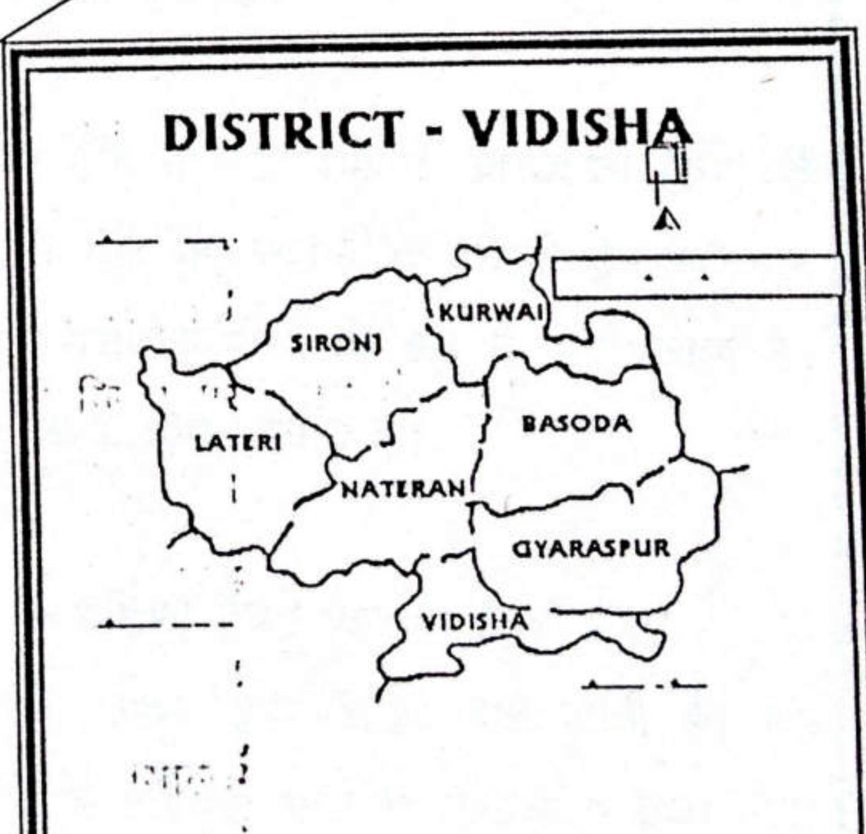

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

भौगोलिक स्थिति –

विदिशा जिले का अधिकांश भाग समतल है, कुछ भागों में असमतल पठार एवं टीले भी पाये जाते हैं। यह जिला मुख्यतः तीन नदी कछारों में बंटा हुआ है, जिसमें अधिकांश 87 भाग बेतवा नदी, 8 प्रतिशत भाग कावेरी सिंध एवं 5 प्रतिशत भाग लोअर चम्बल नदी के कछार में है। जिले की प्रमुख नदी बेतवा नदी इसकी सहायक नदियां बीना, बाह्य, हलाली, कैथन, केवटन, नरेल, नेवल एवं सगड़ नदी है। जिले की पिछले दस वर्षों (1987–96) वर्षों की वर्षा का औसत 1134 मिली मीटर आंकी गई है। जिले में समुद्र सतह से अधिकतम् ऊँचाई 576.52 मीटर विकासखंड लटेरी के ग्राम बैरागढ़ में स्थित है, जबकि न्यूनतम् ऊँचाई 396 मीटर विकासखंड कुरवाई के ग्राम इंसाखेड़ी में स्थित है।

भू–भौमिकी संरचना –

विदिशा जिले की भूगर्भीय संरचना को मुख्यतः तीन भागों में दर्शाया जाता है, जो कि निम्नानुसार है –

(1) जलोढ़क

(2) लेटराइट तथा

(3) अन्त्राट्रैपीय संस्तरों सहित दक्षिणी ट्रैप (मालवा ट्रैप)

(1) जलोढ़क – जलोढ़क विशेषतः बेतवा, सागर, बैस आदि सरिताओं के तटवर्ती खेत्र के एक बड़े भाग में पाया जाता है। जैसा कि इसरावर, बासौदा, इमिलिया, गरला आदि के पास देखा जाता है, यह मुख्यतः पीली या धूसरी–भूरी बलुई मिट्टी से बना है तथा इसमें कंकड़ का अनुपात अधिक होता है।बेतवा नदी के किनारे क्षेत्र के उत्तरी भाग में उसमें प्रायः विलफ खड़े कटान पाये जाते हैं। गिरोद के पास जलोढ़क लगभग 15 मीटर मोटा है।

(2) लेटराइट – यह कतिपय स्थानों में कुछ ऊंची उच्च ट्रैपी या पहाडियों के आच्छादन (कैप) के रूप में पाया जाता है, किन्तु सामान्यतः जलोढ़क से घिरे हुए स्थानों में दक्षिणी ट्रैप की कम ऊंची पहाड़ियों को आच्छादित करने वाले लोहमय कोशिकीय शैलों के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः सड़क बनाने की मिट्टी के रूप में किया जाता है।

(3) अन्त्राट्रैपीय संस्तरों सहित दक्षिणी ट्रैप (मालवा ट्रैप) – दक्षिणी ट्रैपन (मालवा ट्रैप) जिले के लगभग 88 प्रतिशत भू–भाग में (ज्वालामुखी चट्टाने) डेकन ड्रेप वेसाल्ट पाई जाती है। शेष उत्तरी पूर्वी, भाग में लेटेराईट, दक्षिर्णी पूर्वी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में सेन्डस्टोन तथा जिले के मध्य भाग में बहने वाली बेतवा नदी के किनारों पर (एल्युवियल) कछारी मिट्टी पाई जाती है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जिले में प्राप्त होने वाले खनिज।

यह जिला निर्माण कार्यों में उपयुक्त होने वाली सामग्री का विपुल स्त्रोत है। जिले के गंजबासौदा रेल्वे स्टेशन से 58 किलोमीटर दूर लगभग 50 हजार टन चूना पत्थर का क्षेत्र है, जिसकी मौटाई 8 मीटर है। सिरोंज तहसील के कोंकरगढ़, ईशरवास तथा कोटरा के समीप एल्यूमिनियम का अयस्क लेटेराईट पाया जाता है। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में विंध्य प्रकार का फर्शी, पत्थर पाया जाता है। कुरवाई के करीब के स्थानों में सफेद मिट्टी तथा बिजरोटा में बेतवा के किनारे सिलेडोनाईट तथा क्लोरो फैईटाईट से बना हुआ ग्रीन अर्थ पाया जाता है। चंदेरी क्षेत्र में पयूलर्रा अर्थ पाया जाता है।

जिले में इमारती सामग्री का अक्षय भण्डार है। महत्वपूर्ण खनिजों का विवरण नीचे दिया गया है :-

चूने का पत्थर

गंजबासौदा रेल्वे स्टेशन से 58 कि.मी. पर स्थित अंतराट्रैपीय चूना-पत्थर का निक्षेप (भंडार) अनुमानतः 50,000 टन का है, जो एक एकड़ के क्षेत्र में फैला है तथा औसतन 8 मीटर मोटा है। चूने का यह पत्थर सूक्ष्म कणिक, संहत तथा हल्के काले या धूसर रंग का है। अतीत में निक्षेप की खुदाई स्थानीय उपयोग के लिए चूना प्राप्त करने के लिए की गई है।

एल्युमिनी बहुल लेटराइट के अनेक पृथककृत बर्तुलाकार समूह कोंकरगढ़ तथा ईसरवास के पास तथा पुनः सिरोंज संभाग के कोटरा तथा आगरा के पास पाये जाते हैं, जो विखंडित तथा पेलेढी लेटराइट से पूर्ण हैं।

विन्ध्य बलुआ पत्थर

भारी मोटाई वाले ऊपरी विन्ध्य बलुआ-पत्थर जिले के एक बड़े भाग में आच्छादित है। इन बलुआ पत्थरों के रूप में सर्वोत्तम इमारती सामग्री प्राप्त होती है और अनेक स्थानों में खोदकर निकाला जाता है। अधिकांश खदानें कैमूर या रीवा बलुआ पत्थरों के क्षेत्रों में है। कैमूर बलुआ पत्थर सामान्यतः सबसे मजबूत तथा टिकाऊ होता है। सामान्यतः इसका उपयोग भारी भरकम संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। रीवा परत का बलुआ पत्थर अपेक्षाकृत मृदु होता है, अतः इसका उपयोग बारीक नक्काशी के लिए किया जाता है और परिवहन सुविधाओं की दृष्टि से भोपाल संभाग के नक्काशीकार सुविधाजनक स्थिति में है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

बेसाल्ट

दक्षिणी ट्रेप बेसाल्ट का उपयोग सामान्य इमारती पत्थर के रूप में मुख्यतः ग्रामों में झोपड़ियों के लिए तथा कभी–कभी नींव भरने के लिए किया जाता है। भली–भांति गढ़े हुए खण्डों को प्राप्त करने की कठिनाई के कारण यथा व्यवहार इस शैल के उपयोग से बचने की प्रवृत्ति है।

गिट्टी

इसका मुख्य स्त्रोत दक्षिणी ट्रेप है। उपयोग में लाये जाने वाले अन्य शैल हैं– लेटराइट तथा विन्ध्य बलुआ पत्थर।

मृत्तिका

सफेद मृत्तिका कुरवाई के पास पायी गई बताई जाती है। लोहे के जंग अभिरंजनों के कारण मृतिका के रंग में स्थान–स्थान पर काफी भिन्नता है।

हरी मिट्टी

हरी मिट्टी सामान्यतः दक्षिणी ट्रेप–क्षेत्र में पायी गई बतायी जाती है। यह बिजरोटा के पास बेतवा नदी के किनारे बहुतायत से पायी जाती है। यह मध्य रेल्वे के बरेठ रेल्वे स्टेशन से लगभग 1.6 कि.मी. पर है। हरी मिट्टी, अति स्फोटगर्ती ट्रेप की गुहिकाओं में पाये जाने वाले हर खनिजों (सेलाडोनाइट तथा क्लोरोफाइट) में परिवर्तन का परिणाम है। इसी तरह की हरी मिट्टी जोबर के पश्चिम में परासिया नदी के संतर में भी पायी गई बतायी जाती है।

मुत्तानी मिट्टी

यह चंदेरी क्षेत्र में पायी जाती है।

लौह–अयस्क

जिले में अति लोहमय संयोजन का लेटराइट पाया जाता है। देशी भट्टियों के लिए लोह अयस्क के स्त्रोत के रूप में अनेक सीनों में लेटराइट खदानों का उपयोग किया गया था।

भीम जल

अब मृदा–जल–विज्ञान संबंधी समान्य परीक्षण के लिए जिले को दक्षिणी ट्रेप तथा विन्ध्य ट्रेप में विभक्त किया जा सकता है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

दक्षिणी ट्रेप क्षेत्र

भूमिगत जल की अच्छी पूर्ति दक्षिणी ट्रेप क्षेत्रों में हमेशा से एक समस्या रही है। सरन्ध्र अंतराट्रेपीय संस्तरों में यह अधःस्थ शेलों में, जहां ट्रेप की संस्तर विरल हो, पर्याप्त भीम जल मिलने की संभावना होती है। शैल ही में जल का संचयन उसमें हुए विदरों के स्वरूप तथा आवृति, डाइकों की उपस्थिति और मुख्यतः उनमें हुए अपक्षय तथा विघटन की मात्रा पर निर्भर करता है।

शैल के अप्रवेश्य स्वरूप के कारण संचयन जलाशयों के सफल होने की संभावना होती है, जो स्थानीय स्थलाकृति तथा वर्षा पर निर्भर करती है।

मनोरंजन एवं त्यौहार

विदिशा जिले में सामाजिक संगठन सामुदायिक आधार पर होली, रंगपंचमी, मकर संकाति आदि त्यौहार मनाते हैं। उनका उत्साह तथा भाईचारे की भावना को देखते ही बनती है। प्रत्येक छोटे ग्राम में संपूर्ण ग्रामवासी इन सामाजिक–धार्मिक उत्सवों में एकीकृत इकाई की तरह भाग लेते हैं। सिरोंज में कठाली, हाजीपुर, कठला क्षेत्रों में गठित त्यौहार–सभायें है, जो दशहरा, रंगपंचमी आदि त्यौहार सामूहिक रूप से मनाती है।

तीर्थस्थान एवं यात्रायें

दिसंबर माह में लटेरी नगर में आयोजित लटेरी मेला 25 दिनों तक चलता है। यहां के महत्वपूर्ण धार्मिक मेलों में राजघाट बारह (बासौदा तहसील) में जनवरी में 15 दिवसीय संक्रात मेला, बासौदा मण्डी (बासौदा तहसील) में दिसंबर/जनवरी में 15 दिवसीय रामलीला मेला, ग्यारसपुर (विदिशा तहसील) में जनवरी में 12 दिवसीय रामलीला मेला, घटवार (सिरोंज) में मार्च–अप्रैल में 9 दिवसीय नवरात्रि मेला तथा जयपुर में फरवरी/मार्च में 7 दिवसीय शिवरात्रि मेला उल्लेखनीय है। बारनखेड़ी (बासौदा तहसील) में जून/जुलाई में जगदीश रथयात्रा तथा मानोरा (विदिशा) में जून में 2 दिन जगदीश मेला लगता है, जिनमें लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। सिरोंज में जनवरी/फरवरी में 3 दिन तक लगने वाले जैन मेले का यहां विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। सिरोंज से लगभग चार मील दूर स्थित निसाई, सेमलखेड़ी, ग्राम तरण पंजी जैनों का प्रमुख तीर्थ है, जहां बसंत पंचमी के पर्व पर दूर तथा पास से स्थानों से लोग बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। सिरोंज में नीलकंठेश्वर मंदिर के निकट "गनपुरी बाग" के पास एक वार्षिक मेला लगता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में लिंग–पिंडी इस प्रकार प्रतिष्ठित की गई है कि सूर्य की प्रथम किरण इसका स्पर्श करती है, भले ही सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायण।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सामूहिक नृत्य तथा उत्सव

दशहरा त्यौहार के पूर्व नवरात्रि के अवसर पर रामलीला करने वालों को आमंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार के अन्य सामूहिक उत्सव अधिकांशतः मुख्य त्यौहारों के आसपास आयोजित होते हैं। ग्रामों में उत्सवों पर रस लेंगी, चाचड़ तथा राई जैसे लोक नृत्य आयोजित किये जाते हैं। ढोलक, मंजीरा, ढप, झांझर तथा घुंघरू, ऐसे सामान्य वाद्य यंत्र है, जिनके संगीत पर सामान्यतः ये लोकनृत्य तथा गीत दर्शकों के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं।

राजा भोज के समय की जिले की समृद्ध ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि लावण्य सुंदरी नामक युंदर, शास्त्रीय गायिका तथा राई नर्तकी इसी क्षेत्र की थी। राई इस क्षेत्र का विशिष्ट लोकनृत्य है, जो बेड़नियों द्वारा किया जाता है और सामान्यतः किसी भी त्यौहार या विवाह आदि के अवसर पर इसका आयोजन होता है। रंग बिरंगे वस्त्र से सजी स्त्रियां घूंघट डाले मशालों की रोशनी में राई नृत्य करती है। पांच से आठ वाद्य यंत्रों के साथ दादरिया तथा कहरवा ताल पर नृत्य वास्तव में धीमीलय तथा संगीत के साथ आरंभ होता है और क्रमशः तेज होता चला जाता है। इनके साथ गाये जाने वाले गीत सामान्यतः रूमानी किस्म के तथा प्रश्नोत्तर रूप में होते हैं :–

हो हीरा पन्ना की खान,
मोरी बिंदिया में हीरा जड़ाय दे।
(मेरे लिए हीरा लाओ और उसे मेरी बिंदिया में जड़वा दो)
गोरी तोपे जियरा लुभाय,
नेक नैन से नैन लड़ाय ले।
(तुम बड़ी लुभावनी हो, आओ आंखों से आंख मिला लो)

प्राचीन उद्योग

हथकरधा बुनाई तथा रंगाई तथा छुपाई, बढ़ई गीरी, लुहारी, चमड़ा, कमाई तथा जूते बनाने, लाख की चूड़ियां बनाने, दरी तथा ऊनी कंबल बनाने आदि सभी परंपरागत उद्योग अभी भी जिले में चल रहे हैं। जिले की अर्थव्यवस्था में जहां कृषि की प्रधानता है, ये सभी उद्योग अस्तित्व में है और ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि बासौदा के आजम तथा उदयपुरा की लाला पत्थर की कुण्डियां स्थानीय रूप से अधिक प्रसिद्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, विदिशा में भवन निर्माण भी महत्वपूर्ण था। चूना पत्थर कार्य तथा बलुई पत्थर के संबंध में यह कहा जाता है कि भेलसा, ग्यारसपुर तथा कई अन्य रथानों में विद्यमान भवनों रो इरा बात की पुष्टि हो जाती है कि पुराने जमाने से ही उनका व्यापक उपयोग किया जा रहा था।

सिरोंज जो कि आजकल विदिशा जिले की एक तहसील है, प्राचीन समय में अपने उद्योगों तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। अकबर के रामय में सिरोंज अपनी रामृद्धि के शिखर पर था और वह दिल्ली से दक्षिण जाने वाले मार्ग पर एक प्रमुख व्यापार केन्द्र था। सिरोंज उत्कृष्ट वस्त्रों के निर्माण के लिए तथा अपने रंगीन छपाई तथा रंगीन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था, जिनका उल्लेख सुप्रसिद्ध आईन–ए–अकबरी में तथा फ्रांसिसी ज्यां बेप्टिस्ट टेव्हर्नियर के यात्रा वर्णनों में मिलता है, जो 17 वीं शताब्दी में भारत आया था।

सत्रहवीं शताब्दी में सिरोंज होकर गुजरने वाला सूरत–आगरा मार्ग भी बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि उत्तरी भारत के समस्त उत्पाद सूरत बंदरगाह को इसी मार्ग से भेजे जाते थे। एक फ्रांसिसी जौहरी, जिसने भारत की यात्रा की थी तथा पीटर मण्डी ने इस मार्ग पर स्थित कई व्यापार केन्द्रों का उल्लेख किया है। बुरहानपुर, इछावर तथा सीहोर से गुजरकर यह मार्ग सिरोंज पहुंचता था, जो कि इस काल में अपने छपे हुए वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था।

"मुगलसूबों" में गुजरात के बाद मालवा, औद्योगिक दृष्टि से प्रथम श्रेणी का था। अबुल फजल ने लिखा था कि यहां महीन पोत के वस्त्र बुने जाते थे", किन्तु एक अन्य पुरतक रो विगत काल में सिरोंज के वस्त्र उद्योग की भव्यता की पूरी जानकारी मिलती है। सिरोंज में एक प्रकार की मलमल बनाई जाती है, जो इतनी महीन होती है कि उसे शरीर पर पहन लेने पर भी त्वचा इरा प्रकार दिखाई देती है, मानो शरीर पर कुछ पहना ही न गया हो। व्यापारियों द्वारा उसका निर्यात करने की अनुमति नहीं है तथा सूबेदार उरो मुगल सम्राट के के अंतपुर के लिए तथा प्रधान मुसाहिबों के लिए भेज देता है। इसी कपड़े से सुल्तान तथा बड़े–बड़े सामंतों की पत्नियां गर्मी में अपने लिए कमीजें तथा वस्त्र बनाती है।

यह क्षेत्र अपने रंगीतन वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जिसका उत्पादन वहां विपुल मात्रा में होता था। इसे छींट कहा जाता था और वह विदेशों को भी निर्यात किया जाता था। ये कपड़े अनेक रथानों पर बनाये जाते थे, किन्तु सिरोंज में बने और छपे कपड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। यह कहा जाता था कि सिरोंज में रंगाए गये कपड़े न केवल चित्ताकर्षक दिखाई देते थे, बल्कि उनके रंग जितना उन्हें धोया जाता था, उतने ही सुन्दर लगते थे। कहा जाता है कि बैस नदी के मटमैले पानी में धोए जाते थे। मालवा में बनी छींट विपुल मात्रा में फारस को निर्यात की जाती थी, जहां उसका उपयोग सामान्य

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जनता द्वारा अपने वस्त्र, पलंग पोशों या मेजपोशों के लिए किया जाता था। वह वहां इतनी लोकप्रिय थी कि सिरोंज के निर्माता उसे उस स्थान के लोगों की रूचि अनुरूप बनाया करते थे। वह तुर्की को भी निर्यात की जाती थी। ये छोंट 20 से 60 रूपये गठ्ठे या उसके लगभग बेची जाती थी। सिरोंज में विभिन्न रंगों के फूलदार वस्त्र बनाए जाते थे।

विदिशा का ऐतिहासिक परिचय :–

आधुनिक विदिशा परंपराओं एवं संस्कृतियों की जिस कोख में जन्मा है, वह अपना गौरवशाली अतीत लिए हुए है। कला यहां पूजी जाती रही है, समृद्धि यहां की चेरी रही है, सुन्दरता विश्व विख्यात रही है वही रमणीयता ने अच्छे–अच्छों की तपस्या भंग की है। इसी नगरी में जन्मी है, कई प्रणय गाथायें, यहीं से गया है संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश एवं इसी भूमि ने कालिदास के मेघ को कुछ क्षण रूकने के लिए आकर्षित किया है। यही वह यश तीर्थ है, जो एशिया से आने वाले उज्जयिनी के मार्ग पर मध्य रेल्वे के देहली–मुंबई मार्ग पर भोपाल–बीना स्टेशन के मध्य सदियों से अपनी पुराकथाओं का कोष लिए आज तक अपने वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है। पाटीलपुत्र और काशी से मालवाजाने वाले कारवां विदिशा होकर जाने में ही स्वयं को धन्य मानते थे। पूर्व से पश्चित समुद्र तट का मार्ग भी विदिशा का अनुग्रही था। अपनी इसी विशिष्ट दिशा के कारण बदलते इतिहास के साथ यह नगर "विदिशा" पुकारा गया। प्रसिद्ध सांस्कृतिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान का पर्याय होकर प्राचीन नगरीय वैदिश, विदिसा, बेसनगर, विश्वन्नगर, वैश्यनगर, भेलसा तथा भिल्लस्वामीपुर आदि के नाम से विख्यात यही प्रथित विदिशा नगरी थी, जिसे विष्णु सहत्रनाम भी वैष्णव धर्म से जोड़ता है।

ईसा पूर्व द्वितीय शती में विदिशा शुंगों की राजधानी रही। दर्शार्णों की महिला मंडित नगरीय विदिशा सातवाहनों, क्षत्रपों तथा नागों के बाद गुप्तकाल तक राजनैतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केन्द्र बनी। रामायण, महाभारत के पुराणों तक वैभवशालिनी विदिशा का भार शत्रुध्न के पुत्र सुबाहू को मिला। इतिहास गवाह है, ईसा के जन्म से प्रायः तीन सौ साल पहले घटी उस घटना का जब इसी विदिशा में बिन्दुसार पुत्र अशोक ने उज्जयिनी जाते हुए नगर श्रेष्ठि देव से उसकी कन्या देवी का हाथ मांगा था। इस देवकन्या से जन्मे महेन्द्र और संघमित्रा जिन्होने तथागत के धर्मघोष का पौधा बोधिवृक्ष के रूप में लंका में रोपा। बौद्ध धर्म का ऐसा अनूठा प्रसार देश की सीमाओं से सुदूर अंचल तक इतिहास में न कहीं देखा, न कहीं सुना।

देश के सांस्कृतिक इतिहास में विदिशा के मनोरम परिवेश में ही चंद्रपीड़ एंव कादम्बरी की प्रणय कथा, पुण्डरीक महाश्वेता के प्रेम प्रसंग तथा वह विशाल स्वयंवर जिसमें वैशाली नरेश अविक्षित ने यहां

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

की कन्या का वरण किया प्रेरक संस्मरण के रूप में यहां की माटी की गंध में समा गये हैं। वहीं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आज भी विदिशानगरी मौर्य सम्राट अशोक, शुंग नरेशों, शक–क्षत्रप शासकों, नाग–गुप्त नृपतियों और परमार नरेशों की कलात्मक एवं धार्मिक सहिष्णुता की ऋणी है।

सांस्कृतिक चेतना में विकासक्रम में इस पुरातन नगरी के पास कथा–कहानियों का अनंत भंडार है। सम्राट अशोक के पावन परिणय प्रसंग और आदर्श वैवाहिक जीवन का अंकुरण इसी भूमि पर हुआ था। विदर्भ की राजकुमारी मालविका का वरण भी यहीं के शुंग नरेश अग्निमित्र ने किया था। इतना ही नहीं चंद्रगुप्त–ध्रुवदेवी की अनूठी परिणय गाथा की धुनों पर वेत्रवती की लहरें उनकी मनोदशा बि भी उजागर करती प्रतीत होती है। यहां ब्राम्हण जैन तथा बौद्धत्रद धर्म का प्रसार वास्तुशिल्प के माध्यम से देखा जा सकता है। जैन धर्म का समुचित विकास एवं प्रसार विदिशा के राजा रामगुप्त के समय में हुआ। इसकी मुद्राओं पर गरूड़, वृषभ, सिंह, अभिप्राय अंकित है। विदिशा की तीन तीर्थकर प्रतिमायें वहां जेन धर्म की लोकप्रियता का संकेत देती है। इसी पवित्र नगरी में जैन धर्म के दसवें तीर्थकर भगवान शीतलनाथ के तीन कल्याणक होंने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

विदिशा की महिमा यहां तक बढ़ी की पश्चिमी पंजाब और सीमा प्रांत के ग्रीक राजा न केवल राजनैतिक संबंधों की दृष्टि से वरन् 'धर्मशरण' के उद्‌घोष से प्रभावित होकर यहां खिचें चले आये। यहां तक कि शुंगराज कोत्सीपुत्र भागभद्र की राजसभा में यवन राजा अंतलिकित का राजदूत हेलियोदोरस तक्षशिला का राजकाज छोड़कर यहां की धार्मिक परंपराओं के आगे नतमस्तक हो गया यहीं वह जगह है जहां यवन राजदूत भागवत धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि खुद–ब–खुद वैष्णव धर्म का होकर रह गया। बेसनगर का गरूड़ स्तंभ इसी यवनदूत ने विदिशा के वैभव को जीवित रखने के लिए विष्णु के यशोगान के निमित्त स्थापित किया। बाईस शताब्दियों से आज तक सुरक्षित बेसनगर का यह स्तंभ वसुदेव की पूजा का प्राचीनतम आदर्श है। जब कभी राहगीरों, सैलानियों तथा नागरिकों की दृष्टि स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख 'देव देवम वासुदेवम गरूड़ध्वजो अयं कारिते' पर जाती है, विष्णु का विराट रूप, सृष्टिकर्ता देव की स्तुति उभरकर वासुदेवाय: नमः का उच्चारण कर उठती है।

विदिशा को पूरी तौर पर जानने के लिए शुंगकालीन भरहुत के विशाल स्तूप को जानना आवश्यक है। इस स्तूप के निर्माण में विदिशा के नागरिकों का भरपूर सहयोग मिला। भरहूत स्तूप की प्रस्तर वेदिकाओं पर उन दानकर्ताओं के नाम अंकित है जो विदिशा के ही संभ्रात नागरिक थे। वेदिका फलकों पर उत्कीर्ण यक्ष–य्रक्षिणियों की आकृतियां, लोक देवता, वानस्पतिक आलेखन तथा तोरणों पर अंकित मकरमुख शुंग कालीन आंचलिक देशना, प्रवृत्तियों से प्रभावित प्रतीत होते है। इसी श्रृंखला में पांचवी सदी ईसा पूर्व की बेसनगर की महाकर्षिक यक्षी प्रतिमा तत्कालीन शिल्प का अप्रति आदर्श बनी।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

विदिशा के युग–युगीन वैभव में एक अनूठा अध्याय गुप्तकाल में उकेरी गई। उदयगिरी की बराह विष्णु वाली गुफा ने जोड़ा। मौर्यकाल से जिस धार्मिक गुप्तकाल में सम्राट चंद्रगुप्त के संविविग्राहक मंत्री शाब ने दशह विष्णु के मूर्त्तन द्वारा जीवित रखी। उदयगिरी गुफा लेख में वह संधिविग्राहक कहता है – *भक्त्या भरगवतरशम्भोर्गुहामेता मकारयत्*। भगवान शंभू की भक्ति के कारण इस गुफा निर्माण करवाया गया।

भिल्लस्वामिन (सूर्य) की व्यापक पूजा का ही प्रमाण तो है इसका प्राचीन नाम भिलसा (भेलसा)। परमार नृपनरवर्मन की पत्नी विजया के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है यह नगर। यहां का बीजा मंदिर, हेलियोडोरस स्तंभ, उदयगिरी की गुफायें तथा पार्श्ववर्ती अंचल का सांची स्तूप, ग्यारसपुर के स्मारक, उदयपुर मंदिर, बड़ोह पठारी के स्मारक निश्चय ही विदिशा की शिल्पगत विशेषताओं के अध्ययन की दृष्टि से उल्लेखनीय है।

विभिन्न राजवंशों के आश्रय में पल्लवित विदिशा के वास्तुशिल्प ने देश–विदेश के कला मर्मज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। यहां की कलाकृतियां, अमेरिका, इंग्लैंड और ब्रिटिश संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही है। देश के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, कोलकाता, राजकीय संग्रहालय ग्वालियर, भोपाल, रायपुर आदि अनेक केन्द्रों में इनको प्रदर्शित किया गया है। कला की अप्रितम सौन्दर्य, विशिष्ट शैली से परिपूर्ण रूचिर भंगिमाओं वाली विश्वविख्यात 'शालभंजिका' यहां के शिल्पियों की निष्ठा एवं समर्पण की जीवंत अभिव्यक्ति है।

जिला विदिशा एक नजर में :–

तहसील	:	7
विकासखण्ड	:	7
नगर पालिकाएं	:	5
नगर पंचायतें	:	2
कुल ग्राम पंचायतें	:	549
ग्रामों की संख्या	:	1604
आबाद गांव	:	1522
वीरान गांव	:	82
राजस्व निरीक्षक मण्डल	:	20
पटवारे हल्के	:	314
आरक्षी केन्द्र	:	20
विद्युतीकृत गांव की संख्या	:	1471
पेयजल सुविधा युक्त गांव	:	1522
परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या	:	25
प्राथ./डाकघर संख्या	:	21
विधानसभा क्षेत्र	:	5

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

कुल कार्यशील जनसंख्या		पुरुष	महिला	योग
(अ)	कृषक	126229	13448	139677
(ब)	खेतीहर मजदूर	73683	33289	106972
(स)	परिवार उद्योग	4111	1448	5559
(द)	सीमान्त कार्यशील	4546	38209	42755
(घ)	अन्य कार्यशील	61201	7737	68938
(ण)	कुल कार्यशील	269770	94131	363901

कुल जनसंख्या

क्र.	तहसील	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	वृद्धि दर 1991–2001
1	विदिशा	211159	268191	27.00
2	बासौदा	186959	242091	29.49
3	कुरवाई	113068	136891	21.07
4	सिरोंज	159738	193286	21.00
5	लटेरी	88546	112145	26.65
6	ग्यारसपुर	87221	106884	22.54
7	नटेरन	123697	155271	25.52
	जिला योग	**970388**	**1214579**	**25.18**

तहसीलवार ग्रामींण जनसंख्या

क्र.	तहसील	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	वृद्धि दर 1991–2001
1	विदिशा	118237	142734	20.72
2	बासौदा	140178	177173	26.39
3	कुरवाई	102533	123154	20.11
4	सिरोंज	125644	151186	20.33
5	लटेरी	77793	98078	26.08
6	ग्यारसपुर	87221	106884	22.54
7	नटेरन	123697	155271	25.52
	जिला योग	**775303**	**954480**	**23.11**

तहसीलवार नगरीय जनसंख्या

क्र.	तहसील	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	वृद्धि दर 1991–2001
1	विदिशा	92922	125457	35.01
2	बासौदा	46781	64918	38.77
3	कुरवाई	10535	13737	30.39
4	सिरोंज	34094	42100	23.48
5	लटेरी	10753	14067	30.82
6	ग्यारसपुर	--	--	--
7	नटेरन	--	--	--
	जिला योग	195085	260279	33.42

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जिले का शैक्षणिक परिदृश्य –

शासकीय प्राथमिक शाला	:	1329
शासकीय माध्यमिक शाला	:	307
हाईस्कूल	:	35
हायर सैकेण्डरी स्कूल	:	26
महाविद्यालय	:	7
आश्रम शालाएं	:	29
आई.टी.आई.	:	1
पोलिटेक्निक	:	1
इंजीनियरिंग कालेज	:	1

(अ) सघन साक्षरता अभियान :–

क्रं.	विवरण	पुरूष	महिला	कुल
1	लक्ष्य संख्या	48575	89149	137724
2	दर्ज संख्या	47784	82088	129872
3	अनुसूचित जाति			35213
4	अनुसूचित जनजाति			11002
3	भाग–एक पूर्ण	38169	67157	28737
4	भाग–दो पूर्ण	30620	49667	80287
5	भाग–तीन पूर्ण	12462	31848	44310

मॉपिंग अप (पढ़ना–बढ़ना आंदोलन)

क्रं.	विवरण	पुरूष	महिला	कुल
1	मांग के आधार पर संख्या	28,484	19,532	48,016
2	दर्ज संख्या	25,250	17,415	42,665
3	भाग–एक पूर्ण	24,255	15,675	39,930
4	भाग–दो पूर्ण	20,893	12,934	33,827
5	भाग–तीन पूर्ण	18,405	11,344	29,749
6	संचालित समितियां			1,822

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जिले की कृषि कार्य संबंधित जानकारी :

विदिशा जिला एक कृषि प्रधान जिला है। गेहूं, चना एवं सोयाबीन जिले की प्रमुख फसलें है। जिले के गत् पांच वर्षो के कृषि उत्पादन संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं –

प्रमुख फसलों का कृषि उत्पादन (मीट्रिक टन में)

वर्ष	गेहूँ	चना	सोयाबीन	ज्वार	मक्का	मसूर	अलसी	सरसों
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1995-96	319810	135588	79489	14251	9483	24787	1601	1189
1996-97	334116	168371	80152	10910	7357	26825	1652	1129
1997-98	327967	177088	101512	8567	6737	28180	1133	955
1998-99	351560	208376	93527	8770	6711	35478	982	981
1999-00	389891	118954	77015	5272	6083	39839	575	754

वर्ष 2000–2001 में प्राप्त आवंटन एवं उपयोग की जांनकारी (लाख रूपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	प्रतिशत
1.	दलहन विकास योजना	9.66	6.54	67.70
2.	तिलहन विकास योजना	30.94	26.48	85.58
3.	एकीकत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)	4.10	3.56	86.82
4.	राष्ट्रीय जल ग्रहण योजना	48.94	34.99	71.49
5.	नदी घाटी योजना	10.00	4.33	43.3
6.	सूरज धारा योजना	4.08	4.03	98.77
7.	अन्नपूर्णा धारा	4.70	4.70	100%
8.	माइक्रोमाइनर सिंचाई योजना	48.55	48.39	99.67
9.	नलकूप निर्माण योजना	10.30	10.16	98.64
10.	विशेष मिलिट कार्यक्रम	0.26	0.26	100%
11.	नाडेप योजना (गोबर खाद)	0.28	0.20	71.42

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सिंचाई के साधन एवं शुद्ध सिंचित क्षेत्र

कृषि एवं सिंचाई (हेक्टेयर में)

वर्ष / जिला / तहसील / विकासखंड	नहरें शासकीय / निजी		नलकूप		कुऐं		तालाब	
	संख्या	सिंचित क्षेत्र	संख्या	सिंचित क्षेत्र	संख्या	सिंचित क्षेत्र	संख्या	सिंचित क्षेत्र
1997–87	11	31356	5650	22516	10378	17760	28	656
1998–99	11	33210	7010	33402	10505	24558	28	1164
विदिशा	03	26799	2173	7869	750	1756	06	10
ग्यारसपुर	02	-	1366	3107	1656	4273	04	941
बासौदा	01	917	~~598~~	~~2147~~	2108	4887	07	125
नटेरन	01	465	482	873	2515	8372	03	10
कुरवाई	-	-	1606	14246	764	1292	05	40
सिरोंज	04	5037	570	4063	1043	1243	02	24
लटेरी	-	-	215	1097	1661	2735	01	14

कृषि विभाग को गत् वर्ष में निम्नानुसार योजनाओं के अन्तर्गत् आबंटन प्राप्त हुआ है –

क्रमांक	योजना / कार्यक्रम का नाम	प्राप्त आबंटन
1	दलहन विकास योजना	9.66
2	तिलहन विकास योजना	30.94
3	एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)	4.10
4	राष्ट्रीय जल ग्रहण योजना	48.94
5	नदी घाटी योजना	10.00
6	सूरज धारा योजना	408
7	अन्नपूर्णा योजना	4.70
8	माइक्रोमाइनर सिंचाई योजना	48.55
9	नलकूप निर्माण योजना	10.30
10	विशेष मिलिट कार्यक्रम	0.26
11	नाडेप योजना (गोबर खाद)	0.28

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जिले में कुल सात मंडियां हैं जिनमें वर्ष 99–2000 में कुल 4131333 मी. टन अनाज की आवक हुई। गत् वर्ष मंडियों में कुल गेहूं की आवक 1325871 तथा चने की आक 1508246 मी. टन थी।

रेशम इनोवेटिव परियोजना सिरोंज–लटेरी

जिले के सिरोंज तथा लटेरी विकासखण्डों में केन्द्र शासन व राज्य शासन की 80 : 20 अनुपात में वित्तीय भागीदारी से रू. 300 लाख की रेशम इनोवेटिव परियोजना स्वीकृत है जिसके अंतर्गत् सिरोज विकासखंड में 30 तथा लटेरी विकासखंड में 20 महिला रेशन इकाईयां स्थापित हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत् कुल 250 एकड़ जमीन में शहतूत पौधारोपण किया गया है। कार्यक्रम की अगली कडी में रेशम धागाकरण एवं बुनाई इकाई हेतु केन्द्र शासंन से स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

उद्यानिकी

जिले में एकीकृत मसाला कार्यक्रम सब्जी मिनी किट वितरण, आंगनबाडी (खरीफ) कार्यक्रम तथा धनिया उत्पादन वृद्धि (रवी) कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आम पौध रोपण तथा अमरूद एवं संतरा पौध रोपण हेतु 1.50 लाख रू. व्यय किए गये हैं। आंगनबाडी कार्यक्रम अंतर्गत् 3388 तथा धनिया उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत् 80 हितग्राहियों का लाभान्वित किया जाएगा।

मछली पालन

जिले के 30 ग्रामीण तालावों एवं 7 विभागीय जलाशयों में मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। जिले के जलाशयों में मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अंतर्गत् मछुआरों को प्रशिक्षण तथा मछुआ सहकारी समितियों को ऋण दिया जा रहा है। जलाशयों में विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत जलाशयों में मत्स्योद्ययोग के विकास कार्यक्रम् अंतर्गत् मत्स्य बीज संचयन एवं पट्टे हेतु राशि वितरित की गई है। जिले में गत् वर्ष 7.94 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है।

जिले में सिंचाई संबंधी जानकारी :

जिले में सिंचाई के प्रमुख साधन कुए एवं नलकूप हैं। वर्ष 1999–2000 में कुल 33218 हेक्टेयर क्षेत्र नहरों के द्वारा, 33402 हेक्टेयर नलकूपों के द्वारा, 24558 हेक्टेयर कुओं द्वारा तथा 1164 हेक्टेयर तालाबों के द्वारा सिंचित किया गया। जिले में कुल सिंचित क्षेत्रफल 143913 हेक्टेयर है। जिले में कुल

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

27.12 प्रतिशत बोया गया क्षेत्र सिंचित है। जिले में तहसीलवार सिंचाई के साधन एवं शुद्ध सिंचि

त्र निम्नानुसार हैं –

कमांक	नहरें		नलकूप		कुए		तालाब	
	संख्या	सिंचित क्षेत्र	संख्या	सिंचित क्षेत्र	संख्या	सिंचित क्षेत्र	संख्या	सिंचित क्षेत्र
1	11	33218	7010	33402	10505	24558	28	1164

अन्य स्त्रोतों से सिंचित क्षेत्र	समस्त स्त्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र	एक बार से अधिक सिंचित क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र	शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोये क्षेत्र से प्रतिशत
51571	143913	-	143913	27.12

स्वास्थ्य संबंधित जानकारी –

जिले में कुल 8 प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनके अन्तर्गत् स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सेवाएं दी जा रही हैं। जिले में निम्नानुसार प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं –

1. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यकम
2. राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यकम
3. राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यकम
4. अन्धत्व निवारण कार्यकम
5. राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यकम
6. राष्ट्रीय मलेरिया कार्यकम

जिले में महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयासों से टीकाकरण कार्यक्र चलाया जा रहा है जिसमें डी.पी.टी., पोलिया, बी.सी.जी.. एवं मीजल्स बीमारियों हेतु टीकाकरण किया जा रहा है। जिले की टीकाकरण संभाग में पहली स्थिति है।

वर्ष 2000–2001 में प्राप्त आवंटन एवं उपयोग की जानकारी

कमांक	योजना/कार्यक्रम का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	प्रतिशत
1	लेप्रोसी : अ. सघन प्रचार–प्रसार ब. औषधि	96632 214000	78600 212197	83.90 99.15
2	अंधत्व : अ. औषधि	25000	24965	99.86
3	परिवार कल्याण नसबंदी क्षतिपूर्ति	500000	478689	95.73
4	टी.बी.	1460000	1458924	99.92
5	प्रचार–प्रसार	85000	40206	47.30 संस्थाओं द्वारा व्यय कम किया गया
6	परिवार कल्याण जागरूकता अभियान	483725	350533	72.46
7	आर.सी.एच. अ. इंटीग्रेटेड स्किल प्रशिक्षण ब. इंटीग्रेटेड स्किल प्रशिक्षण	122334 356442	277737	ए.एन.एम.प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण दिया जाना है। 77.91 प्रतिशक्षण चल रहा है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

डी.आर.डी.ए. द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं

जिले में विभिन्न स्तरों पर रोजगार एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 2001–2002 में कुल राशि रू. 1361.04 लाख के व्यय से निम्नानुसार योजनाएं चलाई जा रही हैं –

क्र.	योजना का नाम/कार्यक्रम का नाम	प्राप्त बंटन रू. (लाख में)
1.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	297.48
2.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	221.58
3.	इंदिरा आवास योजना	257.56
4.	ग्रामीण आवास योजना	13.19
5.	रोजगार आश्वासन योजना	158.37
6.	जलग्रहण क्षेत्र मिशन	242.56
7.	वेस्टलैंड डवलपमेंट	69.40
8.	मूलभूत योजना	67.85
9.	दसवां वित्त आयोग	84.35
11.	ग्यारहवां आयोग	18.75

वन मंडल विदिशा

विदिशा जिले में 1153.09 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। इस वन क्षेत्र में 402.09 वर्ग कि.मी. आरक्षित वन, 712.09 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन तथा 38.61 वर्ग कि.मी. असीमांकित वन हैं। विदिशा जिले के वन मुख्यतः ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन हैं जिनमें सागौर मुख्य प्रजाति है। जिले में निम्न वानिकी कार्य कराए जा रहें हैं –

1. बिगड़े वनों का सुधार.
2. ग्राम वन समितियो के माध्यम से वन वर्धनिक कार्य
3. अग्नि सुरक्षा कार्य
4. सीमा रख–रखाव कार्य
5. उच्च तकनीक वृक्षारोपण
6. वन औषधि रोपण

जिले में 13 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेन्दू पत्ता संग्रहण का कार्य किया जाता है। वन सुरक्षा एवं प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 169 ग्राम वन समितियां एवं 9 वन सुरक्षा समिति गठित की गयी हैं जिन्हें 52784.47 हेक्टेयर वन क्षेत्र सुरक्षा एवं विकास हेतु सौंपा गया है

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जिले में मुख्य व्यवसाय/उद्योग एवं श्रमिकों की स्थिति

जिले में वर्तमान में कुल 424 स्थापित उधोग हैं जिनमें 846 व्यकित नियोजन हैं । नियोजित क्षेत्र में कुल राशि रूपये 355.0 लगी हुई हैं । खनिज उधोग क्षेत्र में वर्ष 99–2000 में कुल 277 मिट्रिक टन मुर्रम , 17757 मिट्रिक टन रेत , 114565 मिट्रिक टन फर्शी पत्थर उत्खानन किया गया । जिले में फर्शी पत्थर का उत्खानन बासौदा एवं कुरवाई विकासखंड का एक प्रमुख उधोग है । जिले में विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं स्वलेखी उधोगों में 28535 व्यवित गैर कृषि कार्यों में 27416 व्यवित, बिना आहते के उद्यमों में 6281 व्यवित, बारह मासी उधोगों में 27160 व्यवित तथा निजी उधोग धंधों में 24548 व्यवित नियोजित हैं ।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अध्याय – 3

पूर्व की साक्षरता गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अध्याय – 3

साक्षरता अभियान अंतर्गत विगत गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान –

विदिशा जिले के सघन साक्षरता अभियान को स्वीकृति मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र कमांक – 7/37/93/ए.ई. दिनांक 24 फरवरी 94 द्वारा प्रदान की गयी।

परियोजना की अवधि –

इस योजना के तहत् में लक्ष्य प्राप्त कर 31/3/97 तक कार्य योजना पूर्ण की जाना थी।

स्वीकृति एवं प्राप्त राशि –

सर्वप्रथम कार्य योजना के अंतर्गत् 1,25,000 निरक्षरों के सर्वे उपरान्त 83,37,500 रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

कार्य योजना के दौरान सर्वे कराए जाने पर वास्तविक रूप से 1,37,722 निरक्षर चिन्हित हुए जिला साक्षरता समिति को अद्यतन मिले अंशदान की जानकारी इस प्रकार है –

1.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	5558380	लाख
2.	राज्यांश	4462000	लाख

इसमें से शेष राशि का उपयोग इसके बाद कियान्वित किये गये पढ़ना–बढ़ना आन्दोलन में भी किया गया है।

वातावरण निर्माण की प्रमुख गतिविधियां –

साक्षरता के लिए माहौल बनाये जाने की गतिविधियां 1994 के प्रारंभिक महीनों में शुरू कर दिये गये जो अभियान के दौरान सतत् जारी रहे इसके अन्तर्गत् कलाजत्थें, नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन, मशाल जुलूसों का आयोजन, पदयात्राएं, गोष्ठियों एवं पंच सरपंच सम्मेलनों का आयोजन समय–समय पर विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन, साक्षरता सैनानियों (पढ़ाने वाले) का सम्मान जैसे गरिमामय कार्यकम आयोजित किये जाते रहे।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सघन साक्षरता अभियान का सामाजिक प्रभाव –

शिक्षा के प्रचार–प्रसार से लोगों में जागरूकता बढ़ती है । लोगों ने छोटे परिवार के महत्त्व को समझा है बच्चों के टीकाकरण में भारी वृद्धि हुई है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी बढ़ी है। ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं में साक्षर हुई जनता ग्राम पंचायत से आय–व्यय का हिसाब मांगने लगी है। इस प्रकार शिक्षित हुए व्यक्ति अपने अधिकार को कुछ हद तक समझने लगे हैं। इसके साथ ही प्रायमरी कक्षाओं में एक विस्मरणीय वृद्धि का प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोगों में सामूहिकता में एकत्रित होकर अपने विचार व्यक्त करने की भावना को विकसित किया है।

अभियान में आई बाधाएं –

1. अभियान में सबसे बड़ी बाधा जिला साक्षरता समिति को केन्द्र शासन से समय पर अनुदान न मिलने से हुई जिस कारण बार–बार पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का उत्साह भंग हुआ। इसके साथ्ज्ञ ही अभियान के 6 वर्षों में 4 कलेक्टरों के स्थानान्तरण से भी योजना प्रभावित हुई।

2. दर्ज प्रौढ़ों का मजदूरी के लिए पलायन होने से अभियान की अवधि बढ़ती रही विशेषकर सिरोंज, लटेरी विकासखंड में फसल कटाई के समय बड़ी संख्या में मजदूर प्रतिवर्ष पलायन होते हैं एवं 2–3 माह के अंतराल के बाद लौट आते हैं। अतः ऐसे निरक्षरों को साक्षर करने में कठिनाई आई ।

3. केन्द्र संचालन के समय रात्रि में बिजली का अभाव होना एक समस्या थी।

4. कतिपय ग्रामों में पढ़े लिखे स्वयंसेवकों के न मिलने से भी परिणाम प्रभावित हुए।

पढ़ना–बढ़ना आंदोलन जिला–विदिशा

म.प्र. शासन द्वारा संपूर्ण साक्षरता अभियान में बचे निरक्षरों को साक्षर करने के लिए मॉपिंग अप के रूप में पढ़ना–बढ़ना आंदोलन का नवीन स्वरूप प्रदान किया गया। जिस प्रकार से आम जनता की मांग पर शिक्षा गारंटी शालाएं खोली गई थी, उसी तर्ज पर निरक्षरों की मांग पर निरक्षरों के द्वारा पढ़ना–बढ़ना समितियां गठित कर उन्हीं के द्वारा उन्हें पढ़ाने के लिए एक गुरूजी का चयन कर प्रारंभ करने का बीड़ा उठाया। अतः निरक्षरों द्वारा शिक्षा की मांग, दूर दराज़ क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा का संचालन,

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जनभागीदारी का सक्रिय सहयोग तथा लक्ष्य अवधि में उपलब्धि प्रापत कर स्वयं सेवकों को जिन्हे इस आंदोलन में गुरूजी कहा गया है। गुरूदक्षिणा स्वरूप सौ रूपयेप्रति निरक्षर प्रोत्साहन राशि प्रदान करना इस आंदोलन की मुख्य विशेषताएं थी।

नवीन रणनीति के अनुसार जिला साक्षरता समिति द्वारा सितम्बर 1999 से जिले में पढ़ना–बढ़ना आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया गया। विदिशा जिले में मांग के आधार पर 48016 निरक्षरों को लक्ष्य मानकर 44303 व्यक्तियों को पढ़ना–बढ़ना समितियों में दर्ज किया गया।

कोरग्रुप का गठन

विदिशा जिले में पढ़ना–बढ़ना आंदोलन को जिला स्तर से ग्राम स्तर तक सुचारू रूप से कियान्वित कर सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए पूर्व कलेक्टर श्री बी.आर. नायडू तथा वर्तमान कलेक्टर श्रीमती वीरा राणा के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया गया जिसमें जिला स्तरीय शासकीय अधिकारियों के अलावा शिक्षाविद, समाजसेवियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियां को रखा गया था। इसी प्रकार से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में विकासखण्ड स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया गया था। जिला स्तरीय कोरग्रुप की प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक बैठक होती थी तथा विकासखण्ड कोरग्रुप की बैठ प्रति शुक्रवार साप्ताहिक बैठक होती थी। बैठक में आंदोलन की समीक्षा की जाकर आगामी रणनीति एवं समस्याओं के निवारण हेतु निर्णय लिये जाते थे। कोरग्रुप की लगातार सकियता से आंदोलन के कियान्वयन को महत्वपूर्ण आधार मिला, इन सदस्यों के द्वारा पढ़ना–बढ़ना केन्द्रों की मॉनिटरिंग कार्य में भी विशेष सहयोग दिया गया।

आंदोलन का प्रचार–प्रसार

टी.एल.सी. के समान ही पढ़ना–बढ़ना आंदोलन के अंतर्गत पढ़ना–बढ़ना समिति के गठन बावत व्यापक प्रचार–प्रसार की कार्यवाही की गई। संकुल स्तर पर इस हेतु केन्द्र बिन्दु माना जाकर कार्यवाही की गयी। समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्तियों, बैठकों, ग्राम संपर्क अभियान के माध्यम से जन–जन तक पढ़ना–बढ़ना आंदोलन के प्रचार की गतिविधियों की गई। 8 सितम्बर 99 को भी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर साक्षरता रैलियों के आयोजन कीकार्यवाही ग्राम–ग्राम पर की गई। निरक्षर प्रौढ़ों को स्वयं के गुरूजी चुनने की बात कही गई। गुरूदक्षिणा की गारंटी दी गई। निबंध प्रतियोगिताओं, वाद–विवाद प्रतियोगिता, सिनेमा में स्लाईड प्रदर्शन कला जत्थों के प्रदर्शन के वातावरण निर्मित किये गये।

श्रीमती वीरा राणा, कलेक्टर द्वारा पंच–सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका एवं नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को पढ़ना–बढ़ना आंदोलन के विवरण के साथ अधिक से अधिक पढ़ना–बढ़ना समिति के गठन किये जाने के प्रयास हेतु अपील पेम्फलेटस के माध्यम से की गयी। गणतंत्र दिवस पर पढ़ना–बढ़ना आंदोलन विषय पर आधारित झांकिया निकाली गई। फलस्वरूप 44303 प्रौढ़ों को अंतिम रूप से दर्ज कर 1822 समितियां गठित हो सकी।

पढ़ना–बढ़ना समितियों का गठन

शासन के निर्देशानुसार जिले में भी पढ़ना–बढ़ना आंदोलन दो चरणों में क्रियान्वित किया गया। निरक्षरों की मांग पर समिति का गठन एवं गुरूजियों का चयन हुआ। संकुल के जनप्रतिनिधियों व निर्धारित दलों द्वारा निरक्षरों का प्रमाणीकरण किया गया।

प्रथम एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत निम्नानुसार कुल व्यक्ति अभियान में दर्ज किए गये ।

कुल गठित पढ़ना–बढ़ना समितियां	मांगपत्र अनुसार निरक्षरों की संख्या			प्रमाणीकरण उपरांत वास्तविक दर्ज निरक्षर संख्या		
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1822	28484	19532	48016	26608	17695	44303

पढ़ना–बढ़ना अभियान की विशेषता –

पढ़ना–बढ़ना अभियान में निरक्षर व्यक्तियों को शुरू से ही संगठित करने पर जोर दिया गया। संगठनात्मकता का भाव जिले स्तर की अपेक्षा गांव स्तर पर पढ़ना–बढ़ना समिति के रूप में व्यक्त किया गया। इसमें संपूर्ण साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत् शिक्षा की धारावाहिक कड़ी के स्थान पर यह कोशिश की गई कि साक्षरता कार्यकम के इन तीन पहलुओं के महत्वपूर्ण आयामों को शुरू से ही एकीकृत किया जाये जिससे कि इनका प्रभाव एक दूसरे पर पड़ सके इसलिए इस रणनीति में शुरू से ही नव साक्षरों को संगठित करना महत्वपूर्ण माना गया। इन पढ़ना–बढ़ना समिति के आधार पर उत्तर साक्षरता के अंतर्गत् आने वाली जीवनोपयोगी दक्षताएं एवं अवसर को जोड़ा गया जिसके आधार पर सतत् शिक्षा में परिकल्पित पुस्तकालय भी अंततः पढ़ना–बढ़ना समिति के आधार पर विकसित किये जायेंगे ।

इस रणनीति में गुरूजी और निरक्षर व्यक्तियों के बीच लगाव और आत्मीयता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से निरक्षर व्यक्तियों के पढ़ना–बढ़ना समिति को ही अपने गुरूजी का चयन करने का अधिकार दिया गया। गुरूजी को कार्यक्रम का मुख्य बिन्दु माना गया इसलिए उसके महत्वपूर्ण योगदान

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

के लिए सम्मान स्वरूप में गुरूजी को प्रति नवसाक्षर राशि रू. 100/– गुरू दक्षिणा के रूप में दिया गया । इन समस्त कार्यक्रम से जुड़ी बाकी सब इकाईयों और व्यक्तियों को गुरूजी की प्रेरणा और समर्थन का माध्यम ही माना गया इसलिए यह प्रयास किया गया कि कार्यक्रम में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वह गुरू दक्षिणा, गुरूजी प्रशिक्षण एवं अकादमिक समर्थन के लिए उपयोग किये जायें।

इस रणनीति में साक्षरता कार्यक्रमों को एक अलग कार्यक्रम न मानकर शिक्षा से जुड़े सभी कार्यक्रमों और संसाधनों का महत्वपूर्ण दायित्व माना गया इसलिए अलग से साक्षरता कियान्वयन ढांचा निर्मित करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई क्योंकि ऐसा करने में साक्षरता कार्यक्रम बाकी सब कार्यक्रमों से पृथक हो जाता।

बाह्य मूल्यांकन –

पढ़ना बढ़ना कार्यक्रम के अंतिम चरण में राज्य शासन द्वारा नामांकित एजेंसी इन्सटीटयूट ऑफ कम्यूनिकेशन एण्ड डप्लवमेंट चंडीगढ़ द्वारा, ज़िलें में बाह्य मूल्यांकन किया गया । बाह्य मूल्यांकन के परिणाम निम्नानुसार हैं ।

EXECUTIVE SUMMARY OF EXTERNAL EVALUATION

Date of Sanction of Project	February 1994
Amount Sanctioned	Rs. 1,00,20,380=00
Date on which evaluation contract signed with District administration by the evaluation agency	05.12.2000
Universe : No of learners after door to door survey	137724
as per NLM norms	75522
Size of planned sample (Target)	6886 (5%)
Size of Actual sample taken	6847
Perentage of learners made literate against enrolled learners	87.20%
Perentage of learners made literate against target group	46.02%
Actual No. appared in the test	3401
Actual no. of testees whose data were alanyzed (genuine)	3351
percentage who attained the NLM norms => 70	77.88% (2610)

Achievement of Target Groups at Glance

% of Achieved Norms	SC/ST	General	OBC	15-35+	M	F	Total
	75.49 / 79.12	74.8	80.6	78.47	79.83	75.09	77.88

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अध्याय – 4

परियोजना का उद्देश्य एवं लक्ष्य समूह

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अध्याय – 4

सतत् शिक्षा परियोजना का उद्देश्य एवं लक्ष्य समूह

वर्तमान सामाजिक संरचना का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि विश्व में बढ़ते हुए वैश्वीकरण के चलते पारंपरिक सामाजिक संरचना टूट रही है। गांव से अधिक से अधिक पलायन शहरों की ओर हो रहा है। विभिन्न राजनैतिक शक्तियों के चलते ग्रामों में भी सदियों से स्थापित सामाजिक संरचना छिन्न–भिन्न हो रही है। पूर्व में जिस प्रकार ग्राम की अधिकांश आवश्यकताएं ग्राम में ही पूरी हो जाया करती थी, बिट्रिश शासन के आने के पश्चात से ही ग्रामवासियों का परस्पर सह–अस्तित्व समाप्त हो जाने से पारंपरिक लोक धंधे नष्ट हो गये हैं, इसलिए आवश्यकता महसूस होती है कि जिले में एक सामाजिक/आर्थिक आंदोलन इस प्रकार से चलाया जाये कि पंचायती राज अधिनियम की धारणाओं के अनुरूप गांधी जी के सपनों का स्वराज स्थापित हो सके। गांधी जी ने केन्द्रित राज्य सत्ता के बजाए विकेन्द्रित राज्य व्यवस्था की रूपरेखा रखी थी। उन्होने कहा था– "आजादी नीचे से शुरू होना चाहिए। ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना के अनुसार हर गांव पूर्ण प्रजातंत्र होगा। स्वायत्ता और स्वशक्ति के आधार पर वह स्वावलंबी और परिपूर्ण बनेगा। स्वायत्त और स्वयंपूर्ण ऐसे अनगिनत गांवों का यह समाज बनेगा। उसका फैलाव एक के ऊपर एक के ढंग पर नहीं, बल्कि समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक ही शक्ल में होगा। जिन्दगी मीनार की शक्ल में नहीं होगी, जहां ऊपर की तंग चोटी को नीचे के चौड़े पाये पर खड़ा होना पड़ता है। वहां तो समुद्र की लहरों की तरह जिन्दगी एक के बाद एक घेरे की शक्ल में होगी और व्यक्ति उसका मध्य बिन्दु होगा। वह व्यक्ति हमेशा अपने गांव के खातिर मिटने को तैयार रहेगा। गांव अपने इर्द–गिर्द के गांवों के खातिर मिटने को तैयार रहेगा। इस तरह आखिर सारा समाज ऐसे लोगों का बन जायेगा, जो उद्धत बनकर कभी किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि हमेशा नम्र रहते हैं और अपने समुद्र की उस शान को महसूस करते हैं, जिसके वे एक जरूरी अंग है। गांव के बाहर की शक्ति यानि सबसे बाहर का घेरा या दायरा अपनी ताकत का उपयोग भीतर के गांवों को कुचलने में नहीं करेगा, बल्कि उन सबाके ताकत देगा और उनसे ताकत पायेगा। ऐसी रचना में कोई प्रथम नहीं और कोई आखिर का नहीं। सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा, जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि वह उनका देश है– जिससे निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगों के द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरूप्योग होता हो तब सब लोगों के द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त करके हासिल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, स्वराज्य जनता में इस बात का ज्ञान पैदा करके प्राप्त किया जा सकता है कि सत्ता पर कब्जा करने और उसका नियमन करने की क्षमता उनमें है।"

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

यहां यह भी कहना प्रासंगिक होगा कि गांधीजी शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य, आध्यात्म इत्यादि मुद्दों को पृथक–पृथक नहीं देखते थे। उनकी दृष्टि में देश के विकास की समस्याओं का हल लोक शक्ति को मानवीय दृष्टिकोण से जागृत करने में निहित था। उनका ट्रस्टीशिप (न्यासवृत्ति) का सिद्धान्त वस्तुतः ध्येय और यथार्थ अनोखा समन्वय था। प्रकृति सब आदमियों को गुण एवं कर्तव्य समान रूप से नहीं बांटती है, इसका भान गांधीजी को था। कुछ लोग अधिक कार्यप्रवण, उपक्रमशील या गुणवान रहेंगे : कुछ में यह गुण कम रहेंगे। इसलिए किसी भी आदर्श राज्य व्यवस्था या अर्थव्यवस्था की हम कल्पना करें तो भी कुछ लोग आगे चले जायेंगे, परन्तु यदि वास्तव में देखा जाये हमारे अपने गुणों में, धन में, शरीर–बल में, विद्वता में, कौशल में या सत्ता में समाज का बड़ा हिस्सा रहता है। कोई अकेला जंगल में बैठकर समाज के सहयोग के बिना गुण, धन या सत्ता प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसीलिए हम अकेले ही इसके मालिक नहीं है, उल्टे समाज उनका मालिक है। इसीलिए हम इस गुण संपदा के या धन के ट्रस्टी यानि न्यासी हैं। ऐसे मूल्य का बीज जनमानस में बोने का कार्य गांधीजी ने किया। भारत में परंपरागत रूप से ही लोग ईश्वरी की आराधना में कहते आये हैं कि "तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा"इस दृष्टि से जिला साक्षरता समिति द्वारा एक समग्र लोक शक्ति अभियान की परिकल्पना की गई है।

यूनेस्को के अनुसार :

सतत शिक्षा एक व्यापक संकल्पना है जिसमें सभी सीखने के अवसर हैं और जिसे मूल साक्षरता शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के अलावा भी सभी आदमी चाहते हैं या जरूरत महसूस करते हैं।

इस परिभाषा का अर्थ है:

1. सतत शिक्षा प्रौढ़ साक्षर लोगों के लिए है।
2. यह इच्छाओं और जरूरतों के प्रति संवेदी है।
3. यह इसमें औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक शैक्षिक उपक्षेत्रों से मिलने वाले अनुभवों और गतिविधियों को शामिल करती है।
4. यह सीखने में लगे रहने के अवसर के साथ इस आशय से भी जुड़ी है कि बचपन की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी यह शिक्षा जीवन भर जारी रहे।

सतत शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके माध्यम से ऐसा समाज उभरे जिसमें केवल स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय ही शैक्षिक अवसर प्रदान न करे बल्कि सभी एजेसियां जैसे फैक्टरी, व्यापारिक संस्थान, फार्म, खुदरा दुकानें, पुस्तकालय, सरकारी एजेंसी आदि भी शिक्षा दें। जिस समाज में सभी एजेंसियां अधिगम के अवसर पर देती है और जिसमें लगभग सभी नागरिक आजन्म सीखने वाले

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

होते है। इसी उद्देश्य में विदिशा जिले में सतत् शिक्षा कार्यक्रम को लोक शक्ति परियोजना के रूप में लिया जा रहा है।

"मानव विकास समाज में सभी लोगों के ज्ञान, कौशल और सामर्थ्य को बढ़ाने की प्रक्रिया है। आर्थिक शब्दावली में इसे किसी अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी के संचयन और उसके प्रभावी निवेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनैतिक शब्दावली में मानव विकास लोगों को राजनैतिक प्रक्रिया में वयस्क भागीदारिता–विशेषतः लोकतंत्र में जैसे नागरिकों की होती है– के लिए तैयार करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मानव संसाधन विकास लोगों को अधिक पूर्ण और समृद्ध जीवन जीने में सहायता प्रदान करता है जो परंपरा से अपेक्षाकृत कम. बंधा हो। संक्षेप में, मानव विकास आधुनिकता का द्वार खोलता है।"

जिले में साक्षरता आंदोलन तथा पढना बढ़ना आंदोलन के पश्चात इस परियोजना प्रस्ताव के माध्यम से सतत शिक्षा परियोजना प्रस्तुत की जा रही है ।नवसाक्षरों की साक्षरता दक्षता को बनाये रखने के लिए साक्षर एवं सजग समाज के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक है कि समाज के हर व्यक्ति को जीवन पर्यन्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। इसलिए अब साक्षरता, उत्तर साक्षरता और सतत् शिखा को एक कड़ी के रूप में लिया जा रहा है।

सतत् शिक्षा में वे सभी अवसर शामिल है, जिनकी लोगों को साक्षरता व प्राथमिक शिक्षा की परिधि से बाहर आवश्यकता होती है।

नवसाक्षरों द्वारा अर्जित शिक्षा तथा कौशल को और सुदृढ़ तथा व्यापक बनाये जाने की आवश्यकता निर्विवाद है। सघन साक्षरता अभियान एवं पढ़ना–बढ़ना आंदोलन के दौरान नवसाक्षरों ने जो सीखा है, उन्हें एक नई वाणी मिली है, नये तरह से वे अपनी बातें कहने को तैयार हो रहे हैं। सकिय और सतत भागीदारी के बिना हमारे लिए कुछ कर पाना कठिन है। यह अनुभव सघन साक्षरता अभियान तथा पढ़ना–बढ़ना से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने किया है यह कार्यकम नीचे से उपर उठता हुआ कार्यकम है और सब लोग जुड़े हुए हैं, समाज के हर वर्ग के हर तबके के लोगों की समग्र चेतना, समग्र चेतनशीलता को बढ़ाना होगा। सतत् शिक्षा से यह अवसर सुलभ होता है।

साक्षरता का कार्यकम दसअसर कमजोर को ताकत देने का कार्यकम है, वंचित समाज को इससे सामर्थ्य मिली है। यह अभियान उन सबके लिये अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराता है। यह संजीवनी निरंतर रखी जाना ही सतत् शिक्षा की महती आवश्यकता को रेखांकित करती है। अतः स्पष्ट

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

है कि सतत् शिक्षा, मानव के आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने के लिए साक्षरता का एक आवश्यक घटक है।

साक्षरता अभियान नीचे से ऊपर विकास करता हुए एक कार्यक्रम है, जिसमें सम्पूर्ण वंचित समाज और अग्रगामी तत्वों की समान भागीदारी है। संपूर्ण साक्षरता अभियान और पढ़ना–बढ़ना आंदोलन से ऐसे सब लोग एक मंच पर आ गए हैं। इन अभियानों के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से लोगों की मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन हुए यह आम धारणा बनी की शैक्षणिक प्रकिया को कायम रखने के लिए सतत् शिक्षा का अवसर मिलना जरूरी है।

यूनेस्को द्वारा सतत् शिक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु बनाई गई संदर्शिका में सतत् शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है –

"सतत् शिक्षा वह व्यापक संकल्पना है जिसमें सीखने के अवसर हैं और जिसे मूल साक्षरता, शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के अलावा भी समाज के सभी व्यक्ति चाहते हैं या आवश्यकता महसूस करते हैं।"

उद्देश्य :–

1. साक्षरता कौशल को बनाए रखने तथा उसके विकास के लिए साधन उपलब्ध कराना।
2. विकास गतिविधियों में समाज के सभी लोगों विशेषकर वंचित तबकों की सहभागिता बढ़ाना।
3. राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण सुधार, महिला समानता, छोटा परिवार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों के संबंध में जागरूकता पैदा करना।
4. व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
5. जीवन स्तर में सुधार हेतु कार्यात्मक साक्षरता के लिए कार्यक्रम बनाना।
6. अध्ययनशील समाज के लिए वातावरण तैयार करने के लिए पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की व्यवस्था करना।
7. सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों का अयोजन करना।
8. ग्राम स्तर पर जनभागीदारी की ऐसी संरचना तैयार करना जो स्थानीय आवश्यकता के मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम तैयार कर सके।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

बदलाव के मॉडल के संदर्भ में लोक शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है–

1. राष्ट्रीय नीति और विकास एजेंसियों द्वारा तय किये गये उद्देश्यों को समझते हुए समुदाय की भविष्य संबंधी वांछित दृष्टि को बनाने में सहायता करना, जो निश्चय ही समुदाय की जरूरतों और चिन्ताओं से जुड़ी होगी। भविष्य संबंधी दृष्टि की विषमताओं, मतभेदों को समाधान तक पहुंचाना।
2. समुदाय को अपनी स्थितियों का मूल्यांकन करने योग्य बनाना और जिन क्षेत्रों में हस्तक्षेप एवं भविष्य में कार्य अपेक्षित है, उनकी प्राथमिकताएं तय करना।
3. हस्तक्षेप के लिए योजना तैयार करने की सामर्थ्य को मजबूत करना।
4. हस्तक्षेप के प्रयास और प्रकिया में बदलाव लाने के लिए आवश्यक तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करना।
5. समुदाय को परिणाम मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करने योग्य बनाना। वे कैसे समस्याओं को पहचानने योग्य बनें, शक्ति और कमजोर तथा भविष्य के लक्ष्य एवं हस्तक्षेप की रणनीतियों को समझें।
6. समुदाय की बाहरी विश्वसंबंधी चेतना को फैलाना तथा भविष्य की वैकल्पिक दृष्टि को बढ़ाना।

बदलाव का मॉडल जो लोक शक्ति परियोजना को संदर्भ प्रदान करता है, अनेक पूर्वानुमानों पर आधारित है। वे इस प्रकार है।:

अ. यह माना जाता है कि मानव जाति तार्किक है और तार्किक एवं बुद्धिमान व्यक्ति जीवन के सभी पक्षों को सुधारने का प्रयास करता है। यदि उसे उपयुक्त वातावरण में रखा जाए।

ब. यह अनुमान किया जाता है कि गरीबी निरक्षरता से धनिष्ट रूप से जुड़ी है। इसका अर्थ है कि निरक्षर सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से गरीब है। यह अनुमान उसकी ज्ञान तक पहुंच न होने के कारण बना है। जो उत्पादन के एक तत्व के रूप में समझा जाता है।

स यह भी अनुमान किया जाता है कि शिक्षा और विकास एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जैसे जीवन की गुणवत्ता को सुधारना।

द. यह भी अनुमान किया जाता है कि आजीवन शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा औपचारिक, गैर–औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों से संबंधित है।

जिले में सतत् शिक्षा अभियान के आधार पर परिणाम मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जिसका उद्देश्य निम्न लक्ष्य प्राप्त करना होगा–

1. व्यक्ति में समाधान
2. परिवार में स्वावलंबन
3. समाज में अभय
4. प्रकृति में परस्पर पूरकता

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अध्याय – 5

परियोजना की रणनीति

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अध्याय – 5

लोक शक्ति सतत् शिक्षा परियोजना की रणनीति एवं नजरिया

परियोजना निर्माण आंकलन प्रकिया

जिले में सतत शिक्षा परियोजना के इस परियोजना प्रस्ताव को तैयार करने के पूर्व स्थानीय आवश्यकताओं का आंकलन किया गया। इस हेतु भोपाल में राज्य संसाधन केन्द्र के माध्यम से मार्च माह में 5 स्त्रोत व्यक्तियों का प्रशिक्षंण किया गया। अप्रैल माह में जिला स्तर पर स्त्रोत व्यक्तियों तथा विकासखण्ड स्तर पर समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों एवं जनशिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया। 11 से 15 अप्रैल के मध्य समस्त गुरूजियों एवं ग्राम प्रभारियों को प्रशिक्षित किया गया। नवसाक्षरों की आवश्यकताओं को जानने के लिए ग्राम प्रभारियों तथा गुरूजियों के माध्यम से सर्वेक्षण कर निम्न जानकारियां संकलित की गई–

- उन नवसाक्षरों की पहचान जो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं ?
- वे नवसाक्षर क्या पढ़ना चाहते हैं ?
- नवसाक्षरों में किस तरह के आर्थिक कार्यकमों की आवश्यकता है ?
- संस्कृति संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र के स्थान सर्वेक्षण।

सर्वेक्षण के दौरान नवसाक्षरों से उनकी आवश्कताओं के बारे में तथा उनके व्यवसाय उससे प्राप्त हो रही आय के बारे में जानकारी ली गई। नवसाक्षरों से उनके व्यवसाय को परिवर्तित करने की स्थिति में उनके प्रशिक्षण, बैंक ऋण तथा मार्केटिंग के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई। इसके साथ ही नवसाक्षरों की कला एवं संस्कृति की आवश्यकताएं तथा साक्षरता से प्राप्त दक्षताओं से लिए जाने वाले लाभों के बारे में भी संयुक्त संवाद के माध्यम से चर्चा कर प्रपत्र पूर्ण किये गये। इन प्रपत्रों को अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में भरा जाकर 30 अप्रैल से 10 मई के मध्य जिले स्तर पर संकलित किया गया।

सतत शिक्षा परियोजना के प्रारंभ किए जाने के अंतराल के मध्य इस दृष्टि से कि जिन लोगों ने संपूर्ण साक्षरता अभियान तथा पढ़ना बढ़ना आंदोलन में पढ़ना लिखना सीखा है वे पढ़ाई लिखाई भूल न जायें, इस दृष्टि से पुस्तक दान गतिविधि, दीवार लेखन, ब्रिज प्रवेशिका का पठन–पाठन, महिला जनप्रतिनिधियों हेतु शिविर तथा स्व सहायता समूहों पर निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सतत् शिक्षा परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदिशा जिले के लक्ष्य समूहों को निरंतर साक्षर, कियाशील एवं जागरूक बनाने की दृष्टि से लोक शक्ति सतत् शिक्षा परियोजना की रणनीति तैयार की गई है। जिले में 1994 से प्रारंभ संपूर्ण साक्षरता अभियान एवं 1999 से 2000 में चलाए गए पढ़ना–बढ़ना आंदोलन के प्रभावी संचालन के कारण आज लगभग 75,522 लोगों को नव साक्षर की श्रेणी में ला सके हैं, जिले को शैक्षणिक दृष्टि 150 संकुलों में विभागजित किया गया है। इन जनशिक्षा केन्द्रों को (संकुल) सतत् शिक्षा परियोजना के अंतर्गत नोडल शिक्षा केन्द्र बनाना तय किया है। जिले में 1522 आबाद ग्राम है और 250 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक ग्राम में एक सतत् शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जावेगा। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनाई रणनीति निम्नानुसार रहेगी –

नवसाक्षरों और बचे हुए निरक्षकों के लिए पढ़ना–बढ़ना केन्द्र की स्थापना की जावेगी, जिसके अंतर्गत पुस्तकालय, अध्ययनकक्ष, व्यावसायिक कौशल केन्द्र, सामुदायिक चेतना केन्द्र, क्षेत्र की जानकारी, समस्याओं को हल करने के लिए सूचना खिड़की का निर्माण किया जायेगा। इन सतत शिक्षा केन्द्रों में समूह चर्चा, प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, खेलकूद एवं साहसिक गतिविधियों एवं मनोरजंनात्मक की गतिविधियां संचालित की जावेगी।

लक्ष्य विशिष्ट कार्यक्रम, समतुल्यता कार्यक्रम, आय उपार्जन कार्यक्रम, जीवन स्तर में सुधार कार्यक्रम तथा व्यक्तिगत रूचि प्रौन्नत कार्यक्रमों को भी नोडल सतत् शिक्षा केन्द्रों, संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र एवं अन्य विभागों के कार्यक्रमों के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा।

सतत् शिक्षा केन्द्र एवं नोडल सतत् शिक्षा केन्द्र की स्थापना :–

जनगणना 2001 के अनुसार जिले की कुल आबादी 1214759 है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मापदण्डों के अनुसार कम से कम 2000 की आबादी पर एक सतत् शिक्षा केन्द्र की स्थापना है, किन्तु अनुभवों से यह सामने आया है कि 2000 की जनसंख्या में लगभग 4–5 गांव सम्मिलित होते हैं, जिससे केन्द्र स्थल के अतिरिक्त अन्य गांवों के नसाक्षर विशेष रूप से महिलाएं इन केन्द्रों का लाभ नहीं उठा पाती है। अतः नवसाक्षरों की सतत् शिक्षा की आवश्यताओं की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि 250 से अधिक आबादी के प्रत्येक गांव में एक सतत् शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जावे। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के निर्धारित बजट की सीमा को ध्यान में रखते हुए 250 से अधिक आबादी के 1070 ग्रामों में एक संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। शहरी क्षेत्रों में 19 संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र खोले जाएंगे। इस प्रकार जिले में 1089 संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र खोल जायेंगे।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जिले में कुल आबाद ग्रामों की संख्या 1522 है। 250 से अधिक आबादी के 1066 ग्रामों में संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं कुल 154 नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र बनाये जायेंगे। शहरी क्षेत्रों में 4 नोडल संस्कृति शिक्षा केन्द्र एवं 19 संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र बनाए जावेंगे। इस प्रकार कुल 23 केन्द्र शहरों में बनाए जायें। यह 19 संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र शहरी क्षेत्र के ऐसे स्थानों पर बनाए जा रहे हैं। जहां पर अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली रहती है व सतत् शिक्षा के हितग्राही भी हैं। इस प्रकार जिले में कुल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र ग्रामीण 1066 तथा शहरी क्षेत्र में 19 कुल 1085 बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक नोडल प्रेरक को 700/— प्रतिमाह मानदेय दिया जावेगा। सतत् शिक्षा केन्दों के प्रेरक को 500/— प्रतिमाह मानदेय दिया जावेगा । जनशिक्षा केन्द्र के संसाधनों का उपयोग नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र के लिए किया जायेगा। नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र के संसाधन जनशिक्षा केन्द्र के लिए भी उपयोगी हो सकेंगे।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मापदण्डों के अनुसार कम से कम 10 संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र पर एक नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रावधान है तद्नुसार इस जिले में सतत शिक्षा केन्द्रों की संख्या 607 आती है। इस प्रकार से इस जिले में 60 नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र होना चाहिए, चूंकि प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को राज्य शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत एक ही कार्यकम के रूप में संस्थागत सुधार कार्यकम के अंतर्गत समाहित किया गया है। अतः यह उचित समझा गया है कि प्रत्येक संकुल पर एक नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाए। इस जिले में 150 जनशिक्षा केन्द्र है, इसलिए यहां पर 4 शहरी जिला शिक्षा केन्द्र, 154 नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जावेगी और प्रत्येक नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र पर एक प्रेरक एवं एक सहायक प्रेरक काम करेगा।

संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र व नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र की पहचान

इस जिले में कुल 250 से अधिक जनसंख्या वाले 1070 ग्रामों में संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र व 150 एन.सी.ई.सी. केन्द्र स्थापित करने हेतु तथा शहरी केन्द्रों में 4। संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र व 19 एन.सी.ई.सी. सतत शिक्षा क्षेत्रों में स्थापित करने की पहचान कर ली गई है, जिसकी जानकारी परिशिष्ट में पृथक से दी गई है।

प्रेरक का चयन :—

संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र एंव नोडल सतत शिक्षा केन्द्रों के लिए प्रेरकों के चयन हेतु निम्नानुसार योग्यता एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

योग्यता :—

राज्य शासन के निर्णय अनुसार सतत् शिक्षा अभियान में प्रेरक के पद पर चयन हेतु वरीयता में पढ़ना—बढ़ना आंदोलन में गुरूजी के पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को दी जाएगी। प्रेरक ग्राम का स्थानीय निवासी होगा। प्रेरक की न्यूनतम योग्यता कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण होगी, अधिक योग्यता वाले को प्राथमिकता दी जायेगी। 33 प्रतिशत स्थान महिला प्रेरकों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे। जिन गुरूजियों ने अपनी समिति को स्वयं सहायता समूह में परिवर्तित कर लिया है, उन्हें वरियता दी जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होगी। अन्य प्राथमिकता उन व्यक्तियों की दी जाएगी जिन्होने सामाजिक तथा ग्राम के विकास कार्यों में सहयोग किया हो, शासकीय योजनाओं की पर्याप्त जानकारी हो।

चयन प्रकिया :—

प्रेरक पद के लिए आवेदन पत्र ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के माध्यम से जिला साक्षरता समिति को भेजा जायेगा। आवेदन पत्रों के साथ योग्यता प्रमाण पत्रों, सामाजिक कार्यों के प्रमाण पत्रों तथा पढ़ना—बढ़ना आंदोलन के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जायेगी। स्थानीय निवासी एंव जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे। जिला साक्षरता समिति द्वारा गठित नियुक्ति समिति आवेदन प्त्रों पर विचार कर नियुक्ति देगी। नियुक्ति के मामले में नियुक्ति समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। इस निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

प्रेरक के कार्य एवं दायित्व

- केन्द्र की स्थापना
  - रूपरेखा बनाना, स्थान का विवरण, सूचना चार्टो की तैयारी, चार्ट, पोस्टर को उचित प्रकार से दर्शाना।
  - केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जानकारी समुदाय तक पहुंचाना।
  - समुदाय के नेता द्वारा केन्द्र का उद्घाटन करवाना।
  - निश्चित समय अंतराल में जानकारियों को अद्यतन करना।
  - फर्नीचर व उपकरणों का रख—रखाव स्थानीय लोगों की मदद से करना।
- वाचनालय
  - रूपरेखा डिजाईन करना।
  - फर्नीचर किताबों की अलमारी आदि की रूपरेखा के अनुसार रखना।
  - किताबों, समाचार पत्र—पत्रिकाओं को व्यवस्थित रूप से रखना।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

- वाचनालय के कामों व अध्ययन सत्र का समय विभाजन करना।
- वितरण व स्टॉक पंजी का लेखन व रख रखाव।
- नई चीजों को दर्शाना।
- अध्ययन सत्र का संचालन
- सीखने व पढ़ने की आवश्यकताओं की पहचान करना तथा प्राथमिकता देना।
- समाज की प्राथमिकता व आश्यकतानुसार पढ़ने व सीखने की आवश्यकताओं को बताना तथा जिला साक्षरता समिति को इसकी पूर्ति के लिए बताना।
- पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त पुस्तकों की जानकारी होना।
- जिला साक्षरता समिति पठन सामग्री की आवश्यकता, उपयोगिता व प्रभाव के बारे में फीड बैक देना।

- विकासात्मक गतिविधियों, सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए व्याख्यान/प्रदर्शन सत्र का आयोजन।
  - समुदाय की आवश्यकता के अनुरूप विषय/ विषयवस्तु की पहचान करना व इस विषय में जिला साक्षरता समिति को जानकारी देना।
  - निर्धारित गतिविधियों के समय व दिनांक संवंधी जानकारी समुदाय को देना।
  - विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए व्यवस्था करना तथा पंजी में रिकार्ड रखना।

- खेलकूद गतिविधियों का आयोजन :–
  - अपने क्षेत्र के प्रचलित खेलकूद की सूची बनाना
  - खेलकूद का समय निर्धारित करना
  - युवा क्लव, महिला मण्डल से संपर्क बनाए रखना
  - खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना।
- सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन :–
  - स्थानीय लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक, नृत्य, संगीत भजन आदि की पहचान करना।
  - कलाकारों की पहचान करना।
  - सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन व लाभार्थी के प्रशिक्षण के लिए इनका सहयोग सुनिश्चित करना।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

- सूचना केन्द्र का प्रबंधन :–
  - विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करना तथा समुदाय तक जानकारी पहुंचाना।
  - ग्राम फसलों, जनसंख्या, शिक्षण संस्थाओं, व्यवसाय, स्वास्थ्य सुविधाओं अन्य सहकारी विभागों की जानकारी इकट्ठा करना तथा संग्रहित जानकारी चार्ट के रूप में दर्शाना तथा जानकारी को अद्यतन करना।
  - विभिन्न विभागों के कियाकलापों व वातावरण निर्माण में सहयोग देना।

- महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना
  - महिलाओं के लिए विशेष गतिविधियों की पहचान।
  - स्वयं सहायता समूहों का निर्माण व संचालन।

- रिकार्ड का प्रबंधन
  - प्रत्येक प्रकार का रिकार्ड पृथक बनाना।
  - निर्धारित समय उनकी जांच करवाना।

- अन्य
  - सतत् शिक्षा कार्यकम को बनाए रखने के लिए सामुदायिक संसाधनों को गतिशील बनाना।
  - वित्तीय मामलों का प्रबंधन
  - रिपोर्टस बनाना व नोडल सतत शिखा केन्द्र, जिला साक्षरता समिति को भेजना।
  - क्षेत्र के क्लब व गैर सरकारी संगठनों से संपर्क रखना।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

साक्षरता केन्द्र चलाना :–

1. योग्य निरक्षक/ नवसाक्षर/ अर्द्ध साक्षरों का सर्वे व पहचान करना तथा उनकी साक्षरता कौशल के आधार पर उनका समूह बनाना।
2. समय विभाग चक बनाना।
3. साक्षरता केन्द्र में निम्न व्यवस्था करना जैसे :– पोस्टरों को लगाना, आरामदायी बैठक व्यवस्था, सीखने व सीखाने के उपकरण, उचित प्रकाश की व्यवस्था करना।
4. समय चक्र के अनुसार साक्षरता कक्षा चलाना।
5. संबंधित रिकार्ड/ रजिस्अर जैसे उपस्थिति रजिस्टर,सर्वे रजिस्टर रखना।
6. सीखने वालों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग करना।
7. सीखने वालों की उपलब्धि का आंकलन करना।
8. बाह्य मूल्यांकन के लिए सीखने वाले को मार्गदर्शन देना।

नोडल प्रेरक के दायित्व

संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र का अनुवीक्षण :–

1. किताबों व अन्य सामग्री वितरण।
2. किताबों व अन्य सामग्री का विवरण पूर्ति जो जिला साक्षरता समिति द्वारा संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र को दी गई है।
3. पुस्तकालय व वाचनालय का प्रबंधन
4. प्रदान की गई राशि व सदस्यता शुल्क से प्राप्त राशि के एकाउन्टस की जांच करना।

मॉनिटरिंग व मूल्यांकन

1. संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र से प्राप्त प्रतिवेदन को प्राप्त करना व समीक्षा करना।
2. प्रतिवेदन को संकलित कर जिला साक्षरता समिति को भेजना।
3. सतत् शिक्षा कार्यकमों में जनभागीदारी का मूल्यांकन करना।
4. साक्षरता कक्षाओं का संचालन

समन्वय व संबंधन :–

1. जिला साक्षरता समिति सतत् शिक्षा प्रेरक के बीच समन्वय व संबंध बनाए रखना।
2. विकासखण्ड अधिकारी से समन्वय बनाए रखना।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जीवन सुधार कार्यक्रम में प्रेरक की भूमिका :–

1. समाज की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा आयोजित कराना।
2 मिलते–जुलते पाठयक्रम से वर्तमान में चलने वाली शिक्षण संस्थान से सतत् संपर्क बनाये रखना। जैसे– राज्य ओपन स्कूल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान।
3. जिन कार्यक्रमों में लोग उत्साहित हों जैसे– योग, ध्यान, कवि–सम्मेलन, मुशायरा, कला, पेंटिंग इन कार्यक्रमों का आयोजन कराना।

समतुल्यता कार्यक्रम में नोडल प्रेरक की भूमिका :–

1. समतुल्यता कार्यक्रम के लिए नवसाक्षरों को तैयार करना।
2 समतुल्यता कार्यक्रम के अंतर्गत साक्षरता अभियान/ पढ़ना–बढ़ना आंदोलन के नवसाक्षर को ही सम्मिलित करने के साथ–साथ ग्राम के अन्य उत्साही युवकों को भी सम्मिलित किया जायेगा
3. संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र यदि ग्राम से दूर स्थित हो तो जन सहयोग से उसे सही जगह स्थापित करना।

आय उपार्जन कार्यक्रम में प्रेरक की भूमिका :–

1. पढ़ने वालों की जरूरतों और रूचि के अनुसार विशेष रूप से आय उपार्जन कार्यक्रम के लिए लोगों की पहचान करना।
2 पाठकों की रूचि एवं आवश्यकतानुसार उन्हें आय उपार्जन कार्यक्रम से जोड़ना।
3. चुने हुए आय उपार्जन के कार्यक्रम से संबंधित संसाधनों से संपर्क स्थापित करना जो उस विशेष कार्यक्रम की जानकारी से लोगों को लाभांवित कर सकें। ऐसे व्यवसाय स्थानीय विकासखण्ड व जिला स्तर पर हों।
4. औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता देना।
5. शिक्षण के दौरान पाठकों को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना।

व्यक्तिगत रूचि प्रोन्नत कार्यकम में नोडल/प्रेरक की भूमिका :–

1. व्यक्ति की अलग–अलग रूचियों को चिंहित करना।
2. कार्यकम के लिए आवश्यक संस्थानों के उपयोग की पहल हेतु सहयोग एवं मार्गदर्शन देना।
3. पाठकों की रूचि एवं आवश्यकतानुसार सहयोगी माध्यमों से जोड़कर लाभांन्वित कराना।
4. कुछ विशेष कार्यकमों में पाठकों के साथ व्यवितगत भाग लेकर उन्हें उत्साहित करना एवं समस्याओं का समाधान करना।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

शासकीय / अशासकीय विकासात्मक गतिविधियों से समन्वय :-

सतत् शिक्षा के कार्यक्रम को अलग-अलग से न देखते हुए संपूर्णता में देखना होगा। सतत् शिक्षा कार्यक्रम के जरिये नवसाक्षरों के कौशल विकास के साथ-साथ समुदाय एवं क्षेत्र का विकास भी होगा। ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विााग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य विभागों के कार्यक्रम का मुख्य क्षेत्र भी ग्रामीण ही है। सतत शिक्षा का लक्ष्य समूह अन्य योजनाओं के लक्ष्य समूह में भी आवश्यक है। सतत् शिक्षा कार्यक्रम के स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे शासकीय / अशासकीय विभागों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं में समन्वय स्थापित किया जावेगा, जिसके कार्यक्रम निरन्तर चलने वाले तथा स्थायित्व लिए हुए हैं। सतत शिक्षा कार्यक्रमों के निम्न स्तरों पर समन्वय स्थापित किया जायेगा।

1. प्रेरकों के चयन में :-

प्रेरक पढ़ना-बढ़ना आंदोलन में पढ़ाने वाले गुरूजियों को ही बनाया जायेगा। ये गुरूजी पहले से ही ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, रिटायर्ड शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में सकिय हैं।

2. सूचनाओं के माध्यम से :-

शासकीय योजनाओं अर्थात् पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की योजनाएं जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।

3. सामग्री के माध्यम से समन्वय :-

विभिन्न विभागों एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा जनउपयोगी प्रकाशित सामग्री को सतत् शिक्षा, केन्द्र नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र पर एकत्रित किया जायेगा एवं इस उपलब्ध सामग्री को नवसाक्षरों को देकर उनका ज्ञानावर्धन एवं कौशल विकास किया जायेगा।

4. प्रशिक्षण कार्यकम में समन्वय :-

अन्य विभागों द्वारा किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यकमों में समय-समय पर प्रेरक नोडल प्रेरक तथा लक्षित समूह के लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा। जनशिक्षा केन्द्र तथा ग्राम स्तर पर होने वाले

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

प्रत्येक प्रशिक्षण को जिला साक्षरता समिति तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापितकर संयुक्त रूप से भी आयोजित करवायेगी।

सतत् शिक्षा कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर विकासखण्ड स्तर पर तथा जिला स्तर पर समन्वित किया जावेगा।

जिले में संचालित शहरी विकास अभिकरण के मूलभूत सेवा केन्द्रों का उपयोग संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र के उपयोग हेतु किया जायेगा। मूलभूत सेवा केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र तथा नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र के लक्ष्य समूह को प्रेरित करने में किया जायेगा। इस कार्य के लिए जिला शहरी विकास अभिकरण एवं जिला साक्षरता समिति संयुक्त रूप से प्रयास करेगी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, रोजगार आश्वासन योजना, ग्रामीण आवास ऋण तथा अनुदान योजना, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। कृषि विभाग की बायोगैस, दलहन–तिलहन विकास योजना, नाडेप खाद बनाना, कृषि विस्तार योजना इत्यादि।

- महिला एवं बाल विकास की योजनाएं सिलाई बुनाई, प्रशिक्षण, ग्राम्या योजना, मातृत्व कल्याण, राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन इत्यादि।
- वन विभाग की योजनाएं सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना, तेंदूपत्ता संग्रहण।
- कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, नर्सरी विकास इत्यादि।
- उद्योग विभाग की पतल–दोना बनाना, टोकरी बनाना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि।
- मत्स्य उद्योग की योजनाएं मत्स्य बीज, मत्स्य पालन योजना इत्यादि।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अन्य विकास विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी संकलित रूप में संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र तथा नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र स्तर से दी जायेगी। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि इन सूचनाओं को देने के लिए संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र पर एक सूचना केन्द्र स्थापित किया जायेगा।

शासकीय विभागों एवं अशासकीय संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर इनके द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजनाओं की जानकारी एकत्रित की जायेगी।

जिला स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों जनपद पंचायतों तथा जिला अधिकारियों तथा कर्मचारियों का सहयोग वातावरण निर्माण जैसे रेलियों, सम्मेलनों का सहयोग वातावरण निर्माण जैसे रेलियों, सम्मेलनों, बैठकों, पम्पलेट, पोस्टर, वितरण सर्वेक्षण, प्रशिक्षण, पठन–पाठन, मॉनिटरिंग सामग्री वितरण तथा मूल्यांकन में किया जायेगा। जिला साक्षरता समिति के द्वारा इन लोगों को जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रेरणात्मक बैठकें सम्मेलन तथा कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त भूमिकाओं में शासकीय कला पथक दल एवं अशासकीय कला पथक दलों के द्वारा साक्षरता गीत, प्रहसन नाटक, एकांकी नाटक, नुक्कड़ नाटक इत्यादि प्रस्तुत कर सतत शिक्षा कार्यकम के अंतर्गत समन्वय स्थापित कर वातावरण निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य किया जायेगा। स्वैच्छिक संगठनों एंव समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सदस्यों के लिए जिला साक्षरता समिति द्वारा विशेष बैठकों एवं सम्मेलनों का आयोजन कर सतत शिक्षा कार्यकम में इन्हें वातावरण निर्माण सर्वेक्षण, प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन इत्यादि विभिन्न प्रकार के दायित्वों को सौंपकर सकिय एवं समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अध्याय – 6

परियोजना की प्रमुख गतिविधियां

अध्याय – 6

प्रमुख गतिविधियां

सतत् शिक्षा कार्यकमों का प्रमुख लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि केन्द्र पर सभी सीखने के लिए उचित एवं प्रभावी अवसर उपलब्ध हों। अतः संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र केवल मिलने या इकठ्ड़ा होने का स्थान न होकर लोगों की जीवन पर्यन्त सीखने की जरूरत को पूरा करने वाला केन्द्र होगा।

परियोजना निर्माण् के पूर्व जिला जनपद और संकुल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यकम व बैठक आयोजित की गई जिससे ग्राम स्तर से परियोजना निर्माण की विषय वस्तु एवं आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाकर संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र पर निम्नांकित गतिविधियां संचालित करने के तथ्यातमक सुझाव उभरकर सामने आये हैं :–

1. वाचनालय :–

संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एक वाचलनालय के रूप में काम करेगा, जिसमें दीवार समाचार लेखन, दीवार समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्रों के साथ उपयोगी तथा मनोरंजनात्मक पत्रिकाएं रखी जावेगी। इनका अध्ययन करने के लिए प्रत्येक एक घूमती हुई मेज रखने का प्रावधान रखा जावेगा तथा इन प्रत्र–पत्रिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए अलमारी की व्यवस्था की जावेगी, जिससे इन वाचनालयों के प्रति लोगों की रूति तथा रूझान बढ़े और वे इसका समुचित लाभ उठा सके।

एक आदर्श वाचनालय, पुस्तकालय का कमरा कम से कम 10X10 वर्ग फीट का होगा। किताबें और अन्य लिखने की सामग्री रखने के लिए एक अलमारी होगी। जो किताबों का उपयोग करने वाले लोग कर सके। सतत् शिक्षा की अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार कमरा रहेगा, जिसमें दरी बिछाई जावेगी तथा मनोरंजन के लिए टी.वी.भी होगा। खेल सामग्री, सांस्कृतिक कार्यकमों की सामग्री तथा अन्य रिकार्ड रखने के लिए उक्त कमरे में जगह सुनिश्चित की जावेगी। इस प्रकार संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र के लिए एक पुस्तकालय, एक हॉल, एक स्टोर होगा तथा केन्द्र में पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था भी होगी। संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र का भौतिक स्वरूप पारंपरिक स्वरूप का हो सकता है, परन्तु उसमें पर्याप्त हवा एवं प्रकाश की व्यवस्था होगी।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ में ही संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र के निर्माण डिजाईन एवं आंतरिकत साज सज्जा सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के लोगों की सहभागिता ली जावेगी। संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र का नाम स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में लिखकर बोर्ड को ऐसे स्थान पर लगाया जावेगा जहां से उसे लोग सुविधापूर्वक देख सकें। मुख्य हॉल में नवसाक्षरों द्वारा बनाए दो चार्ट लगाए जावेंगे।

चार्ट नम्बर–1

1. केन्द्र का डाक पता
2. प्रशासनिक स्तर
3. पंचायत मुखिया
4. ग्राम मुखिया
5. जनसरपंच महिला / पुरूष
6. साक्षरता महिला / पुरूष
7. आय उपार्जन की प्रमुख गतिविधियों
8. ढांचागत संरचना
9. आगामी शासकीय योजनाएं

केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाएं :–

1. पुस्तकालय
2. खेलकूद
3. सूचनाएं
4. अन्य गतिविधियां

चार्ट नम्बर–2

पी.आर.ए.तकनीकी से तैयार किया गया ग्राम का एक नक्शा होगा जिसमें स्थानीय सहभागिता होगी तथा यह नक्शा निम्न स्थितियों को प्रदर्शित करेगा।

1. संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र
2. शालाएं
3. रेल्वे स्टेशन/बस स्टेण्ड
4. जल संसाधन स्त्रोत
5. स्वास्थ्य केन्द्र
6. शासकीय कार्यालय एवं अन्य रूचि के स्थान

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

यह नक्शा क्षेत्रीय लोगों के द्वारा तैयार किया जावेगा पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें विषयवार एवं स्तर अनुसार सूचीबद्ध कर रखी जाएगी। सूचना प्रदर्शित करने वाले चार्टों को एवं पुस्तकों की सूची को नियमित अंतराल से अद्यतन किया जायेगा। सीखने वालों को केन्द्र की सफाई एवं रख–रखाव के लिए जिम्मेदार बनाया जायेगा। प्रेरक छोटे समूह को इस उत्तरदायित्व के निर्वहन की प्रेरणा देगा जो चक्रीय क्रम उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे।

2. **पुस्तकालय का संचालन :–**

लोगों की साक्षरता को स्थायित्व प्रदान करने एवं जागरूक बनाने के लिए प्रत्येक संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र पर एक पुस्तकालय का निर्माण किया जायेगा। इस पुस्तकालय में दैनिक समाचार पत्र एवं मासिक पत्रिकाओं के अतिरिक्त रोचक, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी पुस्तकें भी रखी जायेंगी।

नवसाक्षरों हेतु साहित्य के निर्माण एवं चयन के पूर्व उनकी जरूरतें जानने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा तथा पुस्तकालय में नवसाक्षरों के ज्ञान स्तर के अनुसार पुस्तकें रखी जावेगी। ऐसी व्यवस्था की जावेगी कि लोग पुस्तकों को घर ले जाकर पढ़ सकेंगे। इन पुस्तकों की सुरक्षा के लिए संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र पर अलमारी की व्यवस्था की जावेगी, पुस्तक दन दाताओं से अपील की जावेगी कि उनके पास उपलब्ध पुस्तकों को दान संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र के पुस्तकालय के लिए करे इस प्रकार से 05 वर्ष में पुस्तकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध हो जावेगा और ऐसी आशा की जाती है कि 05 वर्ष के बाद दानदाताओं के द्वारा पुसतकें देने से पुस्तकालय निर्विध्न रूप से संचालित होता रहेगा।

3. **चर्चा मण्डल :–**

अलग–अलग विषययों पंर विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए प्रत्येक संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र पर चर्चा मण्डल का गठन किया जायेगा जिसमें सदस्यों में नव साक्षरों के साथ–साथ्‍ज्ञ निरक्षर व बौद्धिक व्यक्ति भी सदस्य रहेंग। यह ध्यान रखा जावेगा कि प्रत्येक तात्कालिक विषयों पर चर्चा मण्डल में शीघ्र चर्चा हो जिससे की चर्चा के दौरान उभरकर आये तथ्यों के आधार पर लोगों की समस्याओं को हल किया जा सके।

4. **सूचना केन्द्र :–**

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

विभिन्न विभागों से संबंधित विकास योजनाओं की सूचना प्रदान करने के लिए केन्द्र पर सूचना केन्द्र स्थापित किया जावेगा इसके लिए एक सूचना कक्ष खोला जावेगा जिसका कार्य होगा

जरूरत मंदों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना तथा उसके कियान्वयन में मदद करना।

5. मनोरंजनात्मक तथा सांस्कृतिक गतिविधियां :-

ग्राम स्तर पर प्रचलित परंपरागत लोकगीतों की प्रतियोगिता करवाने, चित्रकला प्रतियोगिता करवाने, लोक कथाओं का आयोजन कर, रंगोली प्रतियोगिता, भजन मंडली, रामायण मण्डली के कार्यकम इत्यादि सांसकृतिक व मनोरंजनात्मक गतिविधियां आयोजित की जावेगी, जिनके माध्यम से साक्षरता, जनसंख्या व महिला शिक्षा संबंधी संदेश प्रचारित किये जावेंगे। इन कार्यकमों के करने से आपसी मेलजोल बढ़ेगा। ये गतिविधियां लोगों की कारगर भागीदारी से सम्पन्न की जावेगी।

6. भ्रमण कार्यकम :-

संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र द्वारा नये विषयों को जानने के लिए सतत् शिक्षा के लक्ष्य समूहों के लिए भ्रमण कार्यकम आयोजित किये जावेंगे जिसके लिए वाहन आदि की व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार जनसहयोग से की जावेगी।

7. प्रशिक्षण कार्यकम :-

केन्द्र सतत् शिक्षा के अन्य कार्यकमों से कौशल विकास के लिए अंशयोजना बनायेगा। जिसे चार प्रमुख नवाचार कार्यकमों दर्शाया गया है।

पूर्व के शेष रहे असाक्षरों को साक्षर करने हेतु रणनीति

जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान तथा पढ़ना-बढ़ना आंदोलन के संचालन के पश्चात भी लगभग ढाई लाख लोग असाक्षर रह गये हैं। यह एक बड़ा समूह है, जिसके लिए सतत् शिक्षा कार्यकम में कार्य किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सतत शिक्षा अभियान में साक्षरता वृद्धि हेतु

रणनीति बनाई जाकर आगामी 5 वर्षों में निरक्षरों को साक्षर किए जाने हेतु योजना प्रस्तावित की गई है।

विदिशा जिला साक्षरता एक दृष्टि में (2001 की जनगणना के अनुसार)		
कुल जनसंख्या	पुरूष	260312
	महिला	954480
	योग	1214792
साक्षर प्रतिशतं	पुरूष	74.71 प्रतिशत
	महिला	47.45 प्रतिशत
	योग	62.10 प्रतिशत
15 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के असाक्षर	पुरूष	2165
	महिला	164331
	योग	246496

सतत शिक्षा परियोजना के अंतर्गत साक्षरता वृद्धि हेतु 15 से 50 वर्ष आयु से अधिक के स्त्री पुरूषों का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य 246496 को सतत शिक्षा परियोजना के अंतर्गत 5 वर्षों में साक्षर करने की रणनीति निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

लक्ष्य –246496 प्रेरक संख्या–1443 गुरूजी संख्या –1222

कं.	वर्ष	कुल साक्षर
1	प्रथम वर्ष	70000
2	द्वितीय वर्ष	49000
3	तृतीय वर्ष	49000
4	चतुर्थ वर्ष	49000
5	पंचम वर्ष	29000
योग		246000

पढ़ना बढ़ना समिति का गठन

प्रत्येक ग्राम स्तर पर पढ़ना बढ़ना आन्दोलन के बारे में विस्तृत जानकारी एवं प्रेरणा दउेने के लिए जिले में निर्धारित तारीखों को "ग्राम सभा" का आयोजन किया जाएगा जिसमें इस योजना की जानकारी देकर "पढ़ना बढ़ना समिति" का गठन किया जायेगा। समिति के निरक्षर व्यक्तियों की आयु

15 से 30 वर्ष के बीच हो सकती है। पूर्व से किसी अन्य उद्देश्य के लिए संगठित एवं कार्यरत समूहों में यदि पढ़ने लिखने के इच्छुक निरक्षर व्यक्ति हैं तो यह समूह भी पढ़ना बढ़ना समिति के रूप में कार्य कर सकता है। शिक्षा ग्राम सभा के आयोजन में सरपंच, पंच एवं स्थानीय शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा ग्राम सभा के आयोजन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतें उत्तरदायी होगी। शिक्षा ग्राम सभा के आयोजन उपरांत गठित "पढ़ना बढ़ना समिति" के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर हर ग्राम पंचायत जन शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत करेगी।

यह पढ़ना बढ़ना समितियां आन्दोलन में साक्षरता दक्षता प्राप्त करने के बाद सतत शिक्षा कार्यक्रम की ओर अग्रसर होंगी और उसी के आधार पर सतत शिक्षा में सुदृढ़ रूप से प्रवेश करेंगी ताकि पढ़ना बढ़ना निरंतर जारी रहे।

गुरूजी का चयन

पढ़ना बढ़ना समिति द्वारा समुदाय में से किसी स्थानीय व्यक्ति को अपना गुरूजी चुन सकेगी। कोई भी योग्य स्थानीय शिक्षित व्यक्ति (कम से कम आठवीं पास) गुरूजी हो सकता है जिसमें शिक्षा गारंटी शाला का गुरूजी, शिक्षक, पूर्व साक्षरता कर्मी, सेवानिवृत्त व्यक्ति या कोई भी मैदानी कार्यकर्ता, नवयुवक युवती सम्मिलित है, हो सकता है। ऐसे स्थान जहां आठवीं कक्षा उत्तीण व्यक्ति उपलब्ध न हो वहाँ पर इस शैक्षणिक योग्यता में जनशिक्षा केन्द्र द्वारा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिथिलता दी जा सकती है। पढ़ाई की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए लगभग 20–40 निरक्षरों के लिए एक गुरूजी का चयन किया जाए।

पढ़ना बढ़ना समिति का मांग पत्र

चयनित गुरूजी इस पढ़ना बढ़ना समिति के सदस्यों की जानकारी के साथ पढ़ने लिखने की व्यवस्था करने की मांग जन शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत करेगा।

मांग पत्र सादे कागत पर दिया जा सकता है जिसमें निरक्षर व्यक्तियों के नाम, उम्र, गुरूजी का नाम इत्यादि की जानकारी होगी। इस मांग पत्र का सुझावात्मक प्रारूप परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। मांग निर्धारित प्रारूप में न होन पर भी इस आधार अस्वीकृत नहीं की जाएगी कि वह प्रारूप में नहीं है। सादे कागज पर दी गई जानकारी को भी मांग पत्र माना जाएगा।

जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर यह मांग पत्र प्राप्त होने पर जनशिक्षा प्रभारी इस मांग पत्र में उल्लेखित जानकारी का प्रमाणीकरण निम्नवत करवायेगा।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी सर्वप्रथम मांग पत्र में उल्लेखित व्यक्तियों के वास्तविक प्रमाणीकरण हेतु एक टीम गठित कर भेजेगा। इस टीम में निम्नानुसार व्यक्ति होंगे।

- पास की प्राथमिक शाला का शिक्षक
- ग्राम शिक्षा समिति/शाला प्रबंध समिति का अध्यक्ष स्थानीय पंच/स्थानीय पार्षद
- स्थानीय शिक्षक/गुरूजी

जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी मांग पत्र प्राप्त होने के बाद 10 दिवस के भीतर अनिवार्यतः प्रमाणीकरण करवाएगा। टीम द्वारा मांग पत्र में उल्लेखित व्यक्ति वास्तव में निरक्षर है या नहीं इसकी जांच इसमें शामिल होगी।

मांग पत्र स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना.......

जांच उपरांत जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी निर्धारित प्रपत्र में वास्तविक स्थिति का प्रतिवेदन एक सप्ताह में जनपद शिक्षा केन्द्र को सूचना देते हुए जिला शिक्षा केन्द्र को भेजेगा। साथ ही मांग स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना पढ़ना बढ़ना समिति व उसके द्वारा प्रस्तावित गुरूजी को देगा। यह सूचना (निर्धारित प्रपत्र 'ब' में जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर मांग पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर अनिवार्यतः दी जानी होगी।

मांग पत्र पर जिला स्तर की कार्यवाही

जिले स्तर पर प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामवार निरक्षरों की जानकारी तैयार की जाएगी।

जिला शिक्षा केन्द्र, जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर गुरूजी के प्रशिक्षण तथा साक्षरता सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

पठन पाठन सामग्री

पठन–पाठन हेतु वही सामग्री उपयोग में ली जायेगी जो संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान उपयोग की जाती रही है और जिसका विकास राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा किया गया है। इस पठन–पाठन सामग्री में सीखने की बेहतर गति और विषय वस्तु (IPCL) में शिक्षार्थी द्वारा अपना मूल्यांकन स्वयं करने की व्यवस्था की गई है। जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों में आगे पढ़ने की प्रेरणा को बढ़ाना है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सीखने की बेहतर गति और विषय वस्तु के अंतर्गत 3 वर्गीकृत प्रवेशिकाओं का उपयोग किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक प्रवेशिका साक्षरता के निश्चित स्तर के अनुरूप है। इस प्रवेशिका में अभ्यास के लिए जगह और लगातार शिक्षार्थी के मूल्यांकन के लिए जांच पत्रों की व्यवस्था भी है।

निरक्षर व्यक्तियों को साक्षरता सामग्री के रूप में प्रवेशिका भाग–1, भाग–2 एवं भाग–3 दी जाएगी। स्लेट, पेंसिल इत्यादि की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रवेशिका भाग–2 एवं भाग–3 क्रमशः पूर्ववर्ती प्रवेशिकाओं को पूरा कर लेने के उपरांत ही गुरूजियों को प्रशिक्षण के समय उपलब्ध कराई जाएगी।

गुरूजियों को भी यह शिक्षण सामग्री और संदर्शिका दी जाएगी।

शिक्षण सामग्री प्रशिक्षण के लिए स्त्रोत व्यक्तियों, मास्टर ट्रेनर्स को भी दी जाएगी।

सामग्री का मुद्रण व क्रय की जिम्मेदारी जिले की ही होगी।

सामग्री का वितरण समयबद्ध रूप से किया जायेगा तथा प्रत्येक शिक्षार्थी को शिक्षण सामग्री का पूरा सेट दिया जाएगा।

मांग पत्र के आधार पर आवश्यक सामग्री का क्रय/मुद्रण करने के पूर्व जिला साक्षरता समिति के पास उपलब्ध सामग्री को भी ध्यान में रखा जाएगा। पहले जिला साक्षरता समिति के पास उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाएगा।

प्रशिक्षण

गुरूजी को कुल 07 दिवस का प्रशिक्षण जन शिक्षा केन्द्र/जनपद शिक्षा केन्द्र स्तर पर दिया जाएगा। जिसमें प्रथम चरण में 03 दिवस का प्रशिक्षण तथा प्रवेशिका–1 उपरांत 02 दिवस का व प्रवेशिका–2 के उपरांत 02 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

गुरूजी के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना होगा:–

- 20 से 25 निरक्षर व्यक्तियों के लिए 01 गुरूजी।
- प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र से 02 शिक्षक (मास्टर ट्रेनर्स)

जिला स्तर की शैक्षिक/अकादमिक समिति के सदस्य (जिले के जनशिक्षा केन्द्रों की संख्या/मांग पत्र अनुसार गुरूजियों की संख्या के आधार पर) (स्त्रोत व्यक्ति) जिला स्तर पर गठित जिला शैक्षिक समिति/स्त्रोत व्यक्तियों को राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा तथा जनशिक्षा केन्द्र के शिक्षकों

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

को स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह शिक्षक गुरूजी को प्रशिक्षित करेंगे। सभी स्तरों पर कुल प्रशिक्षण 07 दिवस का रहेगा।

प्रशिक्षण का कार्य प्रशिक्षकों की संख्या के आधार पर जिला स्तर पर भी सुविधाजनक हो वहाँ जिला संपन्न करा सकेगा। इस संबंध में आवश्यक राशि जिले स्तर से डाइट/प्रशिक्षण संस्था को एडवांस के रूप में दी जाएगी। समस्त प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात डाइट/प्रशिक्षण संस्था के द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित व्यय एवं वाउचर्स संधारित कर जिला केन्द्र को दिए जाएंगे। जहाँ उनका समायोजन किया जायेगा।

साक्षरता कक्षा का आरंभ

प्रशिक्षित गुरूजी प्रशिक्षण प्राप्त करने के 5 दिवस के भीतर अथवा प्रशिक्षण के समय दी गई तिथि से अनिवार्यतः साक्षरता कक्षा प्रारंभ करेंगे।

पढ़ाई का स्थान व समय का निर्धारण गुरूजी व पढ़ना–बढ़ना समिति द्वारा आपसी सहमति से तय किया जाएगा।

प्रेरणा एवं अकादमिक समर्थन

पढ़ना–बढ़ना समिति के सदस्यों व गुरूजी का सतत मनोबल बढ़ाने, उन्हे प्रेरित करने, समर्थन देनेव उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जनशिक्षा केन्द्र के शिक्षकों, पंचायतों द्वारा जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर सहयोगी तरीके से एक रणनीति बनाई जाएगी। इसमें समय पर सामग्री उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण के लिए सुविधा उपलब्ध कराने, साक्षरता गतिविधियों को ठीक ढंग से चलाने में मदद करना और समय पर जानकारी प्रदान करना सम्मिलित है।

गुरूजी द्वारा संचालित साक्षरता कक्षा को नियमित रूप से समर्थन देने की जवाबदारी जिला शिक्षा केन्द्र, जनपद शिक्षा केन्द्र, जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी तथा ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड समिति के सदस्यों की होगी। जनशिक्षा केन्द्र जनशिक्षक एवं साक्षरता में रूचि रखने वाले व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर सुविधाजनक एवं गुणात्मक दृष्टि से समन्वय का कार्य करेगा।

प्रत्येक माह में कम से कम एक बार जनशिक्षा केन्द्र पर समस्त गुरूजियों के साथ अनुभव आदान प्रदान बैठक रखी जाएगी जिसमें सहभागिता के आधार पर कठिनाईयों का उसी स्तर पर निराकरण का प्रयास किया जाएगा। जनशिक्षा केन्द्र प्रत्येक संपर्क सूत्र के माध्यम से साक्षरता कक्षाओं

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं प्रदान करेंगे। जिससे समस्या का निराकरण संभव हो सके और सहभागी तरीके से तैयार की गई रणनीति के आधार पर कार्यक्रम कियान्वयन किया जा सके।

गुरूजी प्रतिमाह साक्षरता कक्षा में उपस्थित व्यक्तियों की पठन–पाठन की स्थिति की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी को भेजेगा।

जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी संकलित प्रतिवेदन जनपद एवं जिला शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करेगा।

संकलित प्रतिवेदन जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा राज्य शिक्षा मिशन को भेजा जायेगा जिस पर प्रतिमाह मासिक समीक्षा बैठक में चर्चा की जाएगी। इस संबंध में जनशिक्षा केन्द्र एवं उसके समन्वयक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। अपने क्षेत्र की समस्त साक्षरता कक्षाओं को आवश्यक समर्थन उनके द्वारा दिया जाना होगा।

अकादमिक देख–रेख हेतु निम्नानुसार संरचनात्मक ढांचा होगा।

गुरूजी ➲ जनशिक्षा केन्द्र ➲ जनपद शिक्षा केन्द्र ➲ जिला शिक्षा केन्द्र ➲ राज्य शिक्षा मिशन

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

मॉनिटरिंग

सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित साक्षरता कक्षाओं के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं सुझाव हेतु सुदृढ़ मॉनिटरिंग तंत्र का होना अति आवश्यक है। अतः साक्षरता कक्षाओं के सुव्यवस्थित संचालन हेतु मॉनिटरिंग तंत्र की संरचना निम्नानुसार होगी :–

त्रिपादीय ढांचा

- कलेक्टर पदेन अध्यक्ष
  - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
    - जिला शिक्षा अधिकारी
    - जिला प्रौढ़ शिक्षा अधि.
    - जिला परियोजना समन्वयक
    - पंचायत प्रतिनिधि
- जिला परियोजना समन्वयक → जनपद शिक्षा केन्द्र स्तर पर
  - अनु.अधि. (राजस्व)
  - मु.का.अधि. (जन.पंचा)
  - वि.खं.शि.अधि.
  - वि.ख.स्त्रोत समन्वयक
  - पंचायत जनप्रतिनिधि
- नोडल संस्कृति केन्द्र स्तर पर
  - क्षेत्रीय शासकीय अमला
  - नोडल प्रेरक
  - संकुल शैक्षिक समन्वयक
  - नोडल पढ़ना पढ़ना संघ
  - जनप्रतिनिधि
- संस्कृति केन्द्र स्तर पर
  - ग्राम प्रभारी
  - ग्राम पढ़ना–बढ़ना संघ
  - ग्राम स्तरीय शा.अमला
  - नोडल प्रेरक
  - जनप्रतिनिधि

- पढ़ना–बढ़ना केन्द्र की मॉनिटरिंग का कार्य ग्राम पंचायत, पढ़ना–बढ़ना संघ, ग्राम प्रभारी तथा विभिन्न शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा।

- सतत शिक्षा केन्द्रों की मॉनिटरिंग नोडल प्रेरक तथा विभिन्न स्तर के शासकीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जायेगा।
- नोडल संस्कृति केन्द्रों की मॉनिटरिंग जनपद एवं जिला स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

- 11 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत नियुक्त ग्राम नोडल अधिकारी द्वारा भी संस्कृति केन्द्र/नोडल संस्कृति केन्द्र की मॉनिटरिंग की जाएगी।

शेष रहे असाक्षरों को साक्षर करने हेतु अनाई गई रणनीति में सूचना तंत्र की संरचना इस प्रकार होगी –

प्रेरक/गुरूजी
पढ़ना–बढ़ना हेतु

↓

नोडल प्रेरक
नोडल संस्कृति केन्द्र

↓

विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक
जनपद शिक्षा केन्द्र

↓

जिला शिक्षा केन्द्र
जिला साक्षरता समिति

↓

राज्य शिक्षा केन्द्र | राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

मूल्यांकन

1. प्रवेशिकाओं में दिए गए जांच पत्रों के माध्यम से सीखने वालों का सतत मूल्यांकन होगा।
2. सतत मूल्यांकन का कार्य संस्कृति केन्द्र के प्रेरक तथा गुरूजी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु जिला एवं जनपद स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
3. अंतिम मूल्यांकन का कार्य जिला शिक्षा केन्द्र के मार्गदर्शन में जनपद शिक्षा केन्द्र द्वारा कराया जायेगा।
4. अंतिम मूल्यांकन हेतु तिथियां जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित की जाएगी।
5. अंतिम मूल्यांकन निर्धारित जांच पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। यह मूल्यांकन राज्य शिक्षा मिशन/ जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा तैयार मार्गदर्शन अनुसार किया जायेगा।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

6. प्रत्येक मूल्यांकन में जांच पत्र 100 अंकों का होगा, जिसमें 40 अंक पढ़ने की योग्यता हेतु तथा 30 अंक लिखने तथा 30 अंक गणित की योग्यता हेतु रखे जाएंगे। शिक्षार्थी द्वारा प्रत्येक दक्षता में कम से कम 50 प्रतिशत तथा कुल औसत 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही उसे सफल माना जायेगा।

7. अंतिम मूल्यांकन सेम्पल पद्धति से न करते हुए शत–प्रतिशत नवसाक्षरों का होगा।

8. संस्कृति केन्द्रों तथा पढ़ना–बढ़ना केन्द्रों द्वारा निरक्षर व्यक्तियों के साक्षर होने की सूचना जनपद शिक्षा केन्द्रों को दी जाएगी व जनपद शिक्षा केन्द्र इस सूचना से जिला शिक्षा केन्द्रों को अवगत कराने पर अंतिम मूल्यांकन हेतु तिथि निर्धारित की जाएगी।

9. प्रत्येक मूल्यांकन के उपरांत मूल्यांकन टीम द्वारा प्रत्येक निरक्षर व्यवित द्वारा अर्जित योग्यता का रिकार्ड तैयार किया जायेगा जो नोडल संस्कृति केन्द्रों पर संधारित किया जायेगा।

आय अर्जन कार्यकम

हमारे देश के संविधान में प्रत्येक नागरिक को आर्थिक स्वतंत्रता एवं स्वावलंबी बनाने की व्यवस्था है। प्रत्येक नागरिक श्रम द्वारा अर्जित आय के उपयोग का अधिकार धारित करता है। जिले की सतत शिक्षा परियोजना में में स्व सहायता समूहों के माध्यम से स्त्री पुरूषों को आर्थिक स्वावलंबन हेतु प्रस्ताव दिया गया है। जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्न विषय समाहित किए गए हैं।

इस प्रकार श्रेणीवार निम्नानुसार समूह प्रशिक्षित होंगे। जिसकी विस्तृत जानकारी परिशिष्ट में दी गई है।

A	श्रेणी	3 माह	400	=	605	समूह
B	श्रेणी	1 माह	540	=	66	समूह
C	श्रेणी	10 दिवस	60	=	1013	समूह

परियोजना प्रस्ताव में यह सुनिश्चित किया गया है कि सम्मिलित हितग्राही किसी न किसी स्व सहायता समूह का सदस्य हो। वर्तमान में जिले में 150 स्व सहायता समूह बनाए गए हैं। इन समूहों का

ग्रेडिंग कार्य जारी है, ताकि इनको बैंक से ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा सके।

सतत शिक्षा परियोजना में 1684 समूहों को सम्मिलित किया जाकर, श्रेणीवार प्रशिक्षण उपरांत, विभिन्न शासकीय तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा नाबार्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप रोजगार प्रदान कर आर्थिक स्तर उंचा करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

सतत् शिक्षा एवं नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र की विस्तृत रूपरेखा :—

संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र को बहुआयामी कार्यक्रमों के लिए सक्षम बनाया जावेगा। यह एक ऐसा स्थान होगा जहां पर सीखना बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना, समतुल्यता, आय उपार्जन क्रियाकलाप तथा जीवन की गुणवत्ता आदि के कार्यक्रम संचालित होंगे। यह ऐसा केन्द्र भी होगा जहां सामाजिक कार्यक्रम, कौशल विकास के कार्यक्रम तथा विभिन्न संस्थाओं, विभागों द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं का समन्वय हो सके।

उपरोक्त गतिविधियों को ठीक तरह से संचालित करने के लिए संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र अथवा नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र जैसा एक केन्द्र समुदाय में होना आवश्यक है। उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के
लिए संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र का सभी के लिए पहुंच एवं सक्रिय तथा मित्रवत उपयोगी बनाया जावेगा।

संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र की स्थापना जहां पर की जावेगी वहां पर लोग आसानी से पहुंच सके तथा ये लोगों की आमदनी करने वाले हो।

सतत् शिक्षा एवं नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र पर सामुदायिक सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु की जाने वाली गतिविधियां :—

प्रत्येक सतत् शिक्षा व नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र पर सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रमुख गतिविधियों के साथ—साथ अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जावेगी। विभिन्न समुदायों की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती है। अतः केन्द्र पर समुदायों की आवश्यकताओं के अनुकूल निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित की जावेगी।

स्थानीय सामाजिक, आर्थिक कल्याण और समुदायों के लोगों में दृढ़ता और सामंजस्य की स्थापना करने के लिए संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र में विभिन्न सामुदायिक कियाकलापों को बढ़ावा देने और उन्हें सुविधा देने के लिए गतिविधियां आयोजित की जावेगी। सभाओं, जनसामूहिकरण, खेलों, सांस्कृतिक गतिविधियों, शिविरों, कार्यशालाओं तथा अन्य सामुदायिक कियाकलापों को सतत् शिखा केन्द्र एवं नोडल सतत शिक्षा केन्द्रों में आयोजित किया जावेगा। इन कार्यकलापों के माध्यम से सामुदायिक एकता और अपनत्व की भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

समुदाय के प्रबंधन में भागीदारी का विकास होगा एवं समुदाय के सदस्यों की कार्यक्षमता का उपयोग होगा। संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र का अंतिम उद्देश्य व्यवित्तत्व विकास है। विशेषतौर पर व्यवित एवं सामुदायिक स्तर का इसलिए यह जरूरी है, कि इसके कार्यों एवं कियाकलापों का अर्थात गतिविधियों का इस प्रकार रूपांकन कियाजावेगा कि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार के विकास में योगदान कर सके।

प्रत्येक केन्द्र पर सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु केरल की तर्ज पर दीवार, ब्लैकबोर्ड अथवा लकड़ी के बोड्र बनाकर लगवाए जाने की व्यवस्था की जावेगी। जिससे कि लोग एकत्रित होकर अपनी शिकायत व सूचना लिख सकेंगे। प्रत्येक देश व प्रदेश की तात्कालिक घटित होने वाली सूचनायें लिख सकेंगे, इन सूचनाओं में महामारी, प्राकृतिक प्रकोप आदि शामिल होंगे ताकि उनसे बचाव रोकथाम की जानकारी मिल सके। इन बोर्डो पर समाचार लेखन का कार्य ग्राम के उत्साही युवा संगठनों द्वारा भी किया जायेगा।

सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक केन्द्र को विभिन्न गतिविधियों का केन्द्र बनाने के लिए क्षेत्रीय युवाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के पृथक–पृथक क्लब/चर्चा समूह का गठन किया

जायेगा। यह क्लब/ चर्चा समूह प्रमुख रूप से निम्न कार्य करेंगे– अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए उपाय खोजना, उनका समाधान करना और इस हेतु संबंधित अधिकारियों से चर्चा करना, क्षेत्र के विकास के लिए लोगों को संगठित करना एवं उनमें आत्मविश्वास का संचार करना, स्थानीय लोगों एवं प्रशासन के बीच मधुर संबंधों की कड़ी का निर्माण करना, विभिन्नं सामाजिक सांस्कृतिक एंव राष्ट्रीय महत्व के कार्यकम आयोजित करना, क्षेत्र को स्वच्छ, स्वस्थ एवं जागरूक बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जनसहभागिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक केन्द्र पर समय–समय पर विभिन्न विभागों के सहयोग से चेतना शिविर आयोजित किये जायेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर जनजागरूकता पर जोर दिया जायेगा :

- राजीव गांधी शिक्षा मिशन।
- पर्यावरण
- स्वच्छता मिशन।
- महिला समान अधिकार एवं महिला कानून
- संपूर्ण टीकाकारण।
- बाल स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य।
- सीमित परिवार का महत्व।
- लड़की की शिक्षा पर विशेष।
- वनवानिकी।
- नशे के विरूद्ध माहौल।
- मतदाता जागरूकता।
- बाल श्रम एवं शोषण के विरूद्ध अभियान।
- उपभोक्ता अधिकार।
- मानव अधिकार।
- बचत अभियान एवं किफायतदारी।
- अधंविश्वासों के विरूद्ध अभियान।
- अछूत प्रथा, दहेज एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरूद्ध अभियान।
- पंचायत राज व्यवस्था।
- राष्ट्रीय एकता सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक सद्भावना।
- उन्नत कृषि तकनीकी की जानकारी
- पशुधन संवर्धन
- पोषण आहार एवं अन्य व्यवसायों का विकास।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

नवसाक्षर साहित्य :-

जिले के समक्ष यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नवसाक्षरों को किस प्रकार का साहित्य उपलब्ध कराया जाए। यह एक सवाल है कि जिस पर तमाम कार्यशालाओं में अनेक बहस हो चुकी है।

सतत् शिक्षा की पुस्तकों के संबंध में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एवं राज्य साक्षरता मिशन के मापदण्डों एवं निर्देशों का अनुपालन करते हुए जिले में उपलब्ध साहित्यकारों एवएं साहित्य में अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के समूहों के द्वारा नवसाक्षरों के लिए सामग्री का विकास किया जायेगा, जिसमें प्रमुख रूप से गरीबी दूर करने वाले कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ पेयजल, छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने वाले कार्यक्रम, बुनियादी स्वास्थ्य की देखरेख, सांस्कृतिक, सृजनात्मकता के विषयों के साथ ही सामाजिक एवं विकास से जुड़ी समस्यायें, नैतिक मूल्य एवं संस्कृति से जुड़ी जानकारियां, कौशल विकास की विषय–वस्तु को शामिल कर आकर्षक ढंग से और रोचकता लिए हुए तैयार की जायेगी, ताकि इन्हें उनमें पढ़ने की आदत को बढ़ावा मिल सके।

नवसाक्षरों के लिए पुस्तकों एवं पूरक सामग्री का निर्माण एवं विकास भी इस प्रकार से किया जावेगा, जिससे सतत् शिक्षा के उद्‌देश्य प्राप्त करने में सुविधा हो। सतत् शिक्षा कार्यक्रमों के प्रमुख उद्‌देशयों में से यह एक है कि नवसाक्षरों को अपना साक्षरता हुनर पक्का करने योग्य बनाया जाये और उनका हुनर इतना बढ़ाया जाये कि सभी पढ़ाई स्वयं करने लग जावें। अतः नवसाक्षरों की सामग्री इस ढंग से निर्मित एवं श्रेणीकृत की जावेगी कि व्यक्ति नवसाक्षरता की स्थिति स्वतंत्र शिक्षार्थि की स्थिति में आसानी से पहुंच जाये।

नवसाक्षरों के लिए तैयार की गई सामग्री पढ़ने लिखने और गणित की सामान्य शैक्षिक योग्यता मानसिक क्षमता का सुचारू ढंग से चरणबद्ध विकास करने सहायक सिद्ध होगी। यह सामग्री नवसाक्षरों अपनी या जरूरत के किसी भी क्षेत्र धीरे–धीरे अधिक उच्च ज्ञान के स्तर की ओर आगे बढ़ने में सहायक होगी। इस सामग्री से जिन मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने की अपेक्षा की गई है। उनमें निम्नलिखित है – शब्द ज्ञान बढ़ाना, सामान्य ज्ञान बढ़ाना, वैचारिक योजनाओं को समझने की योग्यता, विवेचना के साथ–साथ तर्क–वितर्क करने की क्षमता और समस्याओं को सुलझाने की समस्या विशेषकर उन समस्याओं को जो उनके काम और दैनिक जीवन से जुड़ी हुए हों। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि नवसाक्षर इस सामग्री से इतना सक्षम हो जावेंगे कि वे नए कौशल सीख सकें और अपने पुराने

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

कौशल बढ़ाये उनमें विकास करें तथा उनके लाभ के लिए शुरू किए गए समाज और विकास के कार्यक्रमों का लाभ उठाने की समझ उनमें आ जावे।

सामग्री निर्माण में राज्य शिक्षा केन्द्र, राज्य संसाधन केन्द्र, डाईट, जिला शिक्षा केन्द्र का सहयोग लिया जायेगा। कई संस्थाएं जैसे राज्य संसाधन केन्द्र, स्वैच्छिक संगठन, नेशनल बुक ट्रस्ट एवं निजी प्रकाशकों द्वारा भिन्न–भिन्न प्रकार पाठ्य सामग्री निर्मित की जाती है। काफी प्रयास, समय, वित्तीय संसाधनों की बचत को दृष्टिगत रखते हुए इस सामग्री की जांच कर आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर नवसाक्षरों के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।

:: सतत् शिक्षा गतिविधियों में नवाचार ::

सतत् शिक्षा कार्यक्रम में यद्यपि जिले में विभिन्न गतिविधियां चलाई जाएंगी, परन्तु सभी गतिविधियों को केन्द्रीय सूत्र रहेगा। एक परिवार मूलक मानवीय स्वराज व्यवस्था स्थापित करना। इस दृष्टि से सभी संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र के माध्यम से लोक शक्ति नाम से परियोजना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें निमन चार कार्यक्रम समाहित होंगे –

1. जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम
2. आय उपार्जन कार्यकम
3. समतुल्यता कार्यकम
4. व्यक्तिगत रूचि प्रोन्नत कार्यकम

लोक शक्ति परियोजना

आज शासन व समाज में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ऐसी लोकशक्ति तैयार हो जो स्वयं अपने समस्याओं को दूर करें एवं स्वयं ही स्थानीय प्रबंधन कार्य करें। इसके लिए स्थानीय लोगों की समिति बनाने और उन्हें अधिक अधिकार देने की चर्चा तथा कार्यकम राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए गये है। पंचायती राज का संपूर्ण कार्यकम भी इसी मानसिकता के आधार पर निश्चित किया गया है।

इस विन्दु पर हमारा निष्कर्ष यह है कि मनुष्य समझदार होकर ही उपरोक्त कार्य को कर पाता है। जब तक मनुष्य समझदार नहीं हो पाता है जब तक वह समस्या का ही कारक होता है।

समझदार मानव भोग, संग्रह, शोषण, विरोध और विद्रोह मानसिकता से मुक्त होकर न्यायपूर्ण व्यहार करने की क्षमता सम्पन्न होता है एवं मानवीय व्यवस्था के सभी आयामों में भागीदारी करता है।

लोक शक्ति परियोजना का उद्देश्य

1. प्रत्येक व्यक्ति में समाधान, समाजिकता और स्वालंबन प्रमाणित होना :

   (अ) समाधान का तात्पर्य स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था प्रकृति में व्यवस्था और अस्तित्व में व्यवस्था का बोध (समझ) होना।

   (ब) सामाजिकता का तात्पर्य मानव संबंधों की पहचान, समाज मूल्यों का निर्वाह एवं परस्पर मूल्यांकनपूर्वक उभयतृप्ति प्रमाणित होना।

   (स) स्वालम्बन का तात्पर्य प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उत्पादन और सेवा की मानसिकता एवं व्यावसायिक निपुणता कुशलता प्रमाणित होना।

2. प्रत्येक परिवार में समृद्धि प्रमाणित होना। समृद्धि का तात्पर्य परिवार की आवश्यकता से अधिक उपयोगी वस्तुओं को उत्पादन और सेवापूर्वक प्राप्त करना।

3. समाज में अभय व सह–अस्तित्व प्रमाणित होना।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

(अ) अभय का तात्पर्य स्वास्थ्य–संयम सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा व न्याय (व्यक्ति के सम्मान) की सुरक्षा उपलब्ध होना।

(ब) सह–अस्तित्व का तात्पर्य प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना।

लोक शक्ति परियोजना के कार्य और परिणाम

1. स्वायत्त परिवार, स्वायत्त समाज, स्वयं स्फुर्त व्यवस्था की परंपरा।
2. ग्रामीण अंचल में बौद्धिक और भौतिक विपन्नता उन्मूलन।
3. मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि व व्यवस्था में पिछड़े व्यक्ति के लिए जागृति सहज कार्यक्रम जिससे मौलिक अधिकारों को पहचानकर कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें।
4. सामाजिक न्याय सुलभता–परस्पर तृप्ति के अर्थ में सार्थक होने का कार्यक्रम मानव तथा मानवीयता के आधार पर समानता का अनुभव करने के लिए कार्यक्रम।
5. नशा मुक्ति।
6. सामान्य रोग (ज्वर, खांसी, सर्दी, पीलिया, अर्जीण आदि) एवं विशेष रोग (दमा, चर्मव्याधि, कुष्ठ रोग, ह्दय रोग, यकृत रोग, चक्तचाप आदि) निवारण।
7. अनाथ बचचों को मानवीय व्यवस्था में जीने योग्य कार्यक्रम।
8. देह– व्यापार मुक्ति।
9. नर–नारी में समाज मौलिक अधिकार स्थापना एवं नारी उत्पीड़न का उन्मूलन।
10. कैदी और विचाराधीन बंदी के परिवार की सांत्वाना व राहत कार्य।
11. जनसंख्या नियंत्रण प्रवृत्ति के उदय के लिए कार्यक्रम।
12. पर्यावरण संतुलन– जल, भूमि, वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण द्वारा।

विधि

शिक्षण व प्रशिक्षण पूर्वक पूर्वोत्तर लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। जिला साक्षरता समिति द्वारा मूल्य आधारित शिक्षा या कार्यरत निम्न संसाधनों, व्यक्तियों के माध्यम से प्रेरकों एवं शासकीय शिक्षकों को तैयार किया जाएगा। ऐसे शिक्षक स्थानीय ड्रॉप आउट बच्चों का नियमित शिक्षा देंगे एवं युवा नवसाक्षरों एवं अर्द्ध साक्षर व्यक्तियों को चर्चा मण्डल के द्वारा समाधानित, सामाजिक, स्वावलंबी और साक्षर होने के लिए प्रशिक्षण देंगे। सभी शिक्षक समाधानित, सामाजिक, स्वावलंबी और साक्षर होंगे।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

शिक्षक स्वालंबी रहकर शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिभावक विद्यालय होंगे, जिसमें स्वावलंबन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहेंगे। इन्हीं संसाधनों का उपयोग विद्यार्थियों को स्वावलंबन का प्रशिक्षण देने के लिए किया जायेगा।

सभी स्थानीय लोग व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य क्षमता सम्पन्न होने पर पांच समितियां बनाई जायेंगी।

1. शिक्षा संस्कार समिति– यह समिति सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी।
2. न्याय–सुरक्षा समिति– क्षेत्र के सभी लोगों को न्याय सुलभ कराने एवं प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी।
3. स्वास्थ्य संयम समिति 5 स्थानीय सभी लोगों के स्वास्थ्य संयम की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी।
4. उत्पादन कार्य समिति– स्थान विशेष में उत्पादन के अवसर, संभावना तथा तकनीकी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी।
5. विनियम कोष समिति : शोषण मुक्त विनियम एवं भविष्य के लिए आवश्यक वस्तुओं का कोष बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी। इन सभी समितियों के सदस्य समाधानित, सामाजिक, स्वावलंबी एवं अवैतनिक होंगे।

इन सभी समितियों में तालमेल को सुनिश्चित करनें के लिए एक सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें परिवार के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे।

सतत् शिक्षा विद्यालय

शिक्षक – प्राथमिक कक्षाओं से ड्रॉप आउट हुए 20–20 छात्रों एवं नवसाक्षर प्रौढ़ों को शिक्षित करने तथा स्वावलंबी का कार्य प्रेरक करेंगे।

संसाधन :

1. प्राथमिक शाला भवन।
2. न्यूनतम शिक्षकों को सपरिवार रहने के लिए आवासीय व्यवस्था।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

3. कर्मशाला (विभिन्न शाराकीय योजनाओं से प्रावधानित)

4. गौशाला दुधारू ,गाय व बैल सहित।

5. 10 एकड़ कृषि योग्य शासकीय भूमि।

6. कृषि के सामान्य यंत्र और उपकरण।

7. जल व विद्युत की सुविधा।

8. गोबर गैस संयंत्र, सौर ऊर्जा, पवन शक्ति यंत्र और उपकरण।

इन संसाधनों का स्वामित्व पंचायत राज व्यवस्था अंतर्गत गठित ग्राम शिक्षा समितियों का होगा। यह किसी की निजी सम्पत्ति नहीं होगी।

विद्यालय स्थापित होने के बाद इसकी सुरक्षा व देखभाल का दायित्व शिक्षा– संस्कार समिति का होगा। स्थानीय प्रत्येक परिवार इसे बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम राशि देकर भागीदारी का निर्वाह करेंगे।

कार्ययोजना

लोक शक्ति योजना पांच चरणों में पूरी होगी।

प्रथम चरण :–

मानवीय मूल्यों पर आधारित मूल्य शिक्षा में काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से शिक्षण और प्रशिक्षण पूर्वक स्थानीय एवं प्रेरक तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर सामान्यतः 5 शिक्षक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य होगा। प्रथम चरण में ही सतत् शिक्षा विद्यालयों का निर्माण पूरा होगा।

अनुमानित समय– एक वर्ष

द्वितीय चरण :–

प्रशिक्षित शिक्षक एवं स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करेंगे।

(अ) प्राथमिक शालाओं में तथा सतत शिक्षा केन्द्रों पर विद्यार्थियों को मानवीय मूल्यों पर आधारित नियमित शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 तक) दी जाएगी।

(ब) शिक्षक गण स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित करेंगे। क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रहेगा।

अनुमानित समय– 2 वर्ष

मूल्यांकन

मूल्यांकन पांच बिन्दु पर किए जाएंगे :–

1. शिक्षा संस्कार
2. स्वास्थ्य संयम
3. न्याय सुरक्षा
4. उत्पादन कार्य
5. विनिमय कोष

अभियान शुरू होने के पहले सभी बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त कर ली जाएगा एवं 1 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात 4 वर्ष के पश्चात एवं 5 वर्ष के पश्चात, मूल्यांकन किया जाएगा।

01. मानवीय शिक्षा–संस्कार –

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा।

1. मानवीय शिक्षा– संस्कार शिक्षण में प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या।
2. लोगों में साक्षरता व सामान्य जानकारी।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

मूल्यांकन का आधार :–

मानवीय शिक्षा संस्कार में पारंगत व्यक्ति स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था प्रकृति में व्यवस्था एवं अस्तित्व में व्यवस्था की समझ से सम्पन्न होतेहैं एवं ऐसी समझ के अनुसार जीने में प्रमाणित होते हैं। व्यवहार का अध्ययन ही मूल्यांकन का आधार होगा।

तृतीय चरण :–

स्थानीय प्रशिक्षित लोक शक्ति प्रेरक एवं प्रशिक्षित शिक्षक तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि निम्न दो समितियों का गठन करेंगे।

1. न्याय सुरक्षा समिति
2. स्वास्थ्य संयम समिति

(प्रथम चरण के बाद ही शिक्षकों के रूप में शिक्षा संस्कार समिति कार्यरत हो पाएंगी)

अनुमानित समय– 1 वर्ष

चतुर्थ चरण :–

पूर्व में निर्धारित तीनों समितियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेंगे।

1. उत्पादन कार्य समिति
2. विनिमय कोष समिति

अनुमानित समय – एक वर्ष

पंचम चरण–

पांचों समितियां एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मिलकर "स्थानीय सभा" का गठन करेंगे। स्थानीय सभा व पांचों समितियों के सदस्य मिलकर व्यवस्था का संपूर्ण कार्य स्वयं स्फुर्त विधि से करेंगे।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

02 स्वास्थ्य संयम :–

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :–

1. रोगों के प्रकार व रोगी की संख्या।
2. स्थानीय चिकित्सा से ठीक हुए रोग व रोगी की संख्या।
3. बाह्य चिकित्सा से स्वस्थ हुए रोग व रोगी की संख्या।
4. चिकित्सा अभाव में पीड़ित व मृत व्यक्तियों की संख्या।
5. सामान्य चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या।
6. विशेष चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या।
7. पर्यावरण स्वच्छता

---

03 न्याय सुरक्षा :–

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :–

1. परिवार में संबंधों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या।
2. परिवार की संपदा का सदुपयोग करने योग्य व्यक्तियों की संख्या।
3. परस्पर परिवारों के बीच संबंधों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या।
4. जुआ एवं परधन में प्रयासरत् लोगों की संख्या।
5. परनारी/परपुरूष प्रवृत्ति व कार्यों में लिप्त व्यक्तियों की संख्या।
6. परिवार कलह से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या।
7. ग्राम कलह (जमीन, आवास, सड़क, पानी, पशु नियंत्रण व घरेलू अशुद्धियों को फैंकने के आधार पर होने वाले विवाद) से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या।
8. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गावं में सुलझे।
9. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव के बाहर सुलझ गये।
10. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो अब तक अनसुलझे है।
11. विपन्न आर्थिक रूप से अभावग्रस्त (गरीब) व्यक्ति व परिवारों की संख्या।
12. जनसंख्या एवं उसका नियंत्रण (जन्म दर, मृत्यु दर व अन्य स्थानों से आने वाले या अन्य स्थानों में गये व्यक्तियों की संख्या)।
13. प्राकृतिक संतुलन (जल, वन, भूमि, औषधि व चारागाह का संरक्षण)।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

04 उत्पादन कार्य :–

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :–

1. श्रम नियोजित करने के लिए मानसिकता से सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या।
2. श्रम नियोजन के लिए कार्यों को पहचाने हुए व्यक्तियों की संख्या।
3. निश्चित उत्पादन व सेवा की तकनीकी सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या।
4. उत्पादन में भागीदारी करते हुए व्यक्तियों की संख्या।
5. परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन व सेवा करते हुए परिवारों की संख्या।
6. गांव की कुल आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने का मूल्यांकन।
7. उत्पादन व सेवा से विमुख व्यक्तियों की संख्या।
8. न चाहते हुए भी मजबूरीवश उत्पादन व सेवा करने वाले व्यक्तियों की संख्या।

05 विनिमय कोष :–

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :–

1. श्रम मूल्य के आधार पर विनियम करने की प्रवृत्ति सम्पन्न व्यक्ति की संख्या।
2. श्रम मूल्य के आधार पर प्रतीत मूल्यों की पहचान।
3. लाभ–हानि मुक्त विनिमय प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले लोगों संख्या।
4. गांव की आवश्कता की पूर्ति के लिए अनिवार्य वस्तुओं के कोष मूल्यांकन।
5. लाभ–हानि, मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों व परिवारों की संख्या।

शिक्षा स्त्रोत

संपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण का स्त्रोत मध्यस्थ दर्शन पर आधारित, निम्न दर्शन होंगे :–

1. मानव व्यवहार दर्शन
2. मानव कर्म दर्शन
3. मानव अभ्यास दर्शन
4. मानव अनुभव दर्शन

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

इस हेतु नेशनल सेंटर फॉर वेल्यू एजुकेशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया जाएगा तथा निंम्न संस्थाओं के व्यक्तियों का सहयोग लिया जाएगा।

1. श्री ए.नागराज, प्रणेता, मध्यस्थ दर्शन, मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकंटक, मध्यप्रदेश।
2. श्री अरविंदो आश्रम, पांडेचेरी।
3. गांधी शांति प्रतिष्ठान, नईदिल्ली।
4. प्रो.ऋषिराज गौड़, सेन्टर फॉर वैल्यू एजुकेशन आईआईटी, नईदिल्ली ।
5. श्री गणेश वागड़िया, मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान, मेघना, कानपुर।
6. सुश्री अर्चना दास, गायत्री प्रज्ञापीठ, आंवरी, बस्तर ।
7. श्री भूपेन्द्र सिंह गौतम, सचिव, मानव विकास एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समिति, इन्दौर ।
8. श्री सत्यसांई शिक्षा समिति, प्रशस्ति निलयम आंध्रप्रदेश ।
9. श्री टी. करूणाकरण, उप कुलपति, चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, उ.प्र.।
10. श्री पवन गुप्ता, "सिद्ध" केम्पटी ग्राम, मसूरी, उत्तरांचल।

सतत शिक्षा के साथ ही नोडल एवं सतत शिक्षा केन्द्रो की प्राथमिक शालाओं में मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा निम्नानुसार दी जायेगी :–

क्र	अध्ययन वस्तु / कक्षा	एक	दो	तीन	चार	पांच
1	मानव संबंध	संबंध एवं मूल्यों का संबोधन	संबंध एवं मूल्यों की, पहचान कियाकलाप के रूप में	संबंधों व मूल्यों का निश्चयन	संबंधों व मूल्यों का निर्वाह	संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन व उभयतृप्ति का प्रमाण
2	नैसर्गिक संबंध	इकाईयों का संबोधन	इकाईयों का पहचान	नाम के साथ इकाईयों की उपयोग की पहचान	संतुलन के रूप में उपयोगिता की पहचान	सभी अवस्थाओं में परस्पर पूरकता की पहचान
3	अस्तित्व में सह–अस्तित्व	अस्तित्व का संबोधन	सह–अस्तित्व की पहचान, स्वीकृत	इकाईयों में कियाशीलता एवं सत्ता कियाशून्यता में व्यापकता	नियंत्रण	विरचना व विकास
4	जीवन का स्वरूप	जीवन के बल, शक्तियों का नाम	जीवन शक्तियों (आशा,विचार व इच्छा) की पहचान	चयन–आस्वादन–तुलन विश्लेषण किया की पहचान	चिंतन व चित्रण किया की पहचान	बोध, अनुभव, संकल्प व प्रामाणिकता की पहचान एवं सुख
5	शरीर और स्वास्थ्य संयम	शरीर के अंग प्रत्यंगों का संबोधन व पहचान	शरीर के अंग प्रत्यंगों की प्रयोजन एवं उनकी स्वच्छता	शरीर के ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों के कियाकलापों की पहचान, जीवन किया के संबंध में	शरीर स्वास्थ्य संयम विधि एवं आंतरिक अवयवों की पहचान	जागृति के अर्थ में शरीर के प्रयोजन की पहचान
6	खेल एवं कर्माभ्यास	खेल एवं कर्माभ्यासों का नाम	खेलों के स्वरूप की पहचान कर्माभ्यास के स्वरूप की पहचान।	खेलों का प्रयोजन, कर्माभ्यास का प्रयोजन	खेल का अभ्यास, कर्माभ्यास का प्रशिक्षण प्रयोग विधि	खेल, आसन, व्यायाम, प्रणायाम का अभ्यास, प्राथमिक उपचार, कर्माभ्यास, औषधियों का कर्माभ्यास

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अ. जीवन स्तर सुधार कार्यकम

जिले की सतत शिक्षा परियोजना प्रस्ताव में जीवन स्तर सुधार कार्यकम के तहत निम्न विषय एवं मुद्दे सम्मिलित किए जाएंगे।

कं.	विषय	मुद्दे	रिमार्क
1	स्वास्थ्य	1. स्वच्छता एवं साफ सफाई 2. शोचालय निर्माण 3. टीकाकरण 4. पोषण स्तर	व्यक्तिगत एवं सामूहिक निजी एवं सार्वजनिक बच्चे एवं गर्भवती, छात्र कुपोषण हटाना
2	कृषि	1. बीजोपचार 2. कीटनाशकों का प्रयोग 3. उन्नत कृषि 4. जैव रासायनिक खादों का प्रयोग 5. सामाजिक वानिकी	प्रगतिशील कृषक क्लब तथा ग्रामीण विस्तार अधिकारियों के माध्यम से
3	शिक्षा	1. औपचारिक शिक्षा 2. प्राथमिक शिक्षा 3. माध्यमिक शिक्षा 4. साक्षरता अभियान	आंगनवाड़ियों द्वारा
4	विधि/न्याय	1. सामान्य अधिकारों की जानकारी 2. महिला अधिकारों की जानकारी 3. महिला–पुरूष समानता	विधिक सूचना शिविरों द्वारा
5	शासकीय योजनाओं की जानकारी	1. ग्राम सभा 2. विभिन्न विभागीय योजनाएं	जल संग्रहण अभियान का प्रायोगिक कार्यकम
6	साहित्य पठन–पाठन	1. वाचनालयों की स्थापना	दैनिक समाचार पत्र
7	संस्कृति–कला	1. लोक नाट्य 2. लोकगीत	लोक कलाओं के कार्यकमों द्वारा
8	जागरूकता	1. जनसंख्या शिक्षा	1. परिवार कल्याण कार्यकम 2. परिवार नियोजन संसाधनों का वितरण

जीवन स्तर सुधार कार्यकम सतत शिक्षा कार्यकमों के अभिन्न अंग के रूप में व्याख्यायित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य है : शिक्षार्थी और समुदाय को उस अनिवार्य ज्ञान, व्यवहार, गुणवत्ता और कौशल से युक्त करना जिससे कि व्यक्ति के रूप में तथा समुदाय के सदस्य के रूप में भी जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के योग्य हो सकें।

शिक्षा के लगभग सभी पहलू किसी न किसी प्रकार से जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं, लेकिन कुछ शैक्षिक गतिविधियां रहन–सहन के स्तर को ऊंचा उठाकर व

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जीवनशैली की गुणवत्ता को बेहतर बनाकर सामान्य जीवन कल्याण में विशेष रूप से सहायक हो सकती है। इस प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों को जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम नाम दिया गया है।

जीवन की गुणवत्ता को जिस परिभाषा को मान्यता दी गयी है वह इस प्रकार है :

> जीवन की गुणवत्ता का संबंध समाज कल्याण के स्तर तथा मानवीय जरूरतों की पूर्ति की स्थिति से है।

जीवन की गुणवत्ता श्रेष्ठ बनाने वाले कार्यक्रमों को क्रियात्मक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है :

> जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों एंव समुदाय को उस आवश्यक ज्ञान, मनोवृत्ति, मूल्यों व कौशल से सुसज्जित करना है जो उन्हें व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं।

इसलिए जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु विकास होता है और वे मुख्य रूप से भविष्य उन्मुखी होते हैं। उनका संबंध भविष्य का एक समृद्ध खाका विकसित करने तथा शिक्षा की सहायता से उस खाके को साकार बनाने के उद्देश्य से समुदाय के विकास के कार्यक्रम बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने से है।

किसी भी देश या समुदाय के विकास को दो घटकों को सम्बद्ध माना जा सकता है– सामान्य संसाधन विकास एवं मानव संसाधन विकास। सामान्य संसाधन विकास से अभिप्राय है प्राथमिक तथा व्युत्पन्न उद्योग, वाणिज्य और व्यापार तथा यातायात, संचार, मैडिकल सेवा तथा अन्य व्यवस्थाओं से। इस प्रकार के विकास से देशभर में सेवाओं के बढ़ावे तथा जनकल्याण के संगठनों में बढ़ोतरी से आम लोगों का भी भला होता है। देश के सामान्य संसाधन विकास के स्तर को 'ग्रॉस नैशनल प्रॉडक्ट' (जी.एन.पी.) के सूचकांक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, लेकिन मानव संसाधन विकास का सीधा संबंध मानव–गुणवत्ता की बेहतरी से है। मुख्यतः शिक्षा व ट्रेनिंग के द्वारा अलग–अलग व्यक्तियों को अपनी प्रच्छन्न शक्ति को सर्वाधिक रूप में विकसित करने योग्य बनाया जा सकता है। यू.एन.डी.पी. तथा विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियां मानव विकास सूचकांक यानि 'ह्यूमन डैवेलपमैंट इंडैक्स' को मापदण्ड के रूप में इस्तेमाल करती है, जिसके तीन भाग हैं–1. आयुकाल 2. ज्ञान 3. जीव स्तर। शिक्षा का भाग कौशल के ऊंचे स्तर के महत्व को पहचानते हुए प्रौढ़ साक्षरता व स्कूल में बिताये औसत वर्षों की मिली जुली कसौटी पर आंका जाता है। जीवन स्तर को मापने का तरीका है– गरीबी रेखा की तुलना में आय का स्तर।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जीवन की गुणवत्ता का विकास अपने आप में जी.एन.पी. तथा एच.डी.आई. के मिले जुले मापदण्डों द्वारा आंके गये विकास का ही पर्याय है, लेकिन इसे संयत किया जाता है। कुछ विशेष विषयों द्वारा जैसे कि विकास तथा प्रसन्नता के बीच संबंध तथा पर्यावरण संबंधी मामले जैसे कि अवलंबनीय विकास की धारणा द्वारा अधिरोपित सीमायें। अवलंबनीय विकास इस बात पर जोर देता है कि तत्कालीन पीढ़ियां सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी।

इस वर्गीकरण का मुख्य मापदण्ड रहन–सहन का स्तर है, जिसे आय के स्तर से नापा जाता है। विकास के अन्य सूचकांक भी इसी मापदण्ड के आधार पर बनाये जाते हैं। चूंकि यह बात हमेशा सच नहीं होती, किन्तु गरीब लोगों में अक्सर कौशल ज्ञान प्राप्ति का अभाव होता है, उनका आयुकाल छोटा होता है, जबकि गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों के पास शिक्षा के बेहतर अवसर होते हैं और इनका आयुकाल भी लंबा होता है। इस प्रकार यह वर्गीकरण अत्यन्त सामान्य होते हुए भी विभिन्न स्तरों पर विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के कार्यक्रमों को एक लाभदायक ढांचा प्रदान करता है।

समाज के प्रत्येक वर्ग में कुछ सामाजिक समूह विकास की दृष्टि से पिछड़े रहते हैं। ऐसे समूह ही जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम की प्राथमिकता के ध्येय होने चाहिए। इस संदर्भ में महिलाओं के समूह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए विशेष ध्यान योग्य बातों में एक है– उन्हें पुरानी पड़ गयी तकनीकों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करना। चूंकि महिलाओं के पास पुरूषों की तरह तकनीकी जानकारी के नवीन तरीके जानने के अवसर नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें पुनर्शिक्षा एवं पुनः प्रशिक्षण के बेहतर मौके मिलने चाहिए। महिलाओं में विकास यानि 'विमिन इन डैवेलपमैंट' के सवाल का एक अन्य पहलू है समाज में उनकी सामान्य प्रतिष्ठा को बेहतर बनाने की जरूरत तथा सामाजिक निर्णय प्रणाली में उनकी हिस्सेदारी के लिए उन्हें समर्थ बनाना।

जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम द्वारा लक्षित अन्य विशेष ग्रुपों में यह निर्वाह स्तर के किसान, शहरी युवक तथा अन्य असमर्थ ग्रुप शामिल हैं।

जीवन की गुणवत्ता विकास के सूचक

जीवन की गुणवत्ता विकास के विभिन्न अंशों या पक्षों को सूचकों के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि सूचक शब्द से ही स्पष्ट है, यह चर यानि वेरियेबल्स का ऐसा वर्ग है, जिसे मापकर विकास का अनुमान लगाया जा सकता है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

द इक्नॉमिक एण्ड सोशल कमीशन फार एशिया एण्ड पैसिफिक (ऐसकाप) द्वारा सुझाव दिया गया है। जीवन की गुणवत्ता के सूचकों को परंपरागत रूप से निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जा सकता है:

1. आर्थिक सूचकांक

   जी.एन.पी. और जी.डी.पीं.

2. तटस्थ सामाजिक सूचक

   नीचे उल्लेखित पक्षों के बारे में विश्वस्त आंकड़े

   स्वास्थ्य / पोषाहार

   शिक्षा / अधिगम

   मकान तथा भौतिक पर्यावरण

   कामकाजी जीवन

   सामाजिक सुरक्षा

   वैयक्तिक सुरक्षा एवं न्याय

   अवकाश एवं समय का उपयोग

   सामाजिक भागीदारी

   मानवीय स्वतंत्रता

3. आत्मपरक सामाजिक सूचक

   जीवन की गुणावत्ता के बारे में वैयक्तिक प्रतिकिया व समझ के कच्चे–पक्के आंकड़े

   निम्नलिखित के संबंध में जीवन संतुष्टि व प्रसन्नता का प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राप्त स्तर

कामकाज	आय
स्वास्थ्य	अवकाश–समय
पारिवारिक	घर (रहने की व्यवस्था)
पर्यावरण	सरकार

तथा अन्य

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

भौतिक और ठोस सम्पन्नता

जो किसी व्यक्ति या परिवार को भौतिक स्वामित्व तथा आर्थिक सुरक्षा प्रायः आय व जायदार से मिली है। इसी से संबद्ध अन्य पहलू हैं– स्वास्थ्य तथा वैयक्तिक सुरक्षा के स्तर।

दूसरे लोगों से संबंध

जिससे आशय परिवार के लोगों से अच्छे संबंध, बच्चों का जन्म व पोषण, अन्य रिश्तेदारों, मित्रों व पड़ोसियों से सकारात्मक पारस्परिक संबंधों से है।

सामाजिक, सामुदायिक एवं नागरिक गतिविधियों का दायरा

जिनका संबंध अन्य लोगों की मदद करने व उन्हें प्रोत्साहित करने से है और जो गतिविधियां स्थानीय राष्ट्रीय सरकारों में भाग लेने से संबंधित होती है।

व्यक्तिगत विकास और तुष्टि के लिए चिन्ता

इसका संबंध बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, व्यक्तिगत समझ और योजना, समाज में रोजगार की भूमिका और रचनात्मकता एवं अभिव्यक्ति की आजादी से है।

मनोरंजन की चिंता

इसका संबंध मेलजोल के अवसर, निष्क्रिय मनोरंजनापूर्ण अवलोकन सुविधा तथा सकिय सहभागीतापूर्ण मनोरंजनात्मक गतिविधियों से है।

यह भी मान्यता है कि ये अंश तब तक कारगर नहीं बनाए जा सकते और जीवन के विकास की गुणवत्ता कायम नहीं रखी जा सकती, जब तक कि प्रौढ़ जनसंख्या के पास कुछ निश्चित मूल्य न हों। ये ही उन्हें विकास के लिए प्रोत्साहित करेंगे और आगे बढ़ायेंगे। ये मूल्य इस प्रकार हैं –

1. परिश्रम और अध्यवसाय– ये साधारण लोगों में परिवर्तन के प्रति सकारात्मक मनोवृति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

2. अनुशासन और ज्ञान के प्रति आदर– ये मूल्य विशेषतः तकनीकी और औद्योगिक विकास के संदर्भ में ज्ञान–प्राप्ति के लिए इच्छा जगाए रखने के लिए जरूरी है।

3. एकनिष्ठता और नैतिकता– विभिन्न प्रकार के आपसी, सामाजिक एवं व्यापारिक कियाकलापों में ये मूल्य नींव के पत्थर के सामन है, जो जीवन की गुणवत्ता की उन्नति अथवा अवनति को सीधे प्रभावित करते हैं।

4. सहनशीलता– बहुल समाज में यह मूल्य निर्णायक महत्व का है, जिसके बिना सामंजस्य और सहयोग खत्म हो जाएगा। यह मूल्य इसलिए भी जरूरी है कि यह एक सामाजिक समूह को आत्मसात करने अथवा किसी अन्य समूह की धारणाओं या भूमिकाओं के अंतर को प्रकट करने की योग्यता प्रदान करता है, तो साथ ही दूसरों के मत वैभिन्य को समझने में मदद देता है।

5. निष्ठा– यह मूल्य सर्वोपरि है। विशेषतः राष्ट्र के अथवा सरकार के संदर्भ में। जनता की निष्ठा तभी अर्जित की जा सकती है जब वह विश्वास करने लगती है कि सरकार सच्ची है और जनता के कामों के प्रति बेईमान और भ्रष्ट नहीं है।

इन सूचियों में बहुत से तत्व समान है शिक्षा से हालांकित सभी तत्व प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं हो सकते हैं। सभी एक बात की पुष्टि करते हैं कि जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए केवल आर्थिक संकेतक ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक दोनों संकेतक आवश्यक है।

1. जैविक

ये वे मूल जैविक तत्व है जो जीवन रक्षा और जीवन की गुणवत्ता से संबंध रखते हैं। उदाहरण के लिए पोषक आहार और साफ पानी की उपलब्धि।

तत्व

- भोजन की उपलब्धि
- स्वच्छ वायु
- साफ पानी की उपलब्धि
- रोग से मुक्ति
- मकानों की गुणवत्ता
- सफाई का प्रबंध

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

2. सामाजिक

इन वर्गीकरण में वे तत्व आते हैं जो सामाजिक सामंजस्य और उन्नति के लिए जरूरी है। जैसे चयन और निर्णयों की स्वतंत्रता तथा भेदभाव की अनुपस्थिति।

तत्व

- पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता (उदाहरण मातृत्व–पितृत्व)
- सामाजीकरण की प्रक्रिया
- चयन और निर्णयों की स्वतंत्रता
- कार्यकलापों में भागीदारिता का स्तर
- भेदभाव की अनुपस्थिति
- सामाजिक सुविधाओं तक पहुंच
- कानून और व्यवस्था का स्तर

3. आर्थिक

यह वर्गीकरण व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टियों से देखा जा सकता है। व्यक्ति भौतिक पदार्थों को खरीदने के लिए पर्याप्त आय उपार्जित करना तथा काम करने के अवसर पाना चाहता है। आर्थिक अवसरों के समतुल्य वितरण से सारा समाज लाभान्वित होता है।

तत्व

- काम करने और पर्याप्त आय अर्जित करने के अवसर
- वित्तीय सुरखा के माध्यम से प्राप्त स्वास्तविकीकरण का स्तर
- संपत्ति के वितरण में समानता
- पर्याप्त भौतिक व्यवस्थापन।

4. मानव संबंधी

इसमें मनोवैज्ञानिक पक्ष जैसे कि जीवनमूल्य और भावनाएं शामिल हैं। खुशी का अनुभव, आंतरिक सामंजस्य और आध्यात्मिक संतुष्टि यहां महत्वपूर्ण तत्व है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

तत्व

- खुशी का स्तर
- आंतरिक सामंजस्य की अवस्था
- आध्यात्मिक संतुष्टि का स्तर
- तृप्ति की मात्रा और मानसिक शांति
- निष्ठा, नैतिकता और सहिष्णुता

5. पर्यावरण संबंधी

इस वर्गीकरण में प्राकृतिक और मानव–निर्मित दोनों पर्यावरण शामिल है। पहले में प्राकृतिक संसाधन जैसे पृथ्वी, वायु, जल, पशु, पौधे आदि आते हैं तो परवर्ती में मानव जनसंख्या आती है।

तत्व

- प्राकृतिक पर्यावरण
  प्राकृतिक संसाधन
- मानव पर्यावरण
  मानव संसाधन

चूंकि जीवन की गुणवत्ता–सुधार कार्यक्रम एक प्रकार की सतत शिक्षा है, इसलिए ये अधिगम समाज के पैदा होने में मदद करते हैं। विकास का विशेष फोकस होने के कारण सतत शिक्षा और आजन्म सीखने के संदर्भ में इनकी विशिष्ट भूमिका है।

सतत शिक्षा मानव संसाधन विकास के लिए संभवतः सर्वाधिक प्रभावी एजेंसी है। एक विशेष प्रकार की महत्वपूर्ण सतत शिक्षा के रूप में आते है : जीवन की गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, जो योजनाबद्ध आर्थिक और सामाजिक विकास से सीधे जुड़े होते हैं। जीवन स्तर को उन्नत करने तथा जीवन शैली को सुधारने के साथ वे मानव कल्याण में वृद्धि करते हैं और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में योग देते हैं।

www.madhyasth-darshan.info Information Portal

जीवन की गुणवत्ता–सुधार सतत शिक्षा कार्यक्रमों हेतु प्रस्तावित बदलाव का मॉडल

वर्तमान स्थिति
शब्दावली में परिभाषित
–आयाम
–संकेतक

→

बदलाव की प्रकिया
–मानव तत्वों में बदलाव के माध्यम से
–पर्यावरण संबंधी तत्व
–संस्थागत तत्व

→

वांछित स्थिति
शब्दावली में परिभाषित
–आयाम
–संकेतक
–सतत शिक्षा के माध्यम से पाए जाने वाले लक्ष्य
–उपलब्धि का आधार

क्यूलिप्स नवसाक्षरों की मदद करता है:

1. भविष्य के प्रति दृष्टि बनाने में
2. वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने में
3. कार्य और हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों का प्राथमिकीकरण करने में
4. कार्ययोजना बनाने में

क्यूलिप्स नवसाक्षरों को योग्य बनाता है

1. परिणामों को मॉनिटर करना व व उनका मूल्यांकन करने में
2. रूपान्तरण प्रकिया समझाने में
3. नए लक्ष्यों व रणनीतियों को बनाने पुनरीक्षण करने में

क्यूलिप्स इन माध्यमों से बदलाव लाने में सहायता करते हैं :

1. आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करके
2. नवसाक्षरों को पर्यावरण संबंधी और संस्थागत तत्वों को प्रभावित करने योग्य करके

अ. समस्या की पहचान

–खेती की पारम्परिक संकल्पना: पिछड़ी कृषि–उत्पादन तकनीक, कौशल का अभाव, सुविधा और धन का अभाव।

ब– संभावित समाधाने

– खेती के नए तरीके और विचार, नए कौशल, तकनीकी आर्थिक सहायता।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

स– प्रवेश–बिन्दुः शिक्षा

गतिविधियां	प्रदाय व्यवस्था
कार्मिकों का प्रशिक्षण (आय–सुधार का व्यावहारिक कौशल)	लंबी अवधि और छोटी अवधि के पाठयक्रम, बातचीत और विमर्श, कार्यशालाएं, कार्यकारी शिविर, जनसंचार, दूरशिक्षा, अधिगम समूह।

उचित निष्पादन पद्धति का चुनाव

1. रेडियो तथा दूरदर्शन पाठयकम
2. पत्राचार
3. स्वयं अध्ययन, सामूहिक अध्ययन, नियमित अध्ययन के साथ
4. कक्षा अध्यापन, व्याख्यान, रिपोर्ट और परामर्श
5. मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से सीखना

यद्यपि शिक्षा के सभी पक्ष किसी न किसी रूप में जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए योगदान करते हैं, फिर भी कुछ प्रकार की शैक्षिक कियाऐं साधारण जनकल्याण हेतु जीवन यापन के स्तर के विकास तथा जवीन प्रणाली सुधरी उत्कृष्टता लाने के लिए विशेष रूप से कार्य करती है। इस प्रकार से शैक्षिक कियाओं को जीवन स्तर के सुधार के कार्यकम की संज्ञा दी गई है। अतः जीवन स्तर में सुधार कार्यक्रम विकास केन्द्रित होते हैं और इनके लिए मजबूत भविष्य अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। यह कार्यकम शिक्षा के माध्यम से भविष्य के लिए दृष्टि अपनाने में व्यक्ति को सहायता करते हैं और इस दृष्टि को प्राप्ति हेतु समुदाय को विकास कार्यो से युक्ति करने और उनका कार्यभार संभालने में सहायता करते हैं।

जीवन स्तर का संबंध समाज के कल्याण और मानव की अनेक जरूरतों की पूर्ति के स्तर से है। जीवन स्तर सुधार कार्यकम का उद्देश्य शिक्षार्थियों और समाज की अनिवार्य जानकारी और ऐसे रवैये, मूल्य और कौशल प्रदान करना है, जिससे वे व्यवितगत रूप से समाज के सदस्यों के नाते जीवन का स्तर सुधार सकें। इन कार्यकमों में विकास पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि ये शिक्षा के जरिये रहन–सहन का स्तर ऊंचा करने और जीवन शैली, सुधारने में मदद करने से सीधे जुड़े हुए हैं।

1. गतिविधियाँ :-

नवसाक्षर अर्जित योग्यता का इस्तेमाल विकास प्रक्रिया में कर सकें और उन्हें शासकीय नीतियों की जानकारी हो, जिससे रहन–सहन और कामकाज में गुणात्मक सुधार आ जावे। इसके लिए लोक शक्ति परियोजना में निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित की जावेगी।

अ– नवसाक्षर हेतु पढ़ने लिखने और हिसाब करने के साथ–साथ बातचीत के हुनर, व्यवसाय के हुनर, जीवन उपार्जन के हुनर, सिखाये जाने की गतिविधियां आयोजित की जावेगी।

ब– अच्छे स्वास्थ्य हेतु परिवार कल्याण, स्वच्छ पेयजल, पर्यावरणीय जागरूकता, टीकाकरण इत्यादि के लिए विभागीय प्रशिक्षण सेमीनार, प्रदर्शनियां, साप्ताहिक बैठक, विशेषज्ञों के उद्बोधन के माध्यम से गतिविधियां आयोजित की जावेगी।

स– कृषि, पशुपालन, पशुचिकित्सा, कानूनी जागरूकता एवं रोजगार के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण दिया जायेगा। कानूनी जागरूकता में विवाह की आयु, न्यूनतम मजदूरी, दहेज विरोधी कानून, बालश्रम कानून, बाल विवाह कानून की जानकारी सम्मिलित रहेगी।

द– कौशलों के विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए तथा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र पर विभिन्न व्यवसायों के लए 03 सप्ताह इससे अधिक या कम समय के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जायेंगे। ये व्यवसाय नवसाक्षरों की मांग के अनुसार चुने जाएंगे। नवसाक्षरों ने जिन व्यवसायों की मांग की है वे निम्नानुसार हैं :-

:: क्रियान्वयन एजेंसी ::

जिला शिक्षा केन्द (जिला साक्षरता समिति)

1. बजटः– विस्तृत बजट का विवरण बजट अध्याय में किया गया है।
2. संसाधन समर्थनः– ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, खादय विभाग, कृषि विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों राज्य संसाधन केन्द्र तथा शासकीय योजनाओं से संबंधित व्यक्तियों के सहयोग से प्रेरक तथा नोडल प्रेरक गतिविधियों को संपादित

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

करेंगे। स्थानीय व्यक्तियों का सहयोग लिया जावेगा, जिससे कार्य में ग्राम शिक्षा समिति, संकुल स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय कोरग्रुप के सदस्य भी सहयोग करेंगे।

जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम में सतत साक्षरता योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से हम आगामी पांच वर्षों में जिले में प्रगति के सूचकांकों में निम्नलिखित परिवर्तनों की अपेक्षा रखते हैं :–

जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम से अपेक्षित परिणामों के सूचकांक

	भारत	मध्यप्रदेश	विदिशा	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
प्रति महिला प्रजनन दर	-	4	-	3.6	2.3	2.8	2.4	2.1
कन्या शिशु मृत्यु दर	-	106.00	102.00	99	94	90	85	75
कन्या बाल मृत्यु दर	-	64.00	198.00	170	130	115	80	55
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	21.34	24.34	25.18	24	23	22	21	20
जन्म के समय स्त्रियों की जीवन प्रत्याशा (वर्ष 1993)	59.70	53.80	51.00	53.00	55.00	58.00	63.5	65.60

जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों को समायोजित किया गया है, जिसमें प्रति महिला प्रजनन दर, कन्या शिशु मृत्यु दर, कन्या बाल मृत्य दर सूचकांक तय किए गए हैं। इसके अंतर्गत वर्ष वार उनकी स्थिति में सुधार किया जायेगा, जिस हेतु जिले में अनेक कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

ब – समतुल्यता कार्यक्रम

समतुल्यता कार्यक्रम में शिक्षा से वंचित रहने वाले प्रौढ़ों तथा स्कूल छोड़ चुके बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा को अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे कुछ समय तक लगातार अध्ययन कर औपचारिक व्यवस्था के एक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस कार्यक्रम को लचीला और सृजनात्मक बनाने का प्रयास भी किया गया है। इससे शिक्षार्थी सीखने की अपनी गति के अनुरूप अपेक्षाकृत कम खर्च में वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। समतुल्यता कार्यक्रम भी लोक शक्ति परियोजना के अंतर्गत ही चलाया जाएगा, जिसकी आधारभूत संकल्पना निम्नानुसार है :–

साक्षरता अभियान से अभिप्रयास है व्यक्ति पढ़ने–लिखने में मूलभूत कौशलों के साथ–साथ सुखी हो, समझदार हो तथा जिम्मेदार हों। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। चाहे वह बच्चा हो, प्रौढ़ हो, बुढ़ा हो, स्त्री हो या पुरूष हो। समझदार व्यक्ति ही जिम्मेदार हो पाता है। जिम्मेदार व्यक्ति सुखी हो पाता है अतः सुखी होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समझदार बनना आवश्यक है। ऐसे सुखी एंव समृद्ध समाज की परंपरा स्थापित हो सके इसके लिए हर व्यक्ति को समझदार बनना आवश्यक है।

समझदार का आशय है जो स्वयं को समझता हो और अपने आस–पास की वस्तुओं को समझता हो और इस आधार पर मैं हूं और मेरा शरीर है, तथा मानव का मानव के साथ संबंध एवं मानव का शेष प्रकृति (मिट्टी, पानी, हवा, पेड़–पौधा, जीव–जन्तु) के साथ संबंधों को जो समझता हो।

जिम्मेदारी का आशय है मानव का मानव के साथ संबंधों को पहचानना, निर्वाह करना, मूल्यांकन करना एवं उभय सुखी होना तथा मानव के अलावा शेष प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता को समझकर निर्वाह करके उभय समृद्धि होना।

समझदारी को पूरा करने के कम में पढ़ना–लिखना उपयोगी है। जिम्मेदारी के निर्वाह के कम में, व्यवहार कार्य के निर्वाह को सीखना पड़ता है। सीखने की वस्तु विज्ञान, तकनीकी, कला, भाषा, गणित आदि है। सीखने के कम में पढ़ने–लिखने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है, और इसके माध्यम से सीखने का काम सरल एवं सहज हो जाता है। पढ़ने–लिखने का उपयोग कर समझदारी और सीखना दोनों ही शिक्षा के माध्यम से अगले पीढ़ी तक पहुंचना भी सहज और सरल हो जाता है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

उपरोक्त कथन के आधार पर यह स्पष्ट है कि समाज के हर व्यवित को चाहे वह बच्चा, युवा, प्रौढ़, स्त्री व पुरूष हो, समझदार बनना आवश्यक और साक्षर बनना उपयोगी है। ऐसे सुखी एवं समृद्ध समाज को परंपरा के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से भी ये अति आवश्यक है। इस हेतु लोक शक्ति परियोजना में समाज के सभी वर्गों एवं छूट गए निरक्षरों के लिए व्यवस्था है। समतुल्यता कार्यक्रम के अंतर्गत इसे निम्नानुसार चलाया जाएगा।

समतुल्यता कार्यक्रम का लक्ष्य

अभियान का लक्ष्य हर प्रौढ़ को समझदार एवं साक्षर बनाना है। इस लक्ष्य को निम्नवत विस्तार से देख सकते हैं–

1.1 समझदार व्यक्ति एवं जिम्मेदार व्यक्ति–

1.2 साक्षर व्यक्ति–

2.1 समझदार व्यक्ति– समझदार का अर्थ है, जो स्वयं को समझता है और अपने आसपास को समझता है, अतः समझने का अर्थ है, स्वयं से लेकर संपूर्ण व्यवस्था को समझना–

1. स्वयं में व्यवस्था।
2. शरीर के साथ व्यवस्था।
3. परिवार में व्यवस्था।
4. समाज में व्यवस्था।
5. प्रकृति में व्यवस्था।
6. अस्तित्व में व्यवस्था।

इन छः स्तर पर व्यवस्था को जो समझता हो, देख पाता हो, वही व्यक्ति समझदार है।

जिम्मेदार व्यवित – जो समग्र व्यवस्था को समझकर स्वयं के साथ शेष व्यवस्था की परस्परता एवं पूरकता को पहचानता है और निर्वाह कर तृप्त होता है, वही जिम्मेदार व्यक्ति है। जिम्मेदार व्यक्ति मानव के साथ सही व्यवहार करके उभय सुखी एवं शेष प्रकृति के साथ सही कार्य करके उभय समृद्ध हो पाता है।

2.2 साक्षर व्यक्ति– साक्षर व्यक्ति का तात्पर्य है, भाषा में प्रयोग की जाने वाली लिपि के अक्षर एवं अंकों को जो पढ़ने लिखने में सक्षम हो।

ध्यान देने पर यह भी स्पष्ट होता है कि अक्षरों एवं अंकों के साथ शब्दों को सीखना एवं प्रत्येक शब्द से इंगित होने वाली वस्तु (वास्तविकता) को पहचान लेना इसमें प्रमुख बात है। शब्द से इंगित होने वाली वास्तविकता ही उस शब्द का अर्थ होता है। अतः साक्षर व्यक्ति से आशय है, जो वास्तविकता (वस्तु) को जानता हो, उनको इंगित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पहचानता हो, उन शब्दों को अक्षरों व अंकों के रूप में पढ़ना–लिखना जानता हो।

2.0 विधि–

'समझदार साक्षर' व्यक्ति बनाने के लिए व्यक्ति में पहले समझदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। समझदारी के आधार पर जिम्मेदारी का भाव और इस भाव के आधार पर जिम्मेदारी के निर्वाह को सुनिश्चित करना बनता है। समझदारी और जिम्मेदारी के निर्वाह के क्रम में सीखने की आवश्यकता व्यक्ति को स्वयं में दिखने लगती है। जैसे व्यवहार के क्रम में विज्ञान, तकनीकी, कला आदि का प्रयोग। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए भाषा की उपयोगिता स्पष्ट होती है। भाषा के प्रयोग से सीखने का काम सरल और सहज हो जाता है और शिक्षा के रूप में आगे की पीढ़ी को सीखना भी सरल एवं सहज हो जाता है। एक बार भाषा की ओर उसे लिखने पढ़ने की उपयोगिता व्यक्ति को दिखने लगे तो उसे भाषा और पढ़ना–लिखना को सीखना काफी कम समय में आ सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित विधि का प्रयाग किया जायेगा।

3.1 समझदारी के लिए –

समझदारी की आवश्यकता व्यक्ति के जीने के संदर्भ में स्पष्ट होती है। सुख पूर्वक जीने को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को समझना एवं आसपास को समझना आवश्यक दिखाई पड़ता है। साथ–साथ अपने आसपास के साथ परस्परता के निर्वाह को सुनिश्चित करना भी जरूरी है और समृद्धिकारी है ऐसा स्पष्ट होता है। इन बातों को स्पष्ट करने की दृष्टि से–

3.1.1 चर्चा

3.1.2 शिविर

3.1.3 विद्यार्थी द्वारा जांचना, व्यवहार एवं प्रयोग मूल्यांकन प्रस्तुति को माध्यम बनाया जायेगा।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

3.1.1 चर्चा – प्रत्येक व्यक्ति के जीने के मुद्दे से शुरू करके स्वयं में विश्वास की स्थिति, परिवार एवं समाज में मैत्री एवं विश्वास पूर्वक जीने की स्थिति प्रकृति के साथ परस्परता एवं पूरकता के निर्वाह की स्थिति पर चर्चा की जाये। इन चर्चाओं में धीरे–धीरे स्वयं को समझने की और आसपास को समझने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से हर व्यक्ति को दिखने लगेगी। आवश्यकता दिखने लगे तो शिविर के माध्यम से समझने के इस काम को पूरा किया जायेगा।

3.1.2 शिविर– समझने की आवश्यकता महसूस होने पर एक साप्ताहिक शिविर के माध्यम से समझने की वस्तु को स्पष्ट किया जायेगा। समझने की वस्तु है–

1. स्वयं को समझना 2. आसपास को समझना

स्वयं को समझने के कम में स्वयं की चाहना और करना कों समझना तथा स्वयं का किया, बल, शक्ति को समझना आवश्यक दिखता है। आसपास को समझने के कम मानव के साथ जीते हुए परिवार एवं समाज को समझने की आवश्यकता तथा जीते हुए परिवार एवं समाज को समझने की आवश्यकता तथा मानव के अलावा प्रकृति के साथ जीते हुए प्रकृति को समझने की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

इस प्रकार शिविर के अध्ययन वस्तु के रूप में निम्नलिखित स्पष्ट होते हैं।

1. चाहना, करना और समझना।
2. स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था को समझना।

उपरोक्त अध्ययन वस्तु के बारे में पाठयकम में विस्तारित किया गया है।

3.1.3 **विद्यार्थी द्वारा जांचना, व्यवहार–** प्रयोग एवं मूल्यांकन प्रस्तुति समझने के कम में चाहना और करना तथा स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व का व्यवस्था को, समझना और व्यवस्था पूर्वक जीना के संदर्भ में जो बातें कही जा रही है, को हर विद्यार्थी एवं प्रौढ़ (प्रौढ़) अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर एवं अपने जीने के आधार पर जांच के देखें। अगर बात उसे सहज स्वीकार होती है, तो सही के रूप में स्वीकार करें अन्यथा नहीं। इसी तरह इन बातों को व्यवहार एंव प्रयोग में लाने से इस बात के आधार पर जीने से स्वयं सुखी समृद्ध होते है और दूसरे भी सुखी समृद्ध होते हैं, तो स्वीकार करें अन्यथा नहीं। जांचने की इस प्रकिया से हर प्रौढ़ स्वयं के जीने में इन बातों (वास्तविकताओं) को देख पायेगा, और उसके स्वयं के अधिकार पर जीने की प्रकिया भी शुरू हो जायेगां यह गुरूजी और विद्यार्थी दोनों के लिए सुखकारी होगा। जांचने का (स्वयं के

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

स्वीकृति के आधार पर) एवं जीने का (व्यवहार प्रयोग में) यह काम किस गति से चल रहा है, इसको स्पष्ट करने के लिए हर विद्यार्थी अपना मूल्यांकन लिखित एवं मौखिक रूप से प्रकट करेगा। इससे आपको (गुरूजी को) भी विद्यार्थी की एवं की स्थिति, गति की सही जानकारी हो पायेगी। इस आधार पर आप उपरोक्त बातों को समझने एवं जीने के बारे में समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार मूल्यांकन के लिए प्रारूप तैयार किये जा सकते हैं।

3.2 साक्षरता के लिए – समझदारी और जिम्मेदारी के आधार पर जीने का कम शुरू हो जाये तो इन दोनों के संदर्भ में सीखने की आवश्यकता एवं उपयोगिता को स्पष्ट किया जाये। सीखने की वस्तु के रूप में विज्ञान, तकनीकी, कला, भाषा, गणित, गीत–संगीत की ओर ध्यान दिलाया जाये। यह भी स्पष्ट किया जाए कि भाषा के प्रयोग से सीखने का काम सरल और सहज हो जाता है। इससे सीखाने का काम भी सरल और सहज हो जाता है। सीखने–सीखाने के काम को शिक्षण विधि से पूरा करने की दृष्टि से भाषा को सुनने एंव बोलने के लिए साथ–साथ लिखने एवं पढ़ने को जान लेने से यह काम और भी सरल, सहज और सुगम हो जाता है। इस तरह से लिखने–पढ़ने की उपयोति स्पष्ट और स्वीकृत हो जाने पर लिखने–पढ़ने का काम शुरू किया जाए।

लिखने–पढ़ने को सीखाने का क्रम इस प्रकार होगा–

1. वस्तु को पहचानना।
2. वस्तु को इंगित करने वाले शब्द को पहचानना।
3. उस शब्द कोलिखने के लिए उपयोग किये जाने वाले अक्षर एवं मात्रा को पहचानना।
4. अक्षर एवं मात्राओं को लिखने का अभ्यास करना।
5. अक्षर एवं मात्राओं के आधार पर शब्दों को लिखने का अभ्यास करना।
6. शब्दों से इंगित वस्तु को पहचानना अर्थात शब्द का अर्थ जानना।

3.0 पाठयकम–

3.1 समझदारी को सुनिश्चित करने के लिए–

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

हर मनुष्य समझदार और जिम्मेदार हो जाये, इसको सुनिश्चित करने के लिए दो चीजों को समझना आवश्यक है।

1. स्वयं को समझना।
2. अपने आसपास को समझना।

स्वयं को समझने के कम में अपनी चाहना और करना को स्पष्ट करना बनता है। स्वयं की क्रिया, शक्ति और बल को समझना होता है। आसपास को समझने के कम में अपने आसपास के मनुष्य और मनुष्येत्तर प्रकृति को समझना आवश्यक है। मनुष्यों को समझने और उनके साथ जीने के कम में परिवार, समाज को समझना बनता है। मनुष्येत्तर प्रकृति के साथ जीने के कम में समग्र प्रकृति को समझना बनता है। इस प्रकार समग्र प्रकृति जो एक–एक रूप में शून्य आकाश में बनी हुई है उसको समझना बनता है। इन सभी को समझने की दृष्टि से निम्न वर्णित पाठयकम की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

4.1.1 चाहना, करना

4.1.2 व्यवस्था–

स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था 6 स्तर पर

1. स्वयं में व्यवस्था
2. शरीर के साथ व्यवस्था
3. परिवार में व्यवस्था
4. समाज में व्यवस्था
5. प्रकृति में व्यवस्था
6. अस्तित्व में व्यवस्था

4.1.1 **चाहना, करना** – स्वयं को सतझने के कम में सबसे पहले स्वयं की चाहना और करना को स्पष्ट करना आवश्यक है। आज सबसे बड़ी समस्या मनुष्य की चाहना का अस्पष्ट होना है। चाहना की अस्पष्टता के कारण करना भी अस्पष्ट रहता है। न तो हम साथ–साथ चाह पाते हैं, न साथ–साथ कर पाते हैं, इसलिए न तो व्यक्तिगत कार्यकम स्पष्ट है न सामाजिक कार्यकम। स्वयं के अधिकार पर जांचने और जीने जायें तो चाहना और करना के कम में निम्नलिखित बातों को हम समझ पाते हैं।

4.1.1.1 **चाहना** – हर मनुष्य सुख एवं समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहता है। हर व्यक्ति अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर इसको जांचकर देख सकता है। इसका कोई अपवाद नहीं दिखाई पड़ता। सुख को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, अस्वीकृति के भाव में जीने के लिए बाध्य होना दुःख है। अर्थात जिस स्थिति/ परिस्थिति में मैं जीता हूं अगर उसमें सामंजस्य है, लय है, तालमेल है, व्यवस्था है तो ऐसा जीना मुझे स्वीकार्य होता है। इस स्वीकृति के भाव में जीना सुख है।

इसे और स्पष्टता से देखे तो – व्यवस्था में जीना सुख है।

अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना दुःख है। अव्यवस्था में कोई नहीं जीना चाहता, अगर उसे बाध्यतावश जीना पड़े तो उस समय उसकी जो मानसिक स्थिति बनती है, उसे दुःख कहते हैं। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि व्यवस्था में जीना सुख है, हर स्थिति/परिस्थिति में अगर व्यवस्था में जीना सुनिश्चित हो सके तो सुख से जीने की निरंतरा संभव हो सकेगी। समृद्धि का अर्थ आवश्यक सुविधा से अधिक का उत्पादन और उपलब्धि है। सुविधा की आवश्यकता शरीर के पोषण, संरक्षण सदुपयोग के कम में आवश्यक आहार, आवास, कपड़ा एवं साघन के रूप में परिभाषित होता है। सुविधा की आवश्यकता को ठीक–ठीक पहचानने के आधार पर ही समृद्धि समझ में आती है।

4.1.1.2 करना– सुख की परिभाषा को "व्यवस्था में जीना" के रूप में देख पाने पर मनुष्य को क्या करना है, यह स्पष्ट होता है। यदि हम हर स्थिति/ परिस्थिति में व्यवस्था में जी पाते हैं, तो हमारे सुख की निरंतरा होती है। व्यवस्था में जीने के लिए व्यवस्था को समझना आवश्यक है।

अतः हर स्थिति–परिस्थिति में व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना यही हर मनुष्य का कार्यकम करना है। हर स्तर पर व्यवस्था को समझकर ही मनुष्य, मनुष्य के साथ सही व्यवहार करके सुखी होता है और मनुष्येत्तर प्रकृति के साथ ही कार्य करके समृद्ध होता है।

मनुष्य के जीने की सारी स्थिति–परिस्थिति को देखें तो 6 स्तर दिखाई पड़ते हैः–

1. स्वयं में जीना
2. शरीर के साथ जीना
3. परिवार में जीना
4. समाज में जीना
5. प्रकृति में जीना
6. अस्तित्व में जीना

इन 6 स्तर पर व्यवस्था को समझना एवं व्यवस्था में जीना यही हर मनुष्य का कार्यकम है, करना है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

आगे हम इन 6 स्तर पर व्यवस्था पर चर्चा करेंगे।

4.1.2. व्यवस्था– उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था (6 स्तर पर) समझना आवश्यकता है।

4.1.2.1 **स्वयं में व्यवस्था–** स्वयं पर ध्यान देने यह दिखाई पड़ता है कि मैं हूं और मेरा शरीर है। इन दो की आवश्यकता भिन्न–भिन्न है और इन आवश्यकता को पूरा करने की वस्तुएं भी भिन्न–भिन्न है। मैं की आवश्यकता सुख है और शरीर की आवश्यकता सुविधा है। सुख, व्यवस्था को समझने और व्यवस्था में जीने से होने वाले भाव से मिलता है, जबकि सुविधा, भौतिक, रायासनिक वस्तुओं के रूप में उत्पादन पूर्वक प्राप्त होती है। सुख का आधार समझ और भाव है, जो भौतिक–रासायनिक वस्तु नहीं है, जबकि सुविधा भौतिक रासायनिक वस्तु है।

मैं की आवश्यकता निरंतर है। जबकि शरीर की आवश्यकता परिवर्तनशील है। मैं की किया व शक्ति (इच्छा, विचार, आशा) निरंतर बनी रहती है, जबकि शरीर कि किया एवं शक्ति परिवर्तनशील है। मैं में जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करने की किया दिखाई पड़ती है (जानने–मानने की किया के आधार पर ही मैं को चैतन्य कहते है) जबकि शरीर में केवल पहचानना, निर्वाह करने की किया होती है। मैं शरीर को साधन की तरह प्रयोग करता है और शरीर के पोषण संरक्षण का भी ध्यान रखता है। इसे देख पाने पर स्पष्ट होती है कि मनुष्य कार्यकम मैं का सुखी होने का है और शरीर के लिए आवश्यक सुविधा का उत्पादन इस पूरे कार्यकम का एक भाग है। मैं की शक्ति और कियाओं के बीच सामंजस्य का होगा मैं में व्यवस्था स्वरूप है।

4.1.2.2. **शरीर के साथ व्यवस्था–** शरीर मे के साधन के रूप में दिखाई पड़ता है। मैं शरीर के पोषण एवं संरक्षण की आवश्यकता को पहचानता है और उसे पूरा करने के लिए कार्यकम बनाता है। मैं ही शरीर का सदुपयोग सुनिश्चित करता है। शरीर के लिए आहार, आवास एवं साधन की आवश्यकता है। आहार शरीर की पुष्टि के लिए, आवास शरीर की सुरक्षा के लिए है और साधन शरीर के सदुपयोग के लिए है। सुविधा का उत्पादन, संरक्षण और सदुपयोग शरीर के माध्यम से और शरीर के लिए किया जाता है, किन्तु यह सब मैं के निर्णय के आधार पर होता है। शरीर की पांच ज्ञानेन्द्रियें (आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा) में के ज्ञान प्राप्त करने का साधन है और पांच कर्मेन्द्रियां (हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा) ये मैं के द्वारा शरीर से लिये जाने वाले कार्य के साधन है। इस रूप में मैं की शरीर के साथ व्यवस्था समझ में आती है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

4.1.2.3. परिवार में व्यवस्था– परिवार में मूलभूत बात संबंध है। संबंध को पहचानने और निर्वाह करने के कम में शरीर को साधन की तरह प्रयोग किया जाता है। संबंध को ध्यान से देखें तो स्पष्ट होता है कि–

1. संबंध है, मैं और मैं के बीच में।
2. संबंध में अपेक्षा है– मैं का मैं से।
3. संबंध का निर्वाह है– मैं के द्वारा मैं के लिए।
4. निर्वाह के मूल्यांकन से सुख है दोनों मैं को।

वात्सल्य, कृतज्ञता आदि भावों के रूपस में पहचान में आती है। इन अपेक्षाओं के पहचान और निर्वाह से उभय सुख सुनिश्चित होने को ही न्याय के रूप में जाना जाता है। न्यायपूर्वक परिवार में जीते हुए मनुष्य परस्परता में अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके समृद्धि को सुनिश्चित कर पाता है।

4.1.2.4. समाज में व्यवस्था– समाज में और समाज से, हर व्यक्ति को यह चार अपेक्षायें बनी रहती हैं–

1. समाधान (समझदारी)– हर व्यक्ति में।
2. समृद्धि – हर परिवार में।
3. अभय– समाज में।
4. सह अस्तित्व प्रकृति की चारों अवस्थायें में।

इन चार अपेक्षाओं में से किसी अपेक्षा को छोड़ा नहीं जा सकता और न ही इसके अलावा कोई अन्य अपेक्षा की जा सकती है। ये अपेक्षायें ही समाज की मौलिकता है, मूल्य है, इनके बिना समाज एक भीड़ के रूप में बना रहता है।

इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समाज के व्यवस्था को जो स्वरूप दिखता है, इसके पांच आयाम है –

1. शिक्षा–संस्कार
2. स्वास्थ्य–संयम
3. उत्पादन–कार्य
4. विनिमय–कोष
5. न्याय–सुरक्षा

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

4.1.2.4.1 शिक्षा–संस्कार – शिक्षा से आशय शिक्षणपूर्वक समझदारी को सुनिश्चित करना है और संस्कार का आशय समझदारी पूर्वक जीने की तैयारी और निष्ठा को सुनिश्चित करना है। अर्थात, शिक्षा संस्कार का आशय स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था को समझना है और व्यवस्था में जीने की तैयारी और निष्ठा को सुनिश्चित करना है।

4.1.2.4.2 स्वास्थ्य संयम – संयम का अर्थ – "मैं" के द्वारा शरीर के पोषण, संरक्षण एवं सदुपयोग की जिम्मेदारी को स्वीकार लेना और उसका निर्वाह करने के लिए क्रियाशील होना है। स्वास्थ्य का आशय है कि शरीर के अंग–प्रत्यंगों के बीच व्यवस्था और शरीर का मैं के अनुसार कार्य करने योग्य होना।

4.1.2.4.2 उत्पादन–कार्य – मानव द्वारा शेष प्रकृति– मिट्टी, पांनी, हवा, पेड़–पौधे, पशु–पक्षी आदि पर किया गया श्रम को कार्य कहते हैं। मानव शेष प्रकृति के साथ अपनी परस्पर पूरकता को ठीक–ठीक समझ पाता है, तो श्रम पूर्वक आवर्तनशील विधि से उत्पादन कर स्वयं के लिए आवश्यकता से अधिक सुविधा प्राप्त करता है और शेष प्रकृति को भी समृद्ध बनाता है। आवर्तनशील उत्पादन प्रकिया से आशय है कि ऐसी प्रकिया जो चकीय कम में हो और जिसमें भाग लेने वाली हर इकाई समृद्ध हो।

4.1.2.4.4 विनिमय–कोष – परिवार में उत्पादित वस्तु को परस्पर पूरकता के अर्थ में आदान–प्रदान को विनियम कहते हैं और आवश्यकता पूर्ति से शेष वस्तु को भविष्य में प्रयोग के लिए संचय को कोष कहते हैं। विनियम और कोष दोनों का आशय परस्पर पूरकता का निर्वाह है न कि लाभ का उन्माद।

4.1.2.4.5. न्याय सुरक्षा – मानव का मानव के साथ संबंधों में निहित अपेक्षाओं को पहचानना, निर्वाह करना, मूल्यांकन कर उभय सुख सुनिश्चित करना न्याय है। मनुष्य का मनुष्येत्तर प्रकृति के साथ संबंध को पहचानना, निर्वाह करना और उभय समृद्धि सुनिश्चित करना सुरक्षा है। अर्थात हर मनुष्य के साथ न्याय और मनुष्येतर प्रकृति के सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें यही न्याय सुरक्षा है।

मानव संबंध में निहित अपेक्षाओं को हम विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, गौरव, कृतज्ञता, श्रद्धा, प्रेम इन भावों के रूप में पहचान पाते हैं। प्रकृति की सुरक्षा को उसके संरक्षण, संवर्धन और सदुपयोग के रूप में देख पाते हैं।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

शिक्षा संस्कार से हर व्यक्ति में समाधान सुनिश्चित होता है। आवर्तनशील उत्पादन कार्य से परिवार में समृद्धि और प्रकृति में सह–अस्तित्व सुनिश्चित होता है। विनियम–कोष और न्याय से समाज में अभय सुनिश्चित होता है। सुरक्षा से प्रकृति में सह–अस्तित्व सुनिश्चित होता है। इस प्रकार व्यवस्था के इन पांचों आयामों के आधार पर समाज के चारों अपेक्षित मूल्य–समाधान, समृद्धि, अभय और सह–अस्तित्व सुनिश्चित होते हैं।

4.1.2.4. **प्रकृति में व्यवस्था** – प्रकृति को देंखे तो एक–एक इकाई के रूप में दिखाई पड़ती है और इन इकाईयों का एक–दूसरे से जुड़ा होगा (परस्परतां) और एक दूसरे का पूरक होना (पूरकता) दिखाई पड़ता है। अर्थात प्रकृति की हर इकाई दूसरे इकाई के साथ परस्परता में है और पूरक्ता में है – परस्पर पूरकता में है। प्रकृति को और ध्यान से देखें तो इन इकाईयों को चार अवस्थाओं के रूप में विभाजित किया जा सकता है–

1. मिट्टी, पानी, हवा – पदार्थावस्था
2. पेड़–पौधे – प्राणावस्था
3. पशु पक्षी – जीवावस्था
4. मनुष्य – ज्ञानावस्था

ये चारों अवस्थाएं भी एक दूसरे के पूरक है। प्रथम तीन अवस्थाओं के बीच परस्पर पूरकता प्रमाणित होती दिखती ही है। (उदाहरणार्थ– वन में मिट्टी, पानी, हवा, पेड़, पौधे, पशु–पक्षी एक–दूसरे को समृद्ध करते हुए दिखाई पड़ते है। ये सभी मनुष्य के लिए भी पूरक हैं। मनुष्य भी इन सभी के लिए पूरक होना ही स्वीकारता है, किन्तु समझदारी के अभाव में ऐसा क्र नहीं पाता। समझदारी पूर्वक एवं जिम्मेदारी पूर्वक मनुष्य भी शेष तीन अवस्थाओं के साथ अपनी परस्पर पूरक्ता को प्रमाणित कर पाता है। प्रकृति में व्यवस्था को सुनिश्चित करने के कम में दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

4.1.2.5.1 मनुष्य के द्वारा प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता।

4.1.2.5.2 स्वयं के लिए आंवश्यकता से अधिक का उत्पादन।

4.1.2.5.3 मनुष्य के द्वारा प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता।

मनुष्य का जीना और उसके उत्पादन कार्य का स्वरूप इस प्रकार होना बनता है, जो प्रकृति की शेष तीन अवस्थाओं के लिए पूरक सिद्ध होता है। अर्थात ये तीनों अवस्थाएं की वस्तुयें

मनुष्य द्वारा प्रयोग किये जाने के बाद पहले से ज्यादा समृद्ध हो जाती है। ये समृद्धि इनके संवर्धन, संरक्षण और सदुपयोग के रूप में दिखाई पड़ती है।

उदाहरणार्थ – उपर्युक्त फसल चक्र के द्वारा खेती से खेत की उर्वरकता पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। पशु पालन के माध्यम से पशुओं को पहले से ज्यादा समृद्ध किया जा सकता है। उनका संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, नस्ल को विकसित किया जा सकता है। प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता के इस निर्वाह को ही वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के रूप में देखा जाता है। इसी को जल, जमीन, जंगल और पशु–पक्षी के संरक्षण, संवर्धन एवं सदुपयोग के रूप में देखा जाता है।

4.1.2.5.2 मनुष्य के लिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन – शेष प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता का ध्यान रखते हुए मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन को सुनिश्चित कर सकता है। इसके लिए प्रकृति में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और मनुष्य में श्रम करने की क्षमता है। आवर्तनशील उत्पादन प्रकिया से आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कम में तीन कार्य प्रमुख हैं–

1. कृषि
2. पशुपालन
3. लघु एवं कुटीर उद्योग

आवश्यकता से अधिक उत्पादन में प्रमुख बात मनुष्य की आवश्यकता का निर्धारण करना है। समझदारी पूर्वक हम देख पाते हैं कि शरीर के पोषण, संरक्षण एवं सदुपयोग निश्चित किया जा सकता है और निश्चित होने पर ये आवश्यकताएं सीमित हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है न कि असीमित, जैसा कि आज कहा जाता है। एक बार सुविधा की आवश्यकताएं निश्चित हो जाए तो हम देख पाते हैं कि इससे अधिक उत्पादन की उपलब्धि की संभावना बनी हुई है। इस अर्थ में समृद्धि का भाव बन पाता है।

4.1.2.6 अस्तित्व में व्यवस्था – अपने चारों तरफ देखे तो एक–एक के रूप में इकाईयां दिखती है और खाली स्थान दिखता है। खाली स्थान में इकाईयां दिखती है। इसका अर्थ है कि खाली स्थान (शून्य) में इकाईयां है। यही संपूर्ण अस्तित्व है। जो कुछ भी है, वह शून्य है या शून्य में स्थित इकाई के रूप में है। इकाई समह को ही प्रकृति कहा गया है। इसलिए अस्तित्व को शून्य में स्थित प्रकृति के रूप में देख सकते हैं।

ध्यान देने पर यह भी दिखाई पड़ता है कि हर इकाई शून्य में स्थित है। शून्य में नियंत्रित और क्रियाशील है और दूसरे इकाईयों के साथ परस्परता को पहचान कर निर्वाह कर रही है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि "मैं" भी एक इकाई के रूप में हूं, जिसमें पहचानना, निर्वाह करना के साथ–साथ जानना, मानना की संभावना भी बनी हुई है। जानने–मानने की इस क्रिया को ही चैतन्यता कहा जाता है और "मैं" को एक चैतन्य इकाई के रूप में देखा जाता है।

उपरोक्त 6 स्तर पर व्यवस्था को समझ पाने के आधार पर हर स्तर पर स्वयं की सोच के साथ परस्परता को हम पहचान पाते हैं और उसका निर्वाह कर स्वयं सुख समृद्धि पूर्वक जीते हैं और परिवार समाज एवं प्रकृति के साथ सुख–समृद्धि का श्रोत बनते हैं। स्वयं सुख–समृद्धि पूर्वक जीकर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की मानवीय परंपरा को स्थापित कर पाते हैं।

4.2 साक्षरता के लिए – समझदारी और जिम्मेदारी के निर्वाह के क्रम में पढ़ने लिखने को सीखने की आवशकता पर ध्यान दिलाया गया था। उसे थोड़े विस्तार से देखने की आवश्यकता है।

4.2.1 सीखने की उपयोगिता एवं आवश्यकता– समझने–समझाने के क्रम में हम भाषा का प्रयोग करते ही हैं। भाषा को सुनने और बोलने के माध्यम से भी यह काम पूरा किया जाता है, परन्तु उसे पढ़ने–लिखने के माध्यम से समझने–समझाने से भी यह काम को और अधिक सरलता एवं सुगमता से किया जा सकता है। समझदारी और जिम्मेदारी के निर्वाह के क्रम में हमें विज्ञान, तकनीकी प्रबंध, कला, गीत, संगीत, भाषा, गणित आदि शिक्षण–प्रशिक्षण पूर्वक सीखना पढ़ना है या इन्हें सीखने की आवश्यकता बनी ही रहती है। इनके अभाव में हम व्यवहार–कार्य का ठीक–ठीक निर्वाह नहीं कर पाते हैं, जिसके फ़लस्वरूप हमारे एवं समाज के सुख–समृद्धि की निरंतरता में बाधा पड़ती है। अतः सुख–समृद्धि के मानवीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन विधाओं को सीखना आवश्यक है।

4.2.2 सीखने के क्रम में भाषा का उपयोग– उपरोक्त विधाओं को सीखने–सीखाने के क्रम में हम भाषा का प्रयोग करते ही हैं। भाषा के बिना सीखने–सीखाने का काम या तो संभव ही नहीं होता या अति कठिन हो जाता है। सामान्यतः हम भाषा को सुनने और बोलने तक ही सीमित रखकर सीखने–सीखाने का अपना काम चला लेते हैं।

4.2.3 भाषा में सुनने– बोलने के साथ–साथ पढ़ने–लिखने की उपयोगिता– भाषा को सुनने बोलने तक ही सीमित रखते हुए भी हम सीखने का काम कर सकते हैं और करते रहे हैं, परन्तु भाषा को पढ़ने–लिखने के माध्यम से सीखना, सीखे हुए को स्मृति एवं अभिलेख के रूप में रखना,

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

आदान–प्रदान करना एवं दूसरे को सीखाना इन प्रक्रियाओं को ज्यादा अच्छी तरह से और सरलता से किया जा सकता है। इस आधार पर सीखने–सीखाने को एक शिक्षा परंपरा के रूप में सरलता एवं सहजता से किया जा सकता है।

4.2.4. पढ़ना–लिखना सीखने के लिए पाठ्यक्रम – पढ़ने–लिखने की उपयोगिता स्पष्ट होने पर पूर्व के शेष ड्रॉप आउट प्रौढ़ां को आई.पी.सी.एल. प्रवेशिका–1,2,3 में वर्णित पाठयक्रम से पढ़ाया जायेगा।

4.2.4 गणना –

4.2.5.1 गणना करना, जोड़ना घटाना–

(अ) ग्राम की जनसंख्या की गणना–
बच्चे, युवा, वृद्ध के आधार पर
स्त्री, पुरूष

(ब) व्यक्ति की औसत आवश्यकता–
बच्चे, युवा, वृद्ध के लिए–
आहार, आवास, अलंकार की वस्तु की
दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन की वस्तु की

(स) ग्राम की कुल अनुमानित आवश्यकता–
आहार, आवास, अलंकार की वस्तु
दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन की वस्तु

(द) ग्राम में उपलब्ध संसाधन की गणना–
पशु–पक्षी (जीवावस्था)
पेड़–पौधे, वनस्पति (प्राणवस्था)
मिट्टी, पानी, धातु (पदार्थवस्था)

(इ) उनमें प्राप्त होने वाली उपयोगी वस्तु–
औसत उपयोगिता का गणना व
कुल उपयोगिता का गणना

(फ) उनसे प्राप्त होने वाली औसत उपयोगिता की संभावना व
कुल उपयोगिता के उत्पादन की गणना

(ग) तुलनात्मक अध्ययन–
ग्राम के लोगों की कुल अनुमानित आवश्यकता तथा

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अनुमानित उपयोगिता के उत्पादन की संभावना

इसके आधार पर समृद्धि की संभावना को स्पष्ट करना।

(ह) ग्राम का मानचित्र, दिशा, दूरी

आकार, क्षेत्रफल के अनुरूप

मानचित्र में आबादी, खेत, वन नदी / तालाब आदि का निरूपण

(ई) समीपस्थं ग्रामों, शहरों की दूरी, पहुंचने में लनग वाली समय–

समीपस्थ ग्रामों, शहरों की दूरी

मनुष्य की गति, उपलब्ध मोटर गाड़ी आदि की गति

(ज) तिथि व समय का निश्चियन–

तिथिवार, माह, वर्ष, शताब्दी का प्रयोग व निश्चियन

घड़ी का प्रयोग कर घंटा, मिनिट, सेकेण्ड को देखना (निश्चयन)

4.2.5.2 संख्याओं को अंको में लिखना – उपरोत 4.2.5.1. के संदर्भ में।

4.2.5.3 अंकों के आधार पर संख्याओं को जोड़ना–घटाना–उपरोक्त 4.2.5.1 के संदर्भ में।

4.3 **विज्ञान** – जड़ वस्तुओं (पदार्थावस्था– मिट्टी, पानी, हवा, प्राणावस्था–पेड–पौधा, जीवावस्था–पशु शरीर, ज्ञानावस्था–मानव शरीर) के परस्पर संबंधों को नियम कहते हैं। इस नियम के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के अध्ययन से हम जड़ वस्तुओं के साथ सही–सही कार्य कर पाते हैं। उसके फलस्वरूप स्वयं भी समृद्ध होते हैं और शेष प्रकृति को समृद्ध करते हैं।

4.4 भौगोलिक एंव आर्थिक जानकारी – मानव के शरीर के लिए सुविधा की आवश्यकता है, इसको पहचानने और उसे प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों से श्रम पूर्वक उत्पादन कर पूरा करने के क्रम में आर्थिक एवं भौगोलिक जानकारी की उपयोगिता है।

आर्थिक एवं भौगोलिक जानकारी के अंतर्गत–

1. शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के लिए आहार, आवास, साधन की आवश्यकता का निर्धारण।

2. प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों के प्रकार व उनकी उपलब्धता की मात्रा का अध्ययन।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

3. मानव द्वारा श्रमपूर्वक इन संसाधनों का प्रयोग कर किये जाने वाले उत्पादन एवं सेवाओं का अध्ययन।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित जानकारी शामिल की गयी है।

4.4.1 गांव की मूलभूत जानकारी–

1. गांव का नाम
2. पंचायत का नाम
3. विकासखण्ड
4. तहसील
5. जिला
6. सरपंच का नाम
7. ग्राम प्रभारी समन्वय/शिक्षक

4.4.2 जनसंख्या–

कमांक	वर्ग	कुल जनसंख्या	साक्षर/निरक्षक
सकल			
महिला			
पुरूष			
अनु.जाति			
अनु.ज.जाति			
योग			

4.4.3 सुविधाओं की उपलब्धता–

	संसाधन	है/नहीं
1.	प्राथमिक शाला–	
2.	आंगनवाड़ी	
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
4.	बैंक	
5.	पोस्ट आफिस	

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

4.4.4 यातायात एवं संचार व्यवस्था–

	संसाधन	संख्या
1.	सायकल	
2.	मोटर सायकल जीप/मोटर	
3.	ट्रेक्टर	
4.	टेलीफोन	

4.4.5 व्यवसाय–

	वर्ग	संख्या
1.	भूमि स्वामी	
2.	भूमिहीन	
3.	डेयरी/दुग्ध उत्पादन	
4.	सब्जी–भाजी	
5.	उद्यानिकी	
6.	गैर कृषि कार्य	
7.	बेरोजगार	

4.4.6 भूमि–

	प्रकार	रकबा
1.	कृषि भूमि	
2.	उद्यानिकी	
3.	वनभूमि	
4.	पड़त भूमि	

4.4.7 ज़ल उपलब्धता–

कमांक	स्त्रोत	संख्या
1.	कुआं	
2.	तालाब/बांध	
3.	चेकडेम/स्टापडेम	
4.	नहर तंत्र	
5.	ट्यूब बेल	

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

4.4.8 फसल–

नाम	रकबा	प्रतिवर्ष उत्पादित मात्रा
1. खरीफ		
2. रबी		
3. उद्यानिकी/वानिंकी		

4.4.9 पशुधन–

किस्म	संख्या	चारे की आवश्यकता
1. गाय/बैल		
2. भैंस		
3. बकरी/भेंड़		
4. सुअर		

4.5 गीत संगी– संलग्न पूरक पुस्तिका

5.0 कार्यक्रम –

5..1 कार्यशाला –

5.1.1 लक्ष्य, विधि, कार्यक्रम का निर्धारण एवं शिक्षक निर्देशिका तैयारकिया जाना।

5.1.2 पाठय पुस्तिका का स्वरूप तैयार करना एवं लिखा जाना।

1. पूरक पुस्तिका

5.2 ग्राम समिति का गठन–

5.3 चयन–

5.3.1 निरक्षरों का सर्वे एवं प्रशिक्षक (गुरूजी) का चयन।

5.3.2 समाधान भवन (जहां कक्षा लगेगी) का चयन।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

5.4 शिविर–

5.4.1 प्रशिक्षकों (गुरूजी) का

5.4.2 प्रत्येक निरक्षर ग्रुपों के साथ मास्टर ट्रेनर की उपस्थिति में प्रशिक्षक द्वारा चर्चा एवं शिविर शुरूआत।

5.4.3 प्रशिक्षक द्वारा शिविर का संचालन

5.4.4 प्रशिक्षक द्वारा पढ़ना–लिखना को सुनिश्चित करना।

5.5 प्रति माह आंतरिक मूल्यांकन एवं पुर्नप्रशिक्षण शिविर (2 दिवसीय)

5.6 बैठक व्यवस्था

1. समन्वय समिति स्तर पर (साप्ताहिक)– प्रति सप्ताह रविवार 3.00 से 5.00 बजे।
2. ग्राम स्तर पर (पाक्षिक)– प्रत्येक माह दिनांक 15 को ग्राम स्तर पर ग्राम सभा आयोजन किया जायेगा, जिसमें ग्राम समिति के सदस्य शाला परिवार, युवा मण्डल, महिला बचत समूह एवं अन्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी होंगे।
3. नोडल (मासिक)– प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को क्रमिक सभी ग्रामों में दोपहर 12.00 से 4.00 तक समन्वय समिति, प्रधान पाठक, कार्यकारिणी सदस्य, महिला मण्डल प्रमुख, पंच, सरपंच एवं शासकीय अधिकारी, कर्मचारी ग्राम सभा के रूप में उपस्थित होंगे।
4. विकासखण्ड स्तरीय (त्रैमासिक) प्रत्येक तीन माह में परियोजना कार्यालय में त्रैमासिक समीक्षा बैठक होगी, जिसमें जनप्रतिनिधि, जिला कलेक्टर, सलाहकार समिति, नोडल अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, शाला समन्वयक, ग्राम समिति, गुरूजी महिला मण्डल, पंच, सरपंच एवं अन्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होंगे।

टीप–

1. प्रत्येक ग्राम स्तर पर 10 से 15 लोगों की ग्राम समिति गठित होगी, जिसमें शाला के प्रधान पाठक, पंच, सरपंच, महिला बचत समूह, प्रमुख युवा मण्डल, ग्राम पटेल, कोटवार एवं अन्य शासकीय कर्मचारी होंगे।
2. प्रत्येक संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र पर में गुरूजी के साथ अधिकतम 20 निरक्षर ग्रुप होंगे।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

3. ग्राम में संचालित प्रत्येक केन्द्र को ग्राम समिति के एक–एक सदस्य एक केन्द्र को संचालित करने के लिए जिम्मेदारी लेंगे।

6.0 मूल्यांकन–

निरंतर मूल्यांकन ही इस समतुल्यता कार्यक्रम के अभियान की क्रियान्वयन एवं सफलता का आधार होगा। मूल्यांकन निम्न स्तरों पर किया जायेगा।

6.1.1. विद्यार्थी द्वारा–

स्वयं के चाहना एवं करना से लेकर संपूर्ण अस्तित्व की व्यवस्था के संदर्भ में जो भी बात प्रशिक्षक द्वारा कही जायेगी, उसे विद्यार्थी स्वयं की सहज स्वीकृति एवं अस्वीकृति के आधार पर जांच कर देखेगा। सहज स्वीकृति होने पर उसे अपने व्यवहार कार्य में जीकर देखेगा। व्यवहार से उभय सुख और कार्य से उभय समृद्धि होती है या नहीं, इस आधार पर इस बात की सत्यता को स्वीकारेगा या अस्वीकारेगा। इस प्रकार हर बताई गयी बात को स्वयं के अधिकार पर जांच कर आंकलन एवं मूल्यांकन कर स्वीकारेगा या अस्वीकारेगा।

6.1.2 प्रेरक द्वारा–

प्रेरक द्वारा चाहना करना एवं व्यवस्था के संदर्भ में विद्यार्थी की समझ और उस समझ के आधार पर व्यवहार कार्य का सतत मूल्यांकन किया जायेगा। समझने का प्रमाण समझा पाने के रूप में और जीने का प्रमाण व्यवहार कार्य में रूप में मूल्यांकित किया जायेगा। मूल्यांकन के लिए आवश्यकतानुसार प्रारूप भी तैयार किये जायेंगे। इसके लिए आवश्यकतानुसार परिवार और समाज के लोगों द्वारा भी मूल्यांकन कराया जायेगा।

6.2 माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए

पढ़ने–लिखने के मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम को निम्नानुसार औपचारिक पद्धति के साथ जोड़ा जाएगा–

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

पढ़ना-बढ़ना आंदोलन

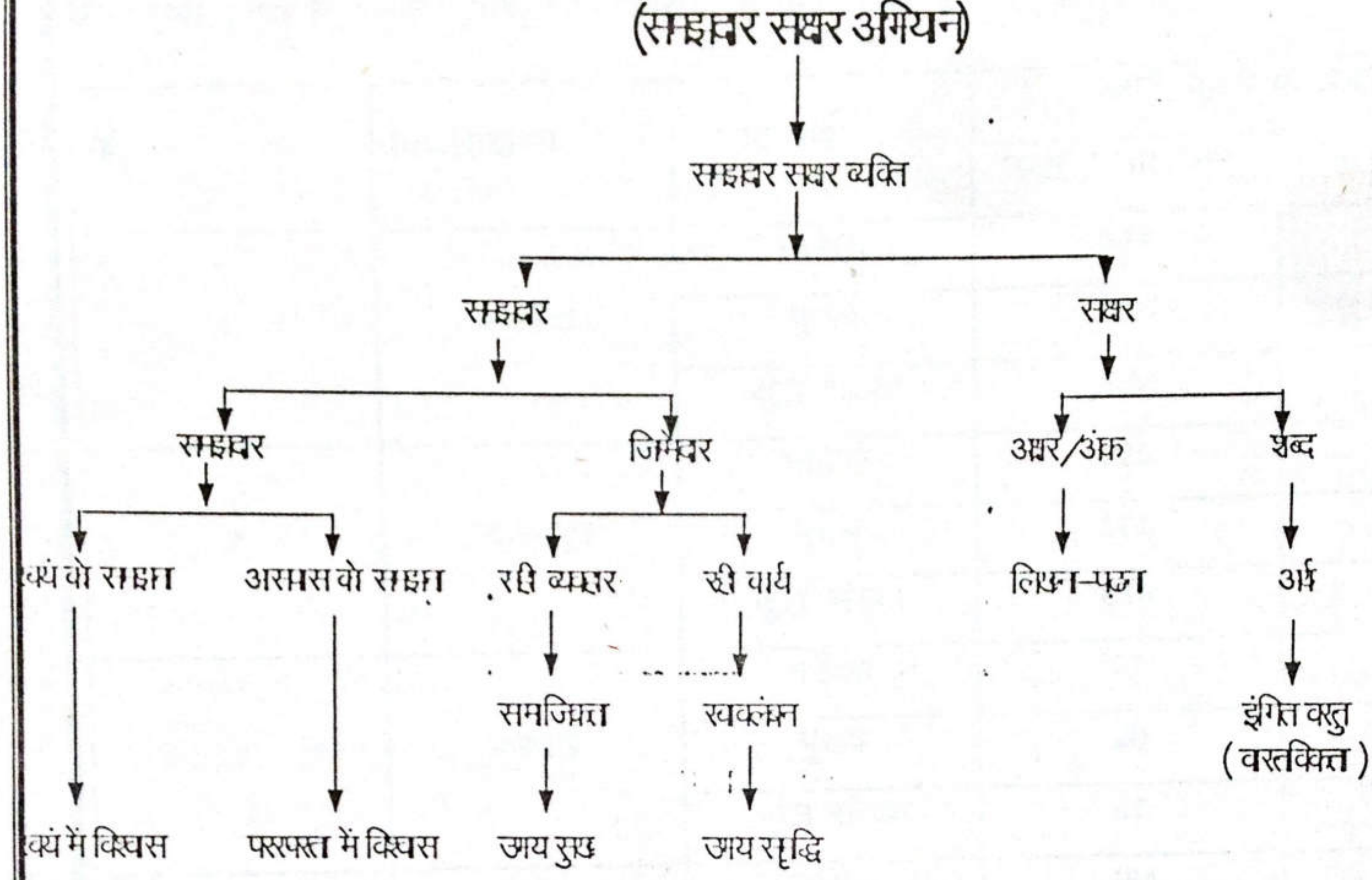
(सङ्घार सक्षर अगियन)
सङ्घार सक्षर व्यक्ति
सङ्घार
सक्षर
सङ्घार
जिम्मेदार
अक्षर/अंक
शब्द
स्वयं को समझना
अपनत्व को समझना
स्त्री व्यवहार
स्त्री कार्य
लिखना-पढ़ना
अर्थ
समजिद्दा
स्वावलंबन
इंगित वस्तु
(वस्तुस्थिति)
स्वयं में विश्वास
परस्परता में विश्वास
अय सुख
अय समृद्धि

1. समतुल्यता कार्यक्रम का लक्ष्य :–

जिले में आवश्यकता आंकलन हेतु किए गए सर्वेक्षण के आधार पर जिले में आगे पांचवी तक पढ़ाई करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या 17062 तथा आठवीं तक पढ़ाई करने के इच्छुक नवसाक्षरों की संख्या 1798 निकलकर आई है। विकासखण्ड वार संख्या निम्नानुसार है :–

कं.	विकासखण्ड	विवरण	आगे पढ़ने के इच्छुक	
			कक्षा 5 का स्तर	कक्षा 8 का स्तर
1	बासौदा	महिला	844	40
		पुरूष	1207	183
		कुल संख्या	2051	223
2	ग्यारसपुर	महिला	225	40
		पुरूष	585	97
		कुल संख्या	810	137
3	कुरवाई	महिला	27	110
		पुरूष	20	14
		कुल संख्या	47	214
4	लटेरी	महिला	484	21
		पुरूष	2379	186
		कुल संख्या	2863	207
5	नटेरन	महिला	223	2
		पुरूष	908	35
		कुल संख्या	1131	37
6	सिरोंज	महिला	393	67
		पुरूष	1765	99
		कुल संख्या	2158	166
7	विदिशा	महिला	549	15
		पुरूष	80	550
		कुल संख्या	95	1035
विदिशा जिला		महिला	2765	185
		पुरूष	7472	894
		कुल संख्या	10237	1079
75522 नवसाक्षरों पर प्रक्षेपित			17062	1798

2. समतुल्यता कार्यक्रम की कियान्वयन एजेंसी :–

समतुल्यता कार्यक्रम में जिला साक्षरता समिति राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा प्रौढ़ शिक्षा संचालनायल की मदद से कार्य करेगा। राज्य स्तर पर अभिव्यक्ति राज्य संसाधन केन्द्र भोपाल, राज्य शिक्षा मिशन, मुक्त विद्यालय, जनशिक्षण संस्थान तथा जिला शिक्षा केन्द्रों के समन्वय एंव सहयोग से कार्य किया जायेगा।

3. कोर्स / पाठ्यक्रम :–

नवसाक्षरों द्वारा प्राप्त साक्षरता के बुनियादी स्तर एवं औपचारिक शिक्षा के 5 वीं के स्तर को ध्यान में रखते हुए एस.सी.ई.आर.सी.भोपाल द्वारा पठनपाठन सामग्री के रूप में दो पुस्तकों जो भाषा एवं पर्यावरण तथा गणित की है का अध्ययन कराया जायेगा। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक के माध्यम से भाषा का अध्यन भी कराया जायेगा।

सतत् शिक्षा परियोजना के शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार का होगा कि प्रौढ़ शिक्षार्थी धीरे–धीरे अनौपचारिक शिक्षा से औपचारिक शिक्षा पद्धति में सीखने लग जायें। प्रारंभ में मुक्त तरीके से पठन–पाठन के पश्चात धीरे–धीरे विषय वस्तु और मूल पाठ्यक्रम की जानकारी दी जावेगी। 5 वीं में भाषा पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, गणित और व्यावसायिक कार्यकमों से जुड़े विषय रहेंगे। राज्य स्तरीय समिति द्वारा जो कोर्स / पाठयकम इस कार्यकम के लिए तैयार किया जायेगा, उसी के अनुसार जिले में पठन–पाठन का कार्यकम तैयार किया जायेगा।

4. दक्षता स्तर :–

दक्षता के तीन स्तर है ए, बी, सी, जो सामान्यतः समतुल्य है। कक्षा तीन, कक्षा पांच एवं कक्षा आठ के बुनियादी साक्षरता जो कक्षा तीन के समतुल्य माना जाता है, इस कार्यकम का न्यूनतम स्तर है। संभावित ढांचा इस प्रकार है :–

स्तर (1) तीसरी कक्षा उनके लिए जो मुश्किल से थोड़ा–थोड़ा पढ़ना लिखना जानते हैं। स्तर (2) पांचवी कक्षा उनके लिए जिनकी साक्षरता स्थाई और स्तर (1) से कुछ बेहतर स्थिति में है। स्तर (3) आठवीं कक्षा उनके लिए जिनकी योग्यता प्राथमिक पाठ्यकम के स्तर की है।

www.madhyastha-darshan.info - Information Portal

5. पठन पाठन विधि :–

शिक्षार्थियों के पढ़ाने के लिए जिले में 1089 सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जावेगी। साथ ही इन शिक्षार्थियों के पढ़ाने में क्षेत्र शिक्षक विशेषज्ञ भी स्त्रोत व्यक्तियों के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। कुछ प्रेरक एवं नोडत सतत शिक्षा प्रेरक इन्हें सहयोग करेंगे। इन हितग्राहियों को संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र में स्थापित अध्ययन केन्द्रों में पढ़ाया जायेगा।

5. प्रमाणीकरण :–

समतुल्यता कार्यकम में अध्ययन किए हुए शिक्षार्थियों के लिए आंतरिक एवं बाह्य परीक्षा का आयोजन करके मूल्यांकन किया जावेगा। आंतरिकत परीक्षा के लिए डाइट के सहयोग से प्रश्न पत्र तेयार कराकर परीक्षा ली जावेगी। इस परीक्षा का आधार मानकर बाह्य परीक्षा ली जावेगी। इस परीक्षा में अंक देकर शिक्षार्थी को प्रमाण पत्र दिया जावेगा। परीक्षा के संबंध में राज्य साक्षरता मिशन द्वारा जो भी रणनीति तैयार की जावेगी उसी रणनीति को जिले में कियान्वित किया जायेगा। मुक्त विद्यालय, स्टेट बोर्ड, राज्य शिक्षा केन्द्र और जिला स्तरीय परीक्षाओं की एजेंसी प्रमाणीकरण कर परीक्षाएं सम्पन्न करायेगी। डाईट के निर्देशन में जिले में यह कार्य सम्पन्न होगा।

6. बजट प्रावधान :– बजट अध्याय में उल्लेखित है।

वर्ष	स्तर	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	कुल केन्द्रों की सख्या	आवश्यक राशि प्रति केन्द्र रू. 33000 (कुल केन्द्र X आवश्यक राशि)
प्रथम वर्ष	कुल हितग्राही	11316	-	-		12441000
	कुल केन्द्र	377	-	-	377	
द्वितीय वर्ष	कुल हितग्राही	1000	8000	-		9900000
	कुल केन्द्र	34	266	-	300	
तृतीय वर्ष	कुल हितग्राही	1000	800	1079		3300000
	कुल केन्द्र	34	30	36	100	
चतुर्थ वर्ष	कुल हितग्राही	1000	800	500		2673000
	कुल केन्द्र	34	30	17	81	
पंचम वर्ष	कुल हितग्राही	-	800	500		1551000
	कुल केन्द्र	-	30	17	47	
					कुल योग	**29865000**

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

समतुल्यता कार्यक्रम में सतत शिक्षा योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से हम आगामी पांच वर्षों में जिले में प्रगति के सूचकांकों में निम्नलिखित परिवर्तनों की अपेक्षा रखते हैं :–

समतुल्यता कार्यक्रम से अपेक्षित परिणामों के सूचकांक

	भारत	मध्यप्रदेश	विदिशा	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
साक्षरता महिला	54.16	50.28	47.45	52	57	62	67	72
साक्षरता पुरूष	75.85	76.80	74.71	76	79	81	83	85
कुल साक्षरता	65.38	64.11	62.10	64	68	71.5	75	78.5
सकल नामांकन दर	- -	-	102.07	105	108	111	115	118
शिक्षक छात्र अनुपात (पीटीआर)	-	-	49%1	47%1	45%1	43%1	41%1	40%1
पहली से आठवीं कक्षा तक त्यागी दर								
बालक	-	-	1.20%	1%	0.80%	0.60%	0.40%	0.20%
बालिका	-	-	1.27%	1%	0.80%	0.60%	0.40%	0.20%

समतुल्यता कार्यक्रम के अंतर्गत महिला, शिक्षक छात्र अनुपात एवं पहली से आठवीं तक शाला त्यागी संबंधी सूचकांक तैयार किये गये हैं। परियोजना में अनेक तरह की गतिविधियां, साक्षरता कक्षाओं का संचालन आदि के माध्यम से प्रतिवर्षवार स्थिति में सुधार हेतु प्रयास किया जावेगा।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

स – आय उपार्जन / दक्षता विकास कार्यक्रम

आय उत्पादक कार्यक्रम ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम है जो प्रतिभागियों को व्यावसायिक कौशल सीखने एवं बढ़ाने में मदद करते हैं और उन्हें आय पैदा करने की गतिविधियां चलाने हेतु योग्य बनाते हैं। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग गरीब होते हैं, इसलिए सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित समूहों को ऐसे अवसर पैदा करने के लिए विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता है, जिनसे वे जरूरी व्यावसायिक, तकनीकी और उद्यमों से जुड़े कौशल और योजनाएं प्राप्त करके आर्थिक गतिविधियों में लग सके। आय उत्पादक कार्यक्रमों को सतत् शिक्षा दिलाने वाले व्यावसायिक पाठयकम बनाये जावेंगे जो अनेक अनौपचारिक तरीकों से चलाये जायेंगे जिनमें सीधा संपर्क हो सूत्र प्रदर्शन अध्ययन दौरे स्वशिक्षा मॉड्यूल स्थल पर प्रशिक्षण आदि शामिल है। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जायेंगे।

आय उपार्जन कार्यक्रम की पहचान : (विदिशा जिले के परिप्रेक्ष्य में)

सतत् साक्षरता योजना अन्तर्गत् समस्त आय उपार्जन कार्यक्रम स्व–सहायता समूहों के माध्यम से संचालित किये जायेंगे। भारत सरकार के अधिकांश गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना तथा स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना में समाहित कर दिए गए हैं। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में स्वसहायित समूह के गठन पर जोर दिया गया है। स्व सहायित समूह वह समूह हैं जिसमें स्वेच्छा से संगठित होकर अपने सदस्यों की, गरीबी का उन्मूलन करने का संकल्प लिया है। वह सहमत है कि अपनी नियमित बचत करेंगे एवं ऐसी बचत का संयुक्त कोष बनाएंगे। वे इस बात पर भी सहमत होंगे कि उस बचत राशि का प्रवंध वह स्वयं ही सादे ढंग से करें। समूह संगठन के लिए वे निम्नलिखित मार्गदर्शी बिन्दुओं को ध्यान में रखेंगे।

1. स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत् समूह सामान्यतः 10 से 20 व्यक्ति के होंगे।
2. लघु सिंचाई योजना हेतु तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह सदस्यों की संख्या न्यूनतम 5 तक हो सकती है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

3. समूह के सभी सदस्य गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्ति ही हो सकेंगे। समूह में परिवार के एक से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। साथ ही एक व्यक्ति एक से अधिक समूह में सदस्य नहीं बन सकेगा।
4. समूह कार्य करने हेतु अपने आचरण नियम बनाएंगे। समूह की प्रत्येक बैठक सात या पन्द्रह दिन में एक बार होगी।
5. सदस्य नियमित बचत से अपना कोष बनाएंगे। सदस्य स्वयं बचत की राशि का निर्धारण करेंगे। ऐसी एकत्रित राशि समूह का आधार फण्ड होंगी।
6. इस फण्ड से सदस्यों को ऋण दिया जा सकेगा। समूह अपनी राशि हेतु अपने प्रबंधकीय नियम बनाएगा, जिसके अन्तर्गत् ऋण स्वीकृति, ऋण देने की प्रकिया, ऋण वापसी की प्रक्रिया, ब्याज की दर आदि होगी।
7. समूह अपनी बैठकों में सभी सदस्यों की सहभागिता से ऋण संबंधी निर्णय लेगा।
8. समस्त समूह द्वारा समूह खाते का संचालन किया जावेगा एवं ऋण वापसी के पश्चात् बची राशि का इस खाते में ज़मा किया जाएगा।
9. समूह खाते मूलभूत रिकार्ड रखेगा जिसमें कार्यवाही रजिस्टर, ऋण रजिस्टर, जनरल लेजर, केशबुक, बैंक पासबुक एवं व्यक्तिगत पासबुक है।
10. प्रत्येक विकासखण्ड में बनाए जाने वाले समूह में आधे समूह केवल महिलाओं हेतु होंगे।
11. पढ़ना–बढ़ना आंदोलन अंतर्गत जहां इस तरह के समूह अभी कार्यरत् हैं, उन्हें विशेष प्रयास से मजबूत किया जावेगा।
12. स्वसहायित समूह के सदस्यों को स्थानीय बैंकों से जोड़ने का सीधा प्रयास किया जाएगा।

समूह के निर्माण की प्रक्रिया सामान्यतः 6 माह तक की रहेगी। 6 माह पश्चात् यह देखा जाएगा कि समूह ने स्वयं को सक्षम एवं जीवन्त रहने की क्षमता प्रदर्शित कर दी है। इसके पश्चात् वह चकिय राशि प्राप्त कर सकेगा। जिला पंचायत द्वारा ऐसे समूह को चकीय राशि दिलाई जाएगी।

चकित राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात् समूह उस राशि का उपयोग अपने निर्णय अनुसार उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर सकेगा जो वह उपयुक्त समझता है। उद्देश्य यह होगा कि समूह में इतनी क्षमता आ जावे कि वह बाहर से प्राप्त राशि का सही उपयोग करना सीख जावे। इस चकिय राशि का उपयोग समूह द्वारा कच्चा माल खरीदने, बाजार व्यवस्था करने, अथवा आय वृद्धि करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना हेतु सहायता प्राप्त करने में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वह अपने सदस्यों को भी ऋण देने में सक्षम हो सकेगा। इस किया से सदस्यों में ऋण की तुरंत वापसी की आदत भी पड़ सकती है। रिवाल्विंग फण्ड प्राप्ति के 8 माह की समाप्ति के पश्चात् समूह को निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित करनी होगी।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

1. प्रति सदस्य की ऋण ग्राह्यता प्रति वर्ष बढ़ी है एवं प्रति व्यक्ति ने अधिक ऋण का लाभ लिया है। सदस्य अपनी गरीबी के कारणों को जाने लगा है एवं उसके दूर करने के लिए अवसर प्राप्त करने की अपनी इच्छा करने लगा है।
2. समूह ने इतनी क्षमता अर्जित कर ली है कि वह सदस्यों की ऋण से निर्गित परिसंपत्तियों का सहभागिता पद्धति से मॉनीटरिंग कर सकता है।
3. हर सदस्य को अपने प्रबंध के विषय, अपनी स्वयं की भूमिका के बारे में पूरी स्पष्टता से मालूम है।
4. हर सदस्य ने सामान्यत गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु प्रभावी विधि विकसित की है।

जब स्व सहायित समूह यह चरण सफलता से पूरा कर लेगा तब वहां आर्थिक गतिविधियों हेतु सहायता का पात्र बन जाएगा। यह राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में स्व सहायित से उसे मिल सकेगी। हालांकि कुछ व्यक्ति हितग्राही के रूप में ऋण अनुदान प्राप्त करने के लिए चिन्हित होगे पर वास्तव में वह समूह ही होगा जो उस व्यक्ति के लिए ऋण वापसी के लिए जमानतदार बनेगा है। समूह गतिविधियों के सफल होने के ज्यादा अच्छे अवसर होते हैं क्योंकि उन्हें अनेक स्त्रोतों से सहायता प्राप्त होती है एवं उनका बाजार व्यवसाय से संबंध जुड़ता है। सतत शिक्षा योजना में स्वर्ण जयंती योजना यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समूह ने अपने उत्साह को दर्शाया है। ऐसे समूह ऋण 50 प्रतिशत अनुदान के पात्र भी बनेंगे, जिसमें अधिकतम राशि रू. 1.25 लाख तक हो सकेगी।

पढना बढ़ना आन्दोलन अन्तर्गत् गठित स्व सहायता समूह पूर्व से ही एक दूसरे से अपनी वंचना के समान कारण असाक्षरता के कारण जुड़े हुए हैं। ऐसा पाया गया है कि स्व सहायता समूह में भाग लेने वाले व्यक्ति न केवल एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य को अच्छी तरह से अपनाते हैं, बल्कि अपने छोटे–छोटे सहयोग से समूह के अन्तर्गत् भाग लेने वाले लोगों को उत्पादन, विक्रय और सामाजिक कार्यों के लिए एक बड़ा आर्थिक सहयोग प्रदाय करने में सक्षम होते हैं। स्व सहायता समूह का गठन एवं संचालन उन व्यक्तियों पर ही निर्भर करता है, जो इनमें भाग लेते हैं। इसलिए समूह की संरचना व अवधारणाओं के बारे में सभी प्रेरकों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मई 2001 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया गया है जिसके अनुसार जिले में प्रमुखतः पारिवारिक उद्योग व्यवसाय के तहत ज्यादातर लोग कृषि, वन, खनिज और रोजमर्रा की वस्तुओं पर आधारित कार्यकलापों में संलग्न है। जिले में प्रमुख उद्योग तथा कार्य धन्धे मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, कपड़ा रंगना, वनोपज एकत्र करना, तेलधानी, हाथकरघा, दूध–दही, व्यवसाय, मसाले बनाना, बीड़ी बनाना, लोहारी, सुतारी, चर्मकारी, कुम्हारी, दर्जी व्यवसाय,

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

मिट्टी खिलौने बनाना, गुड़ बनाना, यंत्रों की मरम्मत करना, मोटर पंप मरम्मत, बेकरी, इलेक्ट्रीशियन, राजमिस्त्री इत्यादि हैं । जिले में सहकारी समितियों, शासकीय समितियों एवं स्व सहायता समूह के द्वारा गठित समूह सामूहिक आर्थिक कियाकलापों में जुड़े हैं। सर्वेक्षण के आधार पर स्व सहायता समूहों को निम्नानुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा।

- A श्रेणी के व्यवसाय 250 से 300 घण्टे 400 स्व सहायता समूह
- B श्रेणी के व्यवसाय 150 से 200 घण्टे 540 स्व सहायता समूह
- C श्रेणी के व्यवसाय 75 से 100 घण्टे 60 स्व सहायता समूह

व्यवसायों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

आय उपार्जन कार्यक्रमों का कियान्वयन

- आय उपार्जन कार्यकम स्व सहायता समूहों के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप लाए जाएंगे।
- आय उपार्जन कार्यकम के तहत आवश्यकता आंकलन के अनुरूप लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्राप्त राशि के लिए कॉर्पास फण्ड के रूप में होगी अर्थात आय उपार्जन कार्यकम के तहत प्राप्त राशि का एक जिला कॉर्पस फण्ड बनेगा।
- इस कॉर्पास फण्ड का उपयोग राजीव गांधी शिक्षा मिशन के सलाह, मार्गदर्शन एवं अनुमति से जिले द्वारा किया जायेगा।
- आय उपार्जन कार्यकम में प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया जाएगा।
- इस तरह के समस्त प्रशिक्षणों का अशासकीय संगठनों के माध्यम से एवं सहयोग से संचालन किया जाएगा।

अन्य विकास परियोजनाओं से समन्वय

यह कार्यकम प्रतिभागियों को व्यावसायिक कुशलता को प्राप्त करने या बढ़ाने योग्य बनाते हैं। इन कार्यकमों के अंतर्गत स्थानीय परिस्थितियों के अनुकुल रोजगारोन्मुख व्यावसायीकृत पाठयकम तैयार किया जायेगा जो अनौपचारिक तरीके से चलाया जा सके। ये कार्यकम स्थानीयलोगों की रूचि एवं आवश्यकताएं पर आधारित होंगे। इन कार्यकमों के लिए सीधा संपर्क, अध्ययन दौरे, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, नौसिखिया प्रशिक्षण, दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण पद्धति या मिलीजुली शिक्षण पद्धतियों का उपयोग किया जायेगा। इन कार्यकमों का लक्ष्य मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लोगों को लाभान्वित करना होगा। इन कार्यकमों के मुख्य घटक निम्नानुसार होंगे :–

1. सेतु पाठयकम – साक्षरता तथा सामाजिक एवं तकनीकी जागरूकता बढ़ाने हेतु।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

2. कुशलता विकास कार्यक्रम – जिसमें बुनियादी व्यावसायिक कुशलता तथा व्यापार करने की कुशलता का विकास शामिल हो ताकि प्रशिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके।

3. उद्यमिता विकास जिनमें बुक कीपिंग, मार्केटिंग एवं मितव्ययिता की कुशलता का विकास शामिल है।

व्यवसायिक कुशलता विकास के कार्यक्रमों के आयोजन में विभिन्न कार्यकर्ताओं/संस्थाओं/विभागों की मदद ली जावेगी।

जिला साक्षरता समिति द्वारा आय उपार्जन कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विकास परियोजनाओं से समन्वय स्थापित किया जायेगा जिनमें मुख्य रूप से पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाएं इसी प्रकार से कृषि विभाग, उद्योग विभाग, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, मत्स्य उद्योग विभाग आदि द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से समन्वय कर नवसाक्षरों को अर्जित प्रशिक्षण उपरान्त आर्थिक लाभ प्राप्त हो इस हेतु उद्योग विभाग के सहयोग से बैंकों से ऋण दिलाकर इन्हें गरीबी रेखा से उपर उठाया जावेगा।

प्रमुख आय उपार्जनकारी (पेशा) व्यवसाय का प्रशिक्षण :–

सर्वेक्षण के अनुसार जिले के अलग–अलग क्षेत्रों में निवास कर रहे नवसाक्षरों को क्षेत्र के संसाधन व्यवसाय एवं मानव संसाधनों का उपयोग करते हुए नीचे दर्शाई गई तालिका के व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र और नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र के अलावा जिले में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों पर नवसाक्षरों को भेजकर प्रशिक्षण दिया जावेगा। जिले में विभिन्न श्रेणियों के आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

बजट :–बजट अध्याय में विस्तृत विवरण दिया गया है।

आय उपार्जन कार्यक्रम में सतत साक्षरता योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से हम आगामी 5 वर्षों में जिले की प्रगति के सूचकांकों में निम्नलिखित परिवर्तनों की अपेक्षा रखते हैं :–

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

आय उपार्जन कार्यक्रम से अपेक्षित परिणामों के सूचकांक

	भारत	मध्यप्रदेश	विदिशा	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
समायोजित प्रतिव्यक्ति आमदनी वंचन सूचकांक	-	-	0.56	0.52	0.48	0.46	0.42	0.40
गरीबी दर वंचन सूचकांक	-	-	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.22
आमदनी मानव विकास सूचकांक	-	-	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.66

आय उपार्जन से अपेक्षित परिणागों के सूचकांक के अंतर्गत समायोजित प्रति व्यक्ति आमदानी सूचकांक, गरीबी दर वंचन सूचकांक, आमदनी मानव विकास सूचकांक के माध्यम से अनेक तरह के प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों के गठन आदि के माध्यम से प्रतिवर्षवार आय उपार्जन हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जावेंगे।

द – व्यक्तिगत रूचि प्रौन्नत कार्यक्रम

लोक शक्ति कार्यक्रम के व्यक्तियों की रूचि अनुसार कार्यकम की उन्नति हेतु पर्याप्त अवसर रहेंगे। व्यक्तिगत रूचि प्रोन्नत कार्यकम व्यक्ति को चयनित सामाजिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, स्वास्थय संबंधी शारीरिक व कला संबंधी रूचियों एवं संवर्धन के लिए भागीदारी एवं शिक्षण के अवसर पर प्रदान करते हैं। इन कार्यकमों का मुख्य उद्देश्य अनेक वर्गों जैसे युवा वर्ग, स्त्रियां, वृद्ध पुरूषों आदि को अपनी व्यक्तिगत रूचियों का शैक्षिक अनुभवों द्वारा परिवर्धन और विकास करने के अवसर प्रदान करना है। उनका प्राथमिक रूप में उद्देश्य है ऐसी शैक्षणिक कियाओं का संवर्धन और पुष्टिकरण करना जैसे कि (1) खाली समय के उपयोग (2) जीवन में सुधार (3) स्वाध्यायीकरण व्यवितगत रूचि प्रोन्नत कार्यकम को आय उपार्जन कार्यकम तथा जीवन स्तर सुधार कार्यकम से अलग करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति व्यवितगत रूचियों को प्रशिक्षण और अभ्यास से आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि उसी समय वह अपनी आय भी बढ़ाना चाहता है। उदाहरण के तौर पर एक औरत ने फूलों को व्यवस्थित करने का काम प्रिय रूचि के रूप में सीखा तो उसके पास लोग फूल खरीदने आने लगे। इस प्रकार व्यवितगत प्रोन्नत कार्यकम आय उपार्जन कार्यकम और जीवन स्तर सुधार कार्यकम के बीच भेद

शिक्षार्थी की अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। यदि एक व्यक्ति ने एक कार्यकम अपनी जीविका और आय बढ़ाने के उद्देश्य से अपनाया है तो यह उसके लिए आय उत्पादक कार्यकम है, परन्तु यदि उसने वहीं पाठ्यकम केवल आत्मविकास के लिए कार्यग्रहण किया है तो यह होना व्यवितगत रूचि संवर्धन कार्यकम।

गतिविधियां :–

सतत् शिक्षा कार्यकम के प्रारंभ में व्यवितगत प्रोन्नत कार्यकम के तहत गतिविधियां निम्नानुसार होगी। इनके अतिरिक्त निम्न गतिविधियां की जाएगी–

1. सामाजिक गतिविधियां :–

सामाजिक चेतना, मेले, उत्सव, प्रदर्शनी, संपर्क कार्यकम, अध्ययन यात्रा (ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा उन्नत ग्राम का भ्रमण)

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

2. सांस्कृतिक गतिविधियां :—

लोकनृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य, लोककला (भित्ती चित्र माडना, हस्तशिल्प, रंगोली, बागवानी, कढ़ाई बुनाई, बांस का काम, जूट का काम आदि) इस कार्य में अधिकांशतः महिलाओं को शामिल किया जावेगा।

3. आध्यात्मिक गतिविधियां :—

इसके अंतर्गत धार्मिक उत्सव एवं कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाई जावेगी।

4. स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां :—

स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य मेला, योगा प्रशिक्षण आदि की गतिविधियां संचालित की जावेगी।

5. खेलकूद गतिविधियां :—

खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन स्थानीय खेलों का चुंनाव, स्थानीय खेलों से चुनाव कर किया जायेगा, जिसमें महिलाओं द्वारा खेले जाने वाले खेल का चयन कर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जावेगी।

6. कला संबंधी गतिविधियां :—

जिले में संचालित कलाओं से संबंधित जैसे चित्रकला, पेन्टिंग के प्रशिक्षण इत्यादि गतिविधियां आयोजित की जावेगी।

हितग्राही प्रशिणार्थी संख्या :—

जिले में निम्न गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला, अध्ययन यात्रा तथा मेले प्रदर्शनी का आयोजन सर्वे द्वारा प्राप्त आवश्यकताओं के आंकलन के द्वारा प्राप्त निम्न इच्छुक व्यक्तियों के लिए किया जायेगा।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

क्र.	विकासखण्ड	विवरण	विषय										
			स्वास्थ्य	कृषि	शिक्षा	विधि / न्यायिक / कानून	महिलाओं के अधिकार	शासकीय योजनाओं की जानकारी	संस्कृति	कला	खेल	साहित्य, कहानी, उपन्यास, कहानी	अन्य
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बासौदा	महिला	471	202	531	214	718	561	27	13	6	15	54
		पुरूष	716	602	783	273	211	1305	44	61	72	23	235
		कुल संख्या	1187	804	1314	487	929	1866	71	74	78	38	289
2	ग्यारसपुर	महिला	179	95	83	29	289	220	4	45	0	1	41
		पुरूष	143	450	256	77	40	620	41	38	3	10	58
		कुल संख्या	322	545	339	106	329	840	45	83	3	11	99
3	कुरवाई	महिला	626	268	706	284	954	746	36	17	8	20	72
		पुरूष	952	800	1041	363	280	1734	58	81	96	31	312
		कुल संख्या	1578	1069	1740	647	1235	2480	94	98	104	51	384
4	लटेरी	महिला	73	496	243	48	314	318	22	45	7	6	0
		पुरूष	336	2327	824	265	228	1530	61	44	40	18	30
		कुल संख्या	409	2823	1067	313	542	1848	83	89	47	24	30
5	नटेरन	महिला	118	149	92	2	102	75	1	3	0	0	0
		पुरूष	594	965	500	114	37	396	19	29	36	34	19
		कुल संख्या	712	1114	592	116	139	471	20	32	36	34	19
6	सिरोंज	महिला	202	230	250	167	619	419	40	53	33	40	5
		पुरूष	342	925	739	406	249	1151	112	98	110	85	36
		कुल संख्या	544	1155	989	573	868	1570	152	151	143	125	41
7	विदिशा	महिला	600	276	226	131	770	521	13	40	3	4	13
		पुरूष	484	771	415	416	18	839	12	17	18	5	35
		कुल संख्या	1084	1045	641	547	788	1360	25	57	21	9	48
	जिला विदिशा	महिला	2269	1716	2131	875	3766	2860	143	216	57	86	185
		पुरूष	3567	6840	4558	1914	1063	7575	347	368	375	206	725
		कुल संख्या	5836	8557	6688	2789	4830	10435	490	584	432	292	910

जीवन प्रौन्नत कार्यक्रम में सतत साक्षरता योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से हम पांच वर्षों में जिले में प्रगति के सूचकांकों में निम्नलिखित परिवर्तनों की अपेक्षा रखते हैं :–

व्यक्तिगत रूचि प्रोन्नत कार्यक्रम से अपेक्षित परिणामों के सूचकांक :–

	भारत	मध्यप्रदेश	विदिशा	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
मानस विकास सूचकांक	0.42	0.35	0.48	0.51	0.54	0.57	0.60	0.63
जेण्डर विकास सूचकांक	0.39	0.31	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62

व्यक्ति रूचि प्रोन्नत कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना कार्यकाल में अनेक तरह के प्रशिक्षणों के माध्यम से व्यक्तिगत रूचि प्रोन्नत करने हेतु अवसर प्रदान किये जावेंगे।

स्त्रोत व्यक्तियों की संख्या :

जिले में 1089 संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र और 154 नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र के द्वारा उक्त गतिविधियां संचालित करने के लिए बड़ी संख्या में स्त्रोत व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जो निम्नानुसार प्राप्त की जावेगी।

1. शासकीय संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ :-

भारत भवन एवं क्षेत्रीय कलाकार, साक्षरता अभियान के अंतर्गत तैयार किए गए कलाकारों को खेल प्रशिक्षक, स्वास्थ्य विभाग के विषय विशेषज्ञों, महिला प्रशिक्षक, स्वयंसेवी संगठनों के विषय विशेषज्ञ आदि।

संसाधन समर्थन :-

जिले में सामाजिक गतिविधियों के लिए सामाजिक संगठन, सामुदायिक चर्चा, मण्डल महिला मण्डल गठित है, जो समय-समय पर प्रेरित करने में सहायता करेंगे।

सांस्कृतिक आयोजन के लिए :-

खेलकूद आयोजन के लिए जिले में पर्याप्त खेलकूद मैदान युवा मण्डल आयोजनकर्ता के रूप में उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए :-

जिले में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रत्येक ग्राम के लिए जो महिला बालक एवं सामान्य स्वास्थ्यकर्ताओं के लिए अवचेतना जागृत कर सामान्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आयोजित करती है।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए :–

लोक शक्ति परियोजना में स्वयं से लेकर पूरे अस्तित्व को जानने के लिए जिले में आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए विभिन्न महान संतों के जीवन से विषय वस्तु की जाएगी आयोजन समय–समय पर होते हैं, जो जनमानस में अध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं।

बजट :– बजट प्रावधान बजट अध्याय में किया गया है।

नोट :– चारों लक्ष्य विशिष्ट कार्यक्रमों की विषयवार प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "ज" में विकासखण्डवार संलग्न है।

सतत् शिक्षा कार्यक्रमों में राज्य संसाधन केन्द्र के बुनियादी कार्य निम्नानुसार रहेंगे :–

शिक्षार्थियों के लिए सामग्री का निर्माण, साक्षरता कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं साक्षरता के क्षेत्र में शोध कार्य :–

1. **राज्य स्तर पर :–**

साक्षरता साहित्य के निर्माण एवं वितरण की कार्ययोजना में भागीदारी सतत् शिक्षा कार्यकर्ताओं, सलाहकारों एवं स्त्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना, सतत् शिक्षा कार्यक्रम के प्रभाव की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु राज्य साक्षरता मिशन को सहायता करना।

2. **जिला स्तर पर :–**

परियोजना निर्माण, परियोजना क्रियान्वयन सतत् शिक्षा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन अन्य विभागों के अधिकारी/ कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, प्रेरक सहायक प्रेरक को प्रशिक्षित करने के लिए स्त्रोत व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना, लेखकों एवं संस्थाओं को नवसाक्षर साहित्य के विकास, उत्पादन एवं मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षित करना, राज्य संसाधन केन्द्र के लक्ष्य समूह में नवसाक्षर, निरक्षर, अर्थ, साक्षर सम्मिलित है। इस समूह के लिए राज्य संसाधन केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका है:– नवसाक्षर सामग्री के लिए पाठ्यक्रम की तैयारी सतत् शिक्षा के लिए सामग्री की तैयारी

स्त्रोत सहयोग

संसाधन सहयोग

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सतत् शिक्षा कार्यक्रम सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। प्रेरक सीमित बजट से प्रभावी ढंग से संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र चलाने में दिक्कतों का सामना करेगा, अतः जिले में उपलब्ध मानव संसाधनों को दोहन करते हुए संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र को प्रभावी करते हुए संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र को प्रभावी बनाकर समुदाय को दीर्घकालीन आयाम दिया जा सके अतः इस जिले में निम्नानुसार संसाधनों का उपयोग इस कार्यक्रम किए जाने का प्रयास होगा :–

इस जिले में तीन प्रकार के संसाधनों का दोहन किया जायेगा

1. मानव संसाधन
2. सामग्री संसाधन
3. वित्तीय संसाधन

मानव संसाधन :–

जिले में निम्नानुसार मानव संसाधन उपलब्ध है।

1. स्वयंसेवी साक्षर सैनिक पढ़ना–बढ़ना आंदोलन के 1822 एवं साक्षरता अभियान के 8312 अक्षर सैनिक

2.	कला जत्था दल	41	कलाकार	328
3.	महिला मण्डल	1420	सदस्य संख्या	21300
4.	युवा मण्डल	218	सदस्य संख्या	5450
5.	स्वयं सेवी संगठन	25	सदस्य संख्या	250
6.	महिला स्वास्थ्य संघ	203	सदस्य संख्या	2030
7.	स्व–सहायता समूह	4500	सदस्य संख्या	45000
8.	वाटर शेड कमेटी	487		
9.	तिलहन समितियां	65		
10.	वन सुरक्षा समिति	417		
11.	ग्राम वन समिति	400		
12.	कृषक	207000		
13.	जल समितियां	77		
14.	शासकीय सेवक	8622		
15.	जनप्रतिनिधि	7950		
16.	ग्राम रक्षा समितियां	1522		
17.	वृहता/सेवा सहकारी	57		
18.	सहकारी समितियां	442		

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

19.	मछुआ समितियां	55
20.	वनोपज समितियां	315
21.	दुग्ध समितियां	432
22.	अन्य समितियां	114
23.	इको विकास समितियां	502

ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो कार्यक्रम में रूचि रखते है व उनकी सेवाओं की आवश्यकता है।

1. कार्य योजना बनाने में
2. वातावरण निर्माण में
3. संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र कार्यक्रम में सहायता

सतत् शिक्षा कार्यक्रम स्त्रोत सहयोग के लिए विभिन्न एजेंसियों की भूमिका इस प्रकार रहेगी :–

एजेंसी का नाम	संसाधन समर्थन का प्रकार
अभ्यव्यवित्त राज्य संसाधन केन्द्र	सामग्री निर्माण, प्रशिक्षण, अकादमिक मॉनिटरिंग
जिला संसाधन इकाई (डी.आर.यू.)	कियान्वयन, इकाईयों का प्रशिक्षण, सामग्री निर्माण
राष्ट्रीय ओपन स्कूल, राज्य ओपन स्कूल	पाठ्यक्रम निर्माण, समकक्षीय
राज्य संसाधन केन्द्र, भोपाल .	कार्यक्रमां का प्रबंधन
आई.टी.आई, सिरोंज, एस.ए.टी.आई.पॉलिटेक्निक	तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण
जनशिक्षण संस्थान जिला, औद्योगिक इकाईयां, खादी / ग्रामोद्योग / अन्य संस्थान	
शासन के विभिन्न विकास विभाग	सूचना प्रसार विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार एवं विस्तार
महाविद्यालय	प्रशिक्षण सामग्री, निर्माण, शोध, मूल्यांकन
राज्य साक्षरता मिशन	परियोजना प्रस्ताव निर्माण स्वीकृति
जिला साक्षरता समिति	मॉनिटरिंग मूल्यांकन समन्वय प्रबंधन

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अध्याय – 7

जिले की कार्य योजना

अध्याय – 7

जिले की कार्य योजना

जिले में सतत् शिक्षा परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संचालन एवं कियान्वयन निम्न गतिविधि कैलेण्डर के अंतर्गत किया जायेगा।

प्रस्तावित कैलेण्डर :– आरंभिक गतिविधियां :–

प्रशिक्षण प्रशिक्षित जिला स्त्रोत समूह द्वारा विकासखण्ड स्त्रोत समूह को एवं उनके द्वारा गुरूजी एवं ग्राम समन्वयकों को प्रशिक्षित किया गया है।

सर्वे राज्य शिक्षा केन्द्र से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप शासकीय प्रेस से सर्वेक्षण प्रपत्र मुद्रित कराये गये। शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप सर्वे प्रपत्रों को जिले के अनुरूप संशोधित किया गया। सर्वे प्रपत्रों के आधार पर परियोजना बनाई गई है।

ब्रिज प्रवेशिका 3000 नग ब्रिज प्रवेशिका राज्य संसाधन केन्द्र, भोपाल के माध्यम से मुद्रित कराई जाकर गुरूजियों को वितरित करने की कार्यवाही की गई है। नवसाक्षरों द्वारा पठन–पाठन कार्य किया जा रहा है।

अन्य शेष गतिविधियों का प्रस्तावित कैलेण्डर निम्नानुसार है :–

मुख्य गतिविधि	विवरण	उत्तरदायित्व	समय सीमा
	सतत शिक्षा कार्य योजना की शुरूआत	जिला / विकासखण्ड	1 सितम्बर 2001
ब्रिज प्रवेशिका (द्वितीय)	द्वितीय ब्रिज प्रवेशिका का निर्माण	एस.आर.सी.	20 जून 2001
	द्वितीय ब्रिज प्रवेशिका का मुद्रण	जिला द्वारा एस.आर.सी. के सहयोग से	30 अगस्त 2001 तक
	द्वितीय ब्रिज प्रवेशिका का वितरण	जिला / विकासखण्ड संकुल	30 अगस्त से 10 सितम्बर 2001
	पठन–पाठन	गुरूजी द्वारा	15 सितम्बर से 31 दिसंबर 2001
संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र की स्थापना	154 समस्त जनशिक्षा केन्द्रों पर	जिला / विकासखण्ड	जून 2001 से अगस्त 2001
नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र की स्थापना, वाचनालय (जनशिक्षण नियम पुस्तकों के लिए) अनावर्ती व्यय से संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्रों, नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र के लिए सामग्री प्राप्त करना।	वाचनालय हेतु जनशिक्षण निलयमों की पुस्तकों को प्रदान करना एवं नई पुस्तकों का चयन अलमारी, पेट्रोमेकस, गोल टेबल, रोलअप बोर्ड इत्यादि का क्रय	जिला साक्षरता समिति	जनवरी 2002 से मार्च 2002

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

	पुस्तकें, नक्शे, चार्ट, तस्वीरें, खेलकूद एवं मनोरंजन की सामग्री रेडियो, टी.वी. आदि का कय सायकल	जिला साक्षरता समिति	जनवरी 2002 से मार्च 2002
आवर्ती व्यय की विभिन्न मदों में सतत् शिक्षा एवं नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र के लिए प्रावधान अनुसार कय किया जायेगा।	प्रावधान अनुसार	जिला साक्षरता समिति	जनवरी 2002 से दिसंबर 2006 तक नवंबर 2001
लक्ष्य विशिष्ट कार्यकम	नवाचारी कार्यकमों की शुरूआत	जिला साक्षरता समिति	अक्टूबर 2001 से मई 2002 तक
प्रेरकों का चयन	1089 संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र एवं 154 नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र के संचालन हेतु प्रेरकों का चयन	जिला साक्षरता समिति, जनपद शिक्षा केन्द्र, जिला साक्षरता समिति	सितम्बर 2001 से दिसंबर 2002 तक
सतत् शिक्षा में प्रशिक्षण	मुख्य स्त्रोत व्यक्ति कोर समूह का प्रशिक्षण	राज्य संसाधन केन्द्र जिला साक्षरता समिति	नवम्बर 2001
	1. कार्यकम प्रारंभ होने के पहले (चार दिवस)	--"--	नवम्बर 2001
	2. 6 माह बाद पुनः अभिप्रेरणा (दो दिवसीय)	--"--	जुलाई 2002
	3. वार्षिक प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष (2+2 दिवस)	--"--	वार्षिक प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई में 2+2 दिवसीय आयोजित किया जायेगा।
	कुशल प्रशिक्षण/मास्टर टेनर्स प्रशिक्षण (1) कार्यकम प्रारंभ होने के पहले (पांच दिवसीय)	--"--	दिसंबर 2001
	(2) 6 माह बाद पुनः अभिप्रेरणा प्रशिक्षण (तीन दिवस)	जिला सा.स., जनपद शिक्षा केन्द्र	जुलाई 2002
	(3) वार्षिक प्रशिक्षण प्रत्यक वर्ष 2+2 दिवसीय	--"--	वार्षिक प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष माह जनवरी एंव जुलाई में 2+2 दिवसीय आयोजित किया

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

			जायेगा।
	नोडल प्रेरक/ प्रेरक प्रशिक्षण	—"—	दिसंबर 2001 के अंतिम सप्ताह में।
	(1) कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले (पांच दिवसीय)	जनपद शिक्षा केन्द्र/ जनशिक्षा केन्द्र	जुलाई 2002 के अंतिम सप्ताह में
	(2) 6 माह बाद अभिप्रेरणा प्रशिक्षण (तीन दिवसीय)	—"—	प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई में दो–दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
	(3) वार्षिक प्रशिक्षण 2+2 दिवसीय	—"—	
प्रशिक्षण	संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र के प्रेरकों का प्रशिक्षण	जि.शि.के, बी.आर.सी. एवं जनशिक्षक	जनवरी 2002
	नवाचारी कार्यक्रमों के लक्ष्य समूहों के प्रशिक्षण समय–समय पर आवश्यकतानुसार	जि.सा.समिति के सहयोग से स्त्रोत व्यक्तियों एवं डाईट द्वारा	समय–समय पर आवश्यकतानुसार
मॉनिटरिंग सतत् प्रकिया		तदैव	तदैव
मूल्यांकन	प्रत्येक गतिविधि का मूल्यांकन सतत् रूप से चलता रहेगा	तदैव	तदैव
महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष गतिविधियां	विभिन्न स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित होगी।	तदैव	दिसंबर 2006 तक लगातार समय–समय पर आवश्यकतानुसार

अध्याय – 8

संरचना

अध्याय – 8

संरचना

सतत् शिक्षा कार्यक्रम के संचालन हेतु एक ऐसे अनौपचारिक संस्थागत् ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है जो न केवल ग्राम में शिक्षा व विकास के कामों की देखरेख करे बल्कि एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में भी कार्य करे ताकि ग्रामों की ऊपर के स्तरों पर निर्भरता कम हो। इस हेतु सतत् शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत एक स्थाई ढांचा पढ़ना–बढ़ना आन्दोलन के समिति सदस्यों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इन पढ़ना बढना समिति के सदस्यों व गुरूजियों की ऊर्जा का उपयोग इस संरचना के निर्माण में किया जाएगा जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा : –

पढ़ना बढ़ना समिति PBS – (समिति स्तर)
↓
ग्राम पढ़ना बढ़ना संघ VPBS (ग्राम स्तर) CEC
↓
नोडल पढ़ना बढ़ना संघ NPBS (जन शिक्षा केन्द्र) NCEC
↓
जनपद शिक्षा केन्द्र (जनपद स्तर)
↓
जिला शिक्षा केन्द्र – जिला साक्षरता समिति (जिला स्तर) ZSS

- संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र वहीं स्थापित होगा जहां समुदाय स्थान उपलब्ध करवायेगा। यह स्थल कोई पंचायत भवन, शाला भवन, ग्राम स्वराज भवन या स्थानीय समुदाय द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई स्थल हो सकता है। समुदाय स्थायी पुस्तकालय हेतु सामुदायिक सहयोग से बिल्डिंग की व्यस्था कर सकता है। जिन ग्रामों में स्थल की व्यवस्था समुदाय द्वारा नहीं की जायेगी वहां संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र में शाला भवन लगाया जाएगा।

- ग्राम स्तर पर समस्त पढ़ना बढ़ना समितियां मिलकर एक संघ के रूप में कार्य करेगी जिसे ग्राम पढ़ना बढ़ना संघ कहा जायेगा। इसमें पढ़ना बढ़ना समितियों के समस्त सदस्य जिसमें निरक्षर/अर्द्धसाक्षर/नवसाक्षर एवं गुरूजी सम्मिलित रहेंगे। यह संघ अपने ग्राम की पढ़ना बढ़ना समितियों के गुरूजियों में से सबसे सक्रिय गुरूजी को संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र के प्रेरक के रूप में चयन करेगा। यह प्रेरक सदस्य सचिव के रूप कार्य करेगा। महिला गुरूजी को प्राथमिकता दी जाएगी।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

- संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र के लिए स्थानीय स्तर पर खेलकूद एवं मनोरंजन सामग्री के क्रय प्रबंधन हेतु निम्नानुसार समिति होगी –

    - अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति/अध्यक्ष वार्ड शिक्षा समिति
    - पढ़ना बढ़ना समिति के दो नवसाक्षर सदस्य जिसमें कम से कम एक महिला अनिवार्यतः हो।
    - प्रेरक
    - एक छात्र प्रतिनिधि

  क्रय की प्रकिया पूर्णतः पारदर्शी रहेगी तथा क्रय की गई सामग्री इत्यादि की समस्त जानकारी क्रय उपरान्त होने वाली अगली ग्राम सभा के समक्ष क्रय समिति द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

- जिले से संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र की राशि सीधे ग्राम स्तरीय संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र को प्रदान की जायेगी। ग्राम पढ़ना बढ़ना संघ का संयुक्त खाता ग्राम स्तर पर संधारित किया जायेगा जो ग्राम पढ़ना. बढ़ना संघ के नामांकित सदस्य व सचिव का संयुक्त रूप से होगा जिसमें प्रेरक का मानदेय भी सम्मिलित होगा। प्रेरक को मासिक मानदेय के भुगतान की स्वीकृति ग्राम पढ़ना बढ़ना संघ की मासिक बैठक में दी जाएगी।

- इस ढाँचे में सभी स्तरों पर चुनाव के माध्यम से सदस्यों का चयन किया जाएगा । संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र का प्रेरक ग्राम की समितियों के गुरूजियों में से Best गुरूजी होगा उसे पढ़ना बढ़ना संघ (ग्राम स्तरीय) द्वारा चयन किया जाएगा।

- नोडल प्रेरक का चयन उस नोडल केन्द्र स्थल पढ़ना बढ़ना समितियों के गुरूजियों में से ही नोडल पढ़ना बढ़ना संघ द्वारा चयन किया जाएगा।

- प्रेरक का चयन पढ़ना बढ़ना आन्दोलन के गुरूजियों में से ही किया जाएगा जहां गुरूजी उपलब्ध न हो वहां साक्षरता के स्वयं सेवक अथवा अन्य शिक्षा के काम से जुड़े व्यक्तियों को प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा।

- प्रेरकों के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

- जिले से संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र की राशि सीधे ग्राम स्तरीय संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र को प्रदान की जायेगी। ग्राम पढ़ना बढ़ना संघ का संयुक्त खाता ग्राम स्तर पर संधारित किया जायेगा जो ग्राम पढ़ना बढ़ना संघ के किसी नामांकित संदस्य व सचिव का संयुक्त रूप से होगा जिसमें प्रेरक का मानदेय भी सम्मिलित होगा। प्रेरक को मासिक मानदेय के भुगतान की स्वीकृति ग्राम पढ़ना बढ़ना संघ की मासिक बैठकों में दी जायेगी।

प्रत्येक संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र स्थल पर निम्नानुसार बोर्ड लगाया जाएगा।

> पढ़ना–बढ़ना संघ
> संस्कृति केन्द्र
> स्थांन ....

इसी प्रकार प्रत्येक नोडल सतत शिक्षा केन्द्र पर निम्नानुसार बोर्ड लगाया जाएगा।

> नोडल पढना–बढ़ना संघ
> संस्कृति केन्द्र
> जन शिक्षा केन्द्र.................

कार्यालयीन संरचना

स्तर	पूर्णकालिक कार्यकर्ता	अशंकालीन कार्यकर्ता	स्वैच्छिक सहयोग
राष्ट्रीय स्तर पर (राष्ट्रीय साक्षरता मिशन) राज्य स्तर पर (राज्य शिक्षा मिशन) राज्य शिक्षा केन्द्र			
जिला स्तर पर (जिला शिक्षा केन्द्र)	जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं सचिव जिला साक्षरता समिति 1. सहा. परियोजना समन्वयक वित्त 1 2. प्रोग्रामर 1 3. लेखापाल 1 4. लिपिक 2 (डीईओ) 5. भृत्य 2	1. कलेक्टर 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत 3. जिला शिक्षा अधिकारी 4. प्राचार्य डाईट	जिला पंचायत के पदाधिकारी जि.सा.स. के सदस्य एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी
जनपद स्तर 7 जनपद पर (जनपद शिक्षा केन्द्र)	1. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी 7 2. बी.आर.सी. 7 3. लिपिक 7	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व 2. मु.का.पा.अधि.ज.प. 3. वि.ख.शि.अ.ज.प.	जनपद पंचायत के पदाधिकारी जनपद शिक्षा समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य एवं अन्य सेवी संस्थाएं
जनशिक्षा केन्द्र पर 154 नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र	1. जनशिक्षक 2. नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र का प्रेरक 3. सहायक प्रेरक	जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी	संबंधित ग्राम पंचायत केन्द्र सरपंच एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी
1089 संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र	1089, संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र का प्रेरक	ग्राम समन्वयक या ग्राम प्रभारी	संबंधित ग्राम वार्ड पंच, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य

अध्याय — 9

प्रशिक्षण

अध्याय

प्रशिक्षण

अध्याय – 9

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण सतत् शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। सतत् शिक्षा की अवधारणा से स्पष्ट है कि इसके अन्तर्गत् प्रवेशिका पठन--पाठन के अलावा बहुत सी गतिविधियों का संचालन किया जाना है। इन सबके लिए गांव से लेकर जिले तक प्रशिक्षण योजना तैयार की जा रही है। सुनियोजित प्रशिक्षण योजना बनाने के लिये प्रशिक्षणं के विषय, स्तर और आवश्यक स्त्रोत व्यक्तियों की पहचान करना जरूरी है।

सतत् शिक्षा कार्यकम में जिला स्तर पर मुख्य स्त्रोत व्यवित, विकासखण्ड स्तर पर कुशल प्रशिक्षक, संकुल स्तर पर नोडल प्रेरक और गाँव स्तर पर प्रेरक होंगे। इन सभी का कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों पर केन्द्रित प्रशिक्षण दिये जायेंगे।

- संचालन
  पूरे कार्यकम में सभी स्तरों पर प्रशिक्षण के आयोजन और संचालन की जिम्मेदारी जिले के आयोजनकर्ता समूह की होगी जिला स्तर के प्रशिक्षण में स्त्रोत समूह के रूप में राज्स संसाधन केन्द्र की मदद ली जायेगी।

- मुख्य स्त्रोत व्यवित/कोर समूह का प्रशिक्षण
  यह कार्य जिला स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा किया जायेगा।

1. मुख्य स्त्रोत व्यक्तियों के प्रशिक्षण की समयावधि

क्रमांक	स्तर	समय–सीमा
1.	कार्यकम प्रारंभ होने के पहले	04 दिन
2.	6 माह बाद पुनः अभिप्रेरण	02 दिन
3.	वार्षिक प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष	2 + 2 दिन

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

- कुशल प्रशिक्षक/मास्टर ट्रेनर्स

प्रशिक्षित मुख्य स्त्रोत व्यक्ति, कुशल प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण विकासखण्ड स्तर पर करेंगे।

1. कुशल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की समयावधि

क्रमांक	स्तर	समय–सीमा
1.	कार्यक्रम के पहले	05 दिन
2.	6 माह बाद पुनः अभिप्रेरण	03 दिन
3.	वार्षिक प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष	2 + 2 दिन

- नोडल प्रेरक/प्रेरक

नोडल प्रेरक और प्रेरक की सतत् प्रकिया शिक्षा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नोडल प्रेरक जनशिक्षा केन्द्र पर और पूर्णकालिक तौर पर काम करेंगे। इनका प्रशिक्षण जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर प्रशिक्षित कुशल प्रशिक्षकों द्वारा किया जायेगा। इसमें मुख्य स्त्रोत व्यवित और कोर समूह के सदस्य भी मदद् करेंगे।

1. नोडल प्रेरक एवं प्रेरकों के प्रशिक्षण की समयावधि –

क्रमांक	स्तर	समय–सीमा
1.	कार्यक्रम शुरू होने के पहले	05 दिन
2.	6 माह बाद	03 दिन
3.	वार्षिक प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष	2 + 2 दिन

- प्रशिक्षण के विषय –

1. परियोजना निर्माण
2. ब्रिज प्रवेशिका का पठन–पाठन
3. पुस्तकालय का संचालन

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

4. समतुल्यता गतिविधियों का संचालन
5. सांस्कृतिक एवं खेदकूद गतिविधियों का संचालन
6. सूचना केन्द्र का संचालन
7. स्व–सहायता समूह कमा गठन एवं संचालन
8. व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन
9. कार्यकम–पूर्व गतिविधियां
10. सतत् शिक्षा की अवधारणा एवं लक्ष्य
11. सतत् शिक्षा की संऱचना
12. संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र की स्थापना
13. संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र का प्रबंधन
14. मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन
15. रजिस्टर, रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट तैयार करना
16. प्रचार–प्रसार एवं अभिप्रेरण
17. स्त्रोत व्यक्ति एवं कुशल प्रशिक्षकों क़ी जिम्मेदारी
18. स्थानीय आवश्यकताओं का आंकलन
19. स्वास्थ्य
20. नेतृत्व विकास
21. कानूनी साक्षरता एवं सलाह शिविर
22. पारिवारिक समस्याएं
23. अन्य विकासात्मक गतिविधियां

उपरोक्त सूची के सभी विषयों के उप–विषय भी कार्यकम की प्रगति के साथ निकल कर आयेंगे जिनके लिए प्रशिक्षण की व्यवरथा की जायेगी। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य विषय भी जोड़े [illegible]

जा सकते हैं। जिले के कार्यकारी समूह को अपने जिले में प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को चिन्हित किया जावेगा। संबंधित विषय के लिए विषय विशेषज्ञों का समूह बनाना और प्रशिक्षण संस्थानों से स्त्रोत व्यक्ति और विशेषज्ञों की व्यवस्था की जावेगी।

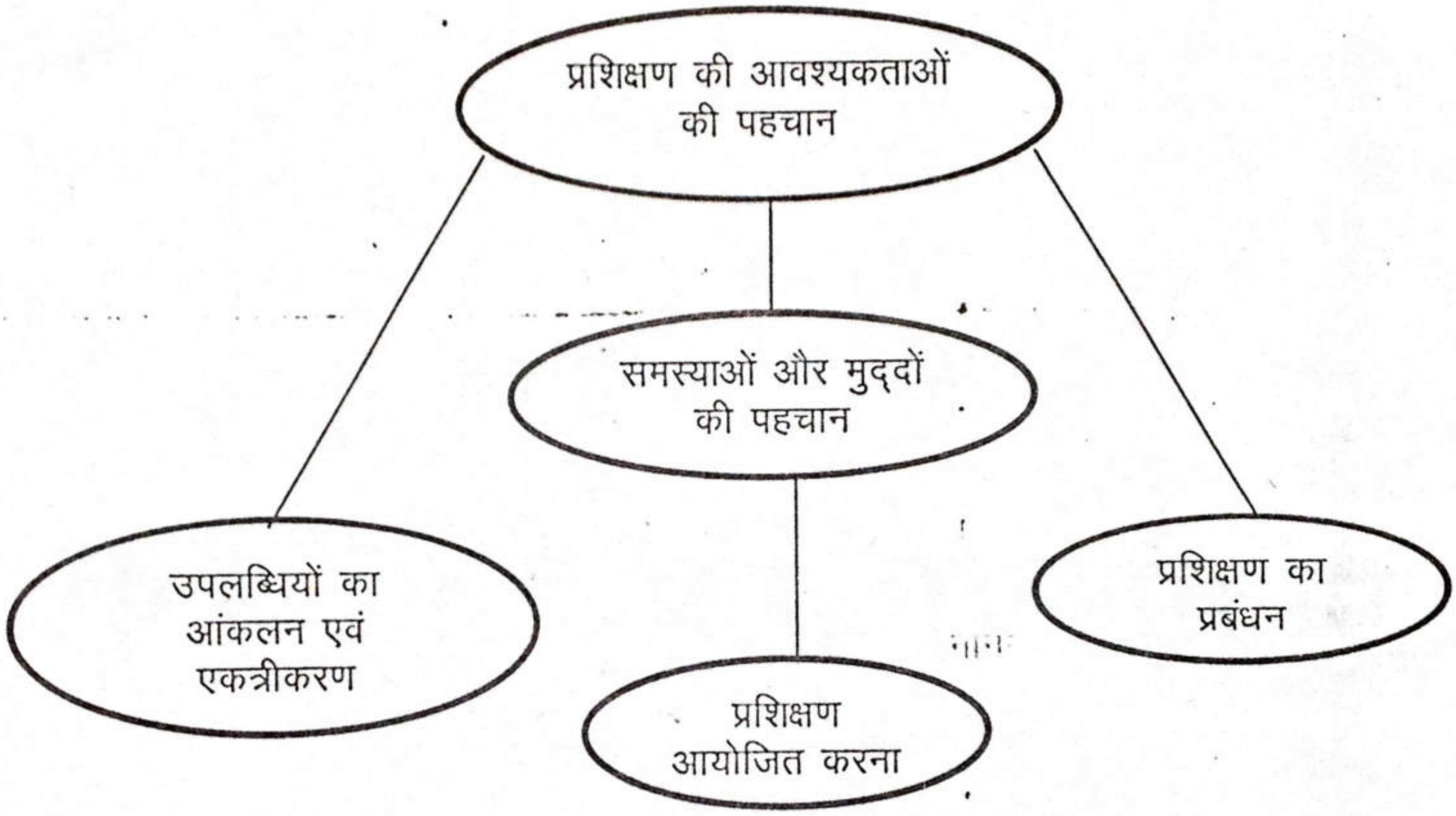

अध्याय – 10

मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

अध्याय – 10

मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन

किसी भी कार्य या अभियान का अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए गई चरणों से गुजरना पड़ता है, इन चरणों एवं प्रकियाओं के माध्यम से हम लक्ष्य की ओर बढ़े हैं क्या सही है ? क्या गलत है ? यही जांच करना मॉनिटरिंग कहलाता है, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, कमियों को दूर कर सकें एवं लक्ष्य तक पहुंच सकें। सतत् शिक्षा के दौरान मॉनिटरिंग प्रत्येक चरण/प्रकिया के प्रत्येक पहलू पर की जायेगी। मॉनिटरिंग निम्न चार प्रकार से की जायेगी –

1. जिला शिक्षा केन्द्र से – जिला स्तरीय कोरग्रुप/मॉनिटरिंग दल द्वारा
2. जनपद शिक्षा केन्द्र स्तर से – जनपद स्तरीय कोरग्रुप एवं मॉनिटरिंग दल द्वारा
3. नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र – मॉनिटरिंग दल द्वारा
4. ग्राम स्तर पर संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र – ग्राम शिक्षा समिति एवं मॉनिटरिंग दल द्वारा

इन मॉनिटरिंग दलों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, शासकीय/अशासकीय संस्था के अधिकारी एवं कर्मचारी, स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य तथा समाज सेवी संस्थाओं के सदस्य व समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल किये जायेंगे। प्रतिमाह के द्वितीय व चतुर्थ मंगलवार को कलेक्टर महोदय के द्वारा कोरग्रुप की बैठक में समीक्षा की जावेगी।

मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय–सीमा निर्धारित होती है। मूल्यांकन कार्यकम के प्रारंभ मध्य एवं अन्त में किया जायेगा। इसी आधार पर कार्यकम की सफलता का आंकलन किया जावेगा।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सूचना प्रबंधन प्रणाली

सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पूरे कार्यक्रम में नजर रखी जाएगी। जिला कार्यालय कम्प्यूटर रो जुड़ा होग। जिला साक्षरता समिति कार्यालय में एक कम्प्यूटर कक्ष स्थापित किया जायेगा। कम्प्यूटर का प्रावधान कंटनजेंसी मद से किया जायेगा। कम्प्यूटर संचालन हेतु एक डाटा एट्री ऑपरेटर/ सहायक प्रोग्रामर का पद पूर्ण कालिक के रूप में नियोजित किया जायेगा।

सूचनाओं के आदान–प्रदान संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र से नोडल संस्कृति संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र को भेजा जाएगा। नोडल से विकासखण्ड समन्वयक व विकासखण्ड से जिले को प्रेषित किया जायेगा।

सतत शिक्षा की मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 2 ताखी तक नोडल को प्रस्तुत की जाएगी। 4 तारीख तक संकलित रिपोर्ट विकासखण्ड को तथा 6 तारीख तक जिला कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्ततु कर दी जाएगी। संकलित रिपोर्ट 7 तारीख तक राज्य सरकार को भेज दी जाएगी। उक्त प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा हेतु बैठक माह के द्वितीय सप्ताह से विभिन्न स्तरों (ग्राम, नोडल, विकासखण्ड व जिला स्तर पर) आयोजित की जाएगी। तिथियां सुविधानुसार तय की जाएगी।

मॉनीटरिंग एवं सूचनातंत्र का फ्लोचार्ट निम्नानुसार है –

स्तर	ज्ञानकारी देने वाले
↑↓	↑↓
ग्राम/वार्ड स्तर (सतत शिक्षा केन्द्र)	प्रेरक सतत शिक्षा केन्द्र/ग्राम प्रभारी
↑↓	↑↓
जन शिक्षा केन्द्र स्तर (नोंडल शिक्षा केन्द्र)	नोडल प्रेरक/जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी
↑↓	↑↓
विकासखण्ड स्तर पर (जनपद शिक्षा केन्द्र)	वि.शिक्षा अधि./पर्यवेक्षक खण्ड स्तरीय समन्वयक
↑↓	↑↓
जिला स्तर (जिला शिक्षा केन्द्र, जि.सा.स.)	सचिव/परियोजना समन्वयक

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

रिसोर्स मैपिंग –

रिसोर्स मैपिंग से अभिप्राय आधारभूत साक्षरता तथा विकास से संबंधित है।फ रिसोर्स मैपिंग में ग्राम एवं स्थानीय समुदाय को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और ग्राम स्तर पर अपने संसाधनों को समझना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् विशेष परियोजनाएं समुदाय की इच्छानुसार एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनके द्वारा ही ली जाने वाली है। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीणों में अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना और उनमें यह भावना विकसित रना है कि क्षेत्र का विकास उन्हें स्वयं करना है।

उपरोक्त कार्यक्रम में प्रत्येक विकासखण्ड से 40 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जावेगा और इसके बाद इन स्त्रोत व्यक्तियों की सहायता से ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामों के 8 या 10 व्यक्तियों को संसाधनों की खोज एवं आवश्यकता निश्चित करने हेतु प्रशिक्षित किया जावेगा। इन प्रशिक्षणों पर होने वाले व्यय को आकस्मिक व्यय से पूर्ति की जावेगी।

ग्रामों की आवश्यकताएं निम्नलिखित हो सकती हैं –

1. स्वच्छता
2. शुद्ध पेयजल की व्यवस्था
3. आवागमन – सड़क
4. शौचालय तैयार करना
5. उन्नत धुआं रहित चूल्हा
6. शाला भवन, शिक्षक, आंगनवाड़ी
7. शासकीय योजनाओं से लाभ लेना
8. अन्य स्थानीय परिस्थिति के आधार पर

सबसे प्रथम राज्य संसाधन केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा द्वारा मुख्य स्त्रोत पुरूष तैयार किये जाकर, विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड की ग्रामपंचायतों पर प्रशिक्षण के लिए स्त्रोत पुरूष तैयार किये जावेंगे। प्रशिक्षण के उपरान्त "फोलोअप" (अनुवर्ती) कार्यक्रम भी आयोजित किये जावेंगें पंचायत स्तर पर प्रत्येक ग्राम से स्वयं सेवक प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किये जावेंगे।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

महिलाओं का सशक्तिकरण :

अब तक के अनुभवों से यह स्पष्ट है कि साक्षरता अभियान और पढ़ना–बढ़ना दोनों में ही महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। इसी कारण प्रदेश सरकार द्वारा महिला पढ़ना बढना कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है । एक तरफ जहां साक्षरता कक्षाओं में निरक्षर महिलाओं ने अपना नाम दर्ज करवाया और नवसाक्षर हुई हैं वहीं दूसरी तरफ पढ़ी–लिखी बहनों ने आगे बढ़कर गुरूजी की जिम्मेदारी भी पूरी गंभीरता से निभाई है। अतः सतत् शिक्षा में जिम्मेदारी बनी है कि वे आधी आबादी के इस उत्साह का ध्यान रखें, सतत् शिक्षा में महिलाओं का जुड़ाव बनाए रखने और उनके कौशल विकास के लिए आवश्यक प्रयासों का विशेष ध्यान रखते हुए निम्न गतिविधियों का आयोजन प्रस्तावित है –

1. महिला सशक्तिकरण शिविर
2. कानूनी साक्षरता शिविर
3. नेतृत्व विकास शिविर
4. महिला कृषक प्रशिक्षण शिविर
5. महिला स्वास्थ्य शिविर आदि

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अध्याय – 11

बजट

अध्याय – 11

बजट

सतत् शिक्षा कार्यक्रम का स्थायित्व

सतत् शिक्षा कार्यकम के लिए संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं नोडल संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र स्थायी संस्थान होंगे। समुदाय के इन संस्थाओं को पांच वर्षो तक शासकीय सहयोग से संचालित होंगे। पश्चात के वर्षो में इन केन्द्रों की स्थायित्व एवं एकरूपता आवश्यक होगी। भविष्य में बिना जनसहयोग से इन केन्द्रों की गतिशीलता संभव नहीं है। अतः संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र को आत्मनिर्भर बनाने के स्व–प्रयास करने होंगे।

सतत् शिक्षा कार्यकम लंबी अवधि की सीखने की प्रकिया है, जिसके द्वारा मानव संसाधन का विकास, मानव सशक्तिकरण एवं जीवन की गुणवत्ता की बेहतर उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है इसलिए व्यक्तिगत रूप से ऐसे प्रयास किये जायेंगे, जिससे सतत् शिक्षा कार्यकम की लंबे समय तक गतिशील बनी रहें अतः :–

1. लंबे समय तक कार्यकम की निरंतरता बनाये रखने में सहायक बनना।
2. समाज की विकास की निरंतरता बनाये रखने हेतु महिला, अ.जा. अ.ज.जा. व पिछड़ा वर्ग को ध्यान में रखा जावे।
3. लंबी अवधि के बाद जब लोग इकट्ठे हो तो उनमें स्वयं की जागृति, राष्ट्रीय जागरण, सामाजिक जागृति का अहसास हो।

निरंतरता के आवरोधक :–

निरंतरता के निम्नानुसार बाधक तथ्य हो सकते हैं :–

1. सीखने वालों की सहभागिता की कमी
2. प्रेरक में अनुभव व कौशल की कमी
3. प्रेरक की उदासीनता

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

4. सामग्री की नियमितता
5. वित्तीय कमी
6. मॉनिटरिंग की कमी
7. अनुचित कार्ययोजना निर्धारण
8. सहभागियों की रूचि एवं आवश्यकतानुसार कार्यक्रम/ गतिविधियों का न होना
9. कार्यक्रम में अधिक कड़ा रूख होना
10. कार्यक्रम का मूल्यांकन
11. कार्पस फण्ड निर्माण
12. विश्वस्नीयता, पारदर्शिता

<u>कार्पस फण्ड के निर्माण से आय –</u>

संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र को स्थायित्व देने में समुदाय का सहयोग लेने से कारपस फंड का निर्माण कर धनाशि एकत्रित की जावेगी। प्रत्येक संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र पर प्रारंभ से ही ऐसे परोपकारी व्यक्तियों की पहचान की जावेगी और प्रत्येक जनशिक्षा केन्द्र के लिए समुदाय से धनराशि/डोनेशन प्राप्त करने हेतु कारपस फंड का निर्माण किया जावेगा।

(1) रजिस्ट्रेशन शुल्क से आय –

पुस्तकालय एवं वाचनालय में पठन कार्य करने आने वाले व्यक्तियों से प्रति व्यक्ति पच्चीस रूपये के मान से रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जावेगा। मान लीजिए एक सी.ई.सी. केन्द्र पर जो 2000 की आबादी पर स्थित हैं, में रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यक्तियों की संख्या पचास बनती है तो रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में प्रति संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र पर 25 x 50 x 1243 = 1553750 रूपये आमदनी होगी। हर वर्ष इस फंड को बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया जावेगा जिसके ब्याज से आमदनी होगी।

(2) मासिक शुल्क से आय –

पुस्तकालय एवं वाचनालय में पढ़ने वाले व्यक्तियों से प्रति व्यक्ति 15.00 रूपये मासिक शुल्क लिया जावेगा मान लीजिये ऐसे व्यक्तियों की संख्या प्रति सी.ई.सी 20 होती है तो 20 X 15 = 300 रूपये मासिक आमदनी एक केन्द्र की है तो 1243 केन्द्रों पर 1243 X 300 x 12 = 4474800.00 रूपये आमदनी होगी। हर वर्ष फंड को बैंक में ब्याज हेतु फिक्स डिपॉजिट कर दिया जावेगा।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

(3) स्वयं सहायता समूह के सहयोग से आय –

जिले में 1822 पढ़ना–बढ़ना समितियां हैं, ऐसी अपेक्षा की गई है कि 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत समितियां स्वयं सहायता समूह के रूप में परिवर्तित होंगी। लगभग 1500 समितियां स्वयं सहायता समूह के रूप में परिणित होने की संभावना है। इनसे अपेक्षा की जायेगी कि ये अपनी आमदनी का 5 प्रतिशत हिस्सा अपने संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र को दे। मान लीजिए एक संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र पर लगभग एक स्वयं सहायता समूहों की पच्चीस हजार रूपये वार्षिक आमदनी बढ़ी इस पच्चीस हजार रू. का 05 प्रतिशत 1250 रूपये प्रति संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र पर आय होगी और इसे भी प्रति वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में बैंक में जमा कर दिया जावेगा जिससे आमदनी बढ़ेगी।

1243 x 1250 x 3 (वर्ष) = 4661250

(4) सूचना खिड़की से आय –

सभी संस्कृति सतत् शिक्षा केन्द्र एवं नोडल शिक्षा केन्द्रों पर सूचना खिड़की का निर्मण किया जा रहा है। तीन वर्ष बाद प्रत्येक सूचना खिड़की पर प्रत्येक विभागों से संबंधित जानकारियों एवं विभिन्न योजनाओं में लाभ लेने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा बनाये गये आवेदन पत्रों के प्रारूप उपलब्ध रहेंगे। रोगी कल्याण समिति की तर्ज पर इस सूचना खिड़की पर भी लोगों को जानकारियाँ उपलब्ध कराने के फलस्वरूप इस फीस के रूप में लिये जावेंगे। मान लीजिये इस प्रकार की जानकारी लेने वाले सी.ई.सी. पर एक माह में 20 व्यक्ति होते हैं तो 5 X 20 = 100 रूपये प्रति केन्द्र आमदनी होगी। इस प्रकार से 100 X 1243 = 124300 रूपये पूरे जिले की मासिक आमदनी होगी। इस प्रकार से वर्ष भर की आमदनी 124300 X 12 = 1491600/- रूपये होगी जिसे भी हर वर्ष बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दी जावेगी।

आय के अन्य स्त्रोत –

(1) दानदाताओं/उत्तरदायियों द्वारा दी गयी धनराशि

पुस्तक दान में देने वाले से संभावित व्यक्तियों की सतत् शिक्षा की एक प्रमुख गतिविधि पुस्तकालय को स्थायित्व प्रदान किया जावेगा। इस प्रकार के दान से प्रति वर्ष अनुमानित 10,000 पुस्तकें एकत्रित की जावेंगी।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

(2) उपयोगकर्ताओं से सदस्यता शुल्क लेकर –

खेलकूद गतिविधियां, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा साक्षरता कक्षा इत्यादि में भाग लेने वाले हितग्राहियों से सदस्यता शुल्क वसूला जावेगा जिससे लोग केन्द्र की ओर अभिमुख होकर रूचि से भाग ले सकेंगे। इन अलग–अलग गतिविधियों का अलग–अलग सदस्यता शुल्क रहेगा। सी.ई.सी. एवं एन.सी.ई.सी. 1243 केन्द्रों पर कुल सदस्यों की संख्या अनुमानतः 20,000 होगी और इन 20,000 व्यक्तियों से प्रत्येक गतिविधि के लिए 10 रूपये मासिक शुल्क लिया जावेगा।

अतः 20,000 X 10 x 12 माह = 24,00,000 रुपये सदस्यता शुल्क (प्रतिवर्ष) लिया जावेगा।

(3) स्थानीय संस्थाओं से धन उपलब्ध करना –

मध्यप्रदेश में पंचायत राज्य कार्यक्रम में सशक्त रूप से उभरा है और बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। अतः सतत शिक्षा एवं नोडल शिक्षा केन्द्रों की संचालन के लिए ग्रामों में इन संस्थाओं से कुछ चुनी गई गतिविधियों के लिए प्रेरकों एवं सहायता प्रेरकों के मानदेय के लिए धन की व्यवस्था करवाई जावेगी, क्योंकि ऐसे सामाजिक एवं जन उपयोगी कार्यक्रमों के लिए इन संस्थाओं को राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में राशि उपलब्ध कराई जाती है। शहरी सतत् शिक्षा एवं नोडल संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र को नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जावेगी।

(4) कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आयोजनों से धन राशि संग्रहित करना –

कम्प्यूटर कोर्स, बुनाई कोर्स, दरी, इलेक्ट्रानिक मशीनरी कोर्स, टी.वी. व रेडियो रिपेयरिंग कोर्स, फोटोग्राफी कोर्स, वीडियोग्राफी कोर्स इत्यादि। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षार्थियों/नवसाक्षरों से उचित शुल्क लेकर 30 व्यक्तियों के मान से एक कक्षा, इस प्रकार से कक्षाओं का आयोजन किया जावेगा। यह पाठ्यक्रम 6 माह से लगाकर 12 माह तक रखे जावेंगे। 6 माह अथवा 12 माह का शुल्क पहले ही सुनिश्चित कर लिया जावेगा। वर्षभर में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों की कक्षाओं की संख्या जिले में लगभग 30 होगी। इस प्रकार 30 X 30 = 900 व्यक्तियों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किये जावेंगे। प्रति 6 माह या 12 माह का शुल्क 1000/-- रूपये लिया जावेगा, इस प्रकार से वर्ष की आमदनी

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

1000 X 900 = 9,00,000/- रूपये एकत्रित होने की संभावना है, जिसमें से स्त्रोत व्यक्तियों एवं प्रशिक्षण पर व्यय 4,00,000/- रूपये होने की संभावना है जिस प्रकार से इन पाठ्यक्रमों से 5,00,000/- रूपये आय होने की संभावना है।

आय उपार्जन के कार्यकमों में व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन लाभार्थियों द्वारा अनुमानतः प्रत्येक केन्द्र पर 5 से 6 लाख रूपये की सामग्री तैयार की जावेगी। इनके विकय से राशि एकत्रित कर संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र एवं नोडल सतत शिक्षा केन्द्रों को स्थायित्व प्रदान किया जावेगा।

इन कार्यकमों में लोगों की विश्वसनीयता सहानुभूतिपूर्वक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां भी की जावेंगी जो एन.सी.ई.सी. एवं सी.ई.सी. के स्थायित्व के लिए आवश्यक होगी। सी.ई.सी. केन्द्रों को प्रभावात्मक रूप से दक्षतापूर्वक चलाने के लिए कुशलतापूर्वक ज्ञानियों के द्वारा साज सामान के साथ संवारा जावेगा।

गांव की समस्याओं को समझने एवं हल करने में विशुद्ध रूचि ली जावेगी । प्रेरक के कर्त्तव्यों को एक सेवा की भावना से लिया जावेगा न कि एककार्य की भवना से प्रत्येक कार्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के अनुसार सम्पन्न कराया जावेगा जिससे लोग अभिमुखीकरण (सी.इ.सी. एवं एन.सी.ई.सी.) की तरफ हो।

जिले में संचालित शासकीय विकास योजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यकमों में नवसाक्षरों को पंजीकृत किया जावेगा जिसे हितग्राही उन विभागों की योजनाओं एवं प्रशिक्षणों का लाभ सकें। 5 वर्ष के पश्चात् यदि कोई हितग्राही लक्ष्य विशिष्ट कार्यकमों में प्रशिक्षण लेना चाहे तो प्रशिक्षण अवधि एवं आवश्यक संसाधनों के मान से सशुल्क प्रशिक्षणों की व्यवस्था की जावेगी। शुल्क निर्धारण हेतु एक समिति गठित की जावेगी जो शुल्क निर्धारण करेगी।

इस कार्यकम में प्रबंधन अथवा कोरग्रुप नवसाक्षरों का ग्रुप–अभिभावक संघ, महिला समूह, युवक समूह एवं सेल्फ ग्रुप सहयोग करेंगे।

स्थायित्व प्रदान करने एवं प्रोग्रामों की सफलता के लिए वातावरण बनाया जावेगा। लक्ष्य समूह की रूचियों और आवश्यकताओं का सर्वे किया जावेगा। ग्राहक वर्ग सेवार्थी वृन्द लक्ष्य समूह की रूचियों और आवश्यकताओं के अनुसार कार्यकमों को विकसित किया जायेगा। स्थानीय संसाधनों की जानकारी

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

एकत्रित की जावेगी। कार्यक्रमों की गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर चुना जावेगा। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रभावकारी एवं दक्षतापूर्ण रहेगा, कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग की जावेगी, कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जावेगा तथा कारपस फंड का निर्माण किया जावेगा जिसकी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं।

इस प्रकार पांच वर्षो के बाद संस्कृति सतत शिक्षा केन्द्र एवं नोडल सतत शिक्षा केन्द्रों की प्रमुख गतिविधयां उपरोक्त कारपस फंड की आय से संपादित की जावेगी। प्रति शिक्षा केन्द्र राशि 990 रू. एकत्र होंगे। प्रेरकों एवं सहायक प्रेरकों के मानदेय की व्यवस्था ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों से करवाई जावेगी। लक्ष्य विशिष्ट कार्यक्रम को सम्पन्न कराने के लिए स्त्रोत व्यक्तियों एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलवाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क, मासिक शुल्क, स्वयं सहायता समूहों से सहयोग, उपयोगकर्ताओं के द्वारा लिये गये सहायता शुल्क से व्यावसायिक पाठयक्रमों से एकत्रित धनराशिं तथा प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों द्वारा तैयार की गई सामग्री के विक्रय से प्राप्त आय से व्यवस्था की जावेगी।

आय उपार्जन के स्त्रोत व उनसे होने वाली अनुमानित वार्षिक आय

क्र.	गतिविधि	आय (राशि रू.)
1.	रजिस्ट्रेशन शुल्क से आय	1553750.00
2.	मासिक शुल्क से आय	4474800.00
3.	स्व सहायता समूह के सहयोग से आय	4661250.00
4.	सूचना खिडकी से आय	1,49,160.00
5.	उपभोगकर्ता से सहायता शुल्क से आय	2400000.00
6.	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आयोजनों से आय	500000.00
	योग	13,638,961
	प्रति केन्द्र आय	10972.00

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

बजट सारांश

क्रमांक	मद	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	राशि (रू.)
1	कार्यालयीन/प्रशासनिक, प्रबंधकीय व्यय (नोडल एवं सतत् शिक्षा केन्द्रों के आवर्ती व्यय का 10 प्रतिशत) रु.9538650.00						
	जिले हेतु प्रशासनिक व्यय रुपये 7630920.00	1870200.00	1265200.00	1265200.00	1265200.00	1265200.00	6931000.00
	राज्य हेतु प्रशासनिक व्यय रुपये 1907730.00	1907730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1907730.00
	मूल्यांकन	100000.00	100000.00	150000.00	150000.00	200000.00	700000.00
	कुल	3877930.00	1365200.00	1415200.00	1415200.00	1465200.00	9538730.00
2	नोडल सतत् शिक्षा केन्द्रों के लिए व्यय :						
	(अ) अनावर्ती व्यय	2725800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2725800.00
	(ब) आवर्ती व्यय	2725800.00	2725800.00	2725800.00	2725800.00	2725800.00	13629000.00
	योग	5451600.00	2725800.00	2725800.00	2725800.00	2725800.00	16354800.00
3	सतत् शिक्षा केन्द्रों हेतु व्यय :						
	(अ) अनावर्ती व्यय	15288900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15288900.00
	(ब) आवर्ती व्यय	15288900.00	15288900.00	15288900.00	15288900.00	15288900.00	76444500.00
	योग	30577800.00	15288900.00	15288900.00	15288900.00	15288900.00	91733400.00
4	लक्ष्य विशिष्ट कार्यक्रम :						
	सतत् शिक्षा गतिविधियों में नवाचार कार्यक्रम						
	(अ) जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम	4620000.00	4620000.00	4620000.00	4620000.00	4620000.00	23100000.00
	(ब) समतुल्यता कार्यक्रम	12441000.00	9900000.00	3300000.00	2673000.00	1551000.00	29865000.00
	(स) आय उपार्जन कार्यक्रम	6340000.00	6340000.00	6340000.00	6340000.00	6340000.00	31700000.00
	(द) व्यक्तिगत रूचि प्रौन्नत कार्यक्रम	1056000.00	1056000.00	1056000.00	1056000.00	1056000.00	5280000.00
	योग	24457000.00	21916000.00	15316000.00	14689000.00	13567000.00	89945000.00
	महायोग	64364330.00	41295900.00	34745900.00	34118900.00	33046900.00	207571930.00

\FINAL-CEE-BUDGET.xls\SUMMARY (2)

लोक शिक्षा परियोजना - विदिशा जिला

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

प्रशासनिक व्यय

कुल योग प्रशासनिक								
क्र	मद		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	राशि (रू.)
1	जिला स्तरीय अमला/वेतन भत्ते		211200.00	211200.00	211200.00	211200.00	211200.00	1056000.00
2	ब्लाक स्तरीय अमला/वेतन भत्ते		464800.00	464800.00	464800.00	464800.00	464800.00	2324000.00
3	जिला स्तरीय कार्यालयीन व्यय		328000.00	228000.00	228000.00	228000.00	228000.00	1240000.00
4	ब्लाक स्तरीय कार्यालयीन व्यय		361200.00	361200.00	361200.00	361200.00	361200.00	1806000.00
5	फर्नीचर उपकरण		505000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505000.00
	कुल योग		1870200.00	1265200.00	1265200.00	1265200.00	1265200.00	6931000.00

क्र	मद		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	योग
जिला/ब्लाक कार्यालय हेतु उपकरण								
1	कम्प्यूटर		70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00
2	प्रिंटर		20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
3	यू.पी.एस.		15000.00					
3	फोटो कापियर		125000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125000.00
4	फर्नीचर (जिला स्तर)		100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
5	फर्नीचर (ब्लाक स्तर)		175000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175000.00
	योग		505000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505000.00

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal
लोक शक्ति परियोजना - विदिशा जिला_c

प्रशासनिक व्यय

क्र	मद		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	योग
जिला स्तरीय अमला								
1	जिला परियोजना समन्वयक (सतत् शिक्षा)	—	जिला प्रौढ शिक्षाधिकारी कार्यालय से पदेन					0.00
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	लेखापाल 1	3500.00	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	210000.00
4	डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर/कार्यालय सहायक	3000.00	36000.00	36000.00	36000.00	36000.00	36000.00	180000.00
5	लिपिक	—	जिला प्रौढ शिक्षाधिकारी कार्यालय से पदेन					0.00
6	भण्डार सहायक 1	2800.00	33600.00	33600.00	33600.00	33600.00	33600.00	168000.00
7	स्टेनो टाईपिस्ट 1	2800.00	33600.00	33600.00	33600.00	33600.00	33600.00	168000.00
8	मीडिया सहायक 1	2000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	120000.00
9	भृत्य	—	जिला प्रौढ शिक्षाधिकारी कार्यालय से पदेन					0.00
10	संदेश वाहक 1	2000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	120000.00
11	चौकीदार 1	1500.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	90000.00
	योग	17600.00	211200.00	211200.00	211200.00	211200.00	211200.00	1056000.00

क्र	मद		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	योग
कार्यालयीन व्यय (जिला स्तर)								
1	स्टेशनरी		36000.00	36000.00	36000.00	36000.00	36000.00	180000.00
2	पोस्टेज खर्च		6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	30000.00
3	टेलीफोन		36000.00	36000.00	36000.00	36000.00	36000.00	180000.00
4	विद्युत व्यय एवं जल प्रभार		6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	30000.00
5	यात्रा व्यय		60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	300000.00
6	कार्यशालाएं/बैठक		24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	120000.00
7	वाहन किराया		18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	90000.00
8	मॉनीटरिंग/आंतरिक मूल्यांकन		100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
9	आकस्मिक व्यय		30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	150000.00
10	प्रचार–प्रसार/प्रकाशन/कला जत्थे		12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	60000.00
	योग		328000.00	228000.00	228000.00	228000.00	228000.00	1240000.00

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

प्रशासनिक व्यय

क्र	मद		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	योग
ब्लाक स्तरीय अमला								
1	विकासखण्ड समन्वयक 7	—	जिला प्रौढ शिक्षाधिकारी कार्यालय से पदेन					0.00
2	लेखापाल 7	3500.00	294000.00	294000.00	294000.00	294000.00	294000.00	1470000.00
3	नृत्य 7	2000.00	168000.00	168000.00	168000.00	168000.00	168000.00	840000.00
4	चौकीदार 7	400.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	14000.00
	योग [illegible]	5900.00	464800.00	464800.00	464800.00	464800.00	464800.00	2324000.00

क्र	मद	वेतन	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	योग
कार्यालयीन व्यय (ब्लाक स्तर)								
1	स्टेशनरी		84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	420000.00
2	पोस्टेज खर्च		25200.00	25200.00	25200.00	25200.00	25200.00	126000.00
3	यात्रा व्यय		84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	420000.00
4	कार्यशालाएं / बैठक		84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	420000.00
5	आकस्मिक व्यय		42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	210000.00
6	प्रचार–प्रसार / प्रकाशन / कला जत्थे		42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	42000.00	210000.00
	योग [illegible]		361200.00	361200.00	361200.00	361200.00	361200.00	1806000.00

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

		नोडल सतत शिक्षा केन्द्र के लिए बजट प्रस्ताव							
कं.	व्यय का मद	डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम अंतर्गत स्थापित संकुल केन्द्रों पर प्रस्तावित 154 नोडल सतत् शिक्षा केन्द्रों के मान से प्रत्येक केन्द्र के लिए वर्षवार का बजट विवरण							
		भौतिक लक्ष्य	प्रति ईकाई व्यय	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	कुल योग
				अनावर्ती व्यय					
1	साज सामान : अलमारी, विद्युत व्यय, राउण्ड टेबल (समाचार पत्र हेतु), कुर्सियॉ	154	6000.00	924000.00					924000.00
2	पुस्तकालय हेतु किताबें	154	3500.00	539000.00					539000.00
3	नक्शे, चार्ट, तस्वीरें तथा अन्य पठन–पाठन सामग्री	154	800.00	123200.00					123200.00
4	खेल से संबंधित विषय और मनोरंजक सामग्री टू इन वन, टी.वी इत्यादि	154	6000.00	924000.00					924000.00
5	साईकिल (1 नग)	154	1400.00	215600.00					215600.00
			17700.00	**2725800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2725800.00**
				आवर्ती व्यय					
1	प्रेरक का मानदेय 700 रू. प्रतिमाह	154	8400.00	1293600.00	1293600.00	1293600.00	1293600.00	1293600.00	6468000.00
2	समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का कय	154	1000.00	154000.00	154000.00	154000.00	154000.00	154000.00	770000.00
3	किताबों का कय	154	2000.00	308000.00	308000.00	308000.00	308000.00	308000.00	1540000.00
4	साक्षरता सामग्री एवं साज सामान को बदलने हेतु व्यवस्था	154	2900.00	446600.00	446600.00	446600.00	446600.00	446600.00	2233000.00
5	मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण (यात्रा व्यय सहित)	154	1200.00	184800.00	184800.00	184800.00	184800.00	184800.00	924000.00
7	कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु	154	1000.00	154000.00	154000.00	154000.00	154000.00	154000.00	770000.00
8	कार्यालयीन व्यय 100 रुपये प्रतिमाह	154	1200.00	184800.00	184800.00	184800.00	184800.00	184800.00	924000.00
	योग		**17700.00**	**2725800.00**	**2725800.00**	**2725800.00**	**2725800.00**	**2725800.00**	**13629000.00**

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal
लोक शिक्षा परियोजना - विदिशा जिला_c

नोडल सतत शिक्षा केन्द्र के लिए बजट प्रस्ताव					
कं.	व्यय का मद	डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम अंतर्गत स्थापित 150 संकुल केन्द्रों पर प्रस्तावित 154 नोडल सतत् शिक्षा केन्द्रों के मान से प्रत्येक केन्द्र के लिए वर्ष का बजट			
		Phy.Unit	Unit Cost Rs.	Time Period Years	Amount Rs.
अनावर्ती व्यय					
1	साज सामान : अलमारी, विधुत व्यय, राउण्ड टेबल (समाचार पत्र हेतु), कुर्सियॉ	154	6000.00	1	924000.00
2	पुस्तकालय हेतु किताबें	154	3500.00	1	539000.00
3	नक्शे, चार्ट, तस्वीरें तथा अन्य पठन–पाठन सामग्री	154	800.00	1	123200.00
4	खेल से संबंधित विषय और मनोरंजक सामग्री टू इन वन, टी.वी इत्यादि	154	6000.00	1	924000.00
5	साईकिल (1 नग)	154	1400.00	1	215600.00
			17700.00		**2725800.00**
आवर्ती व्यय					
1	प्रेरक का मानदेय 700 रू. प्रतिमाह	154	8400.00	5	6468000.00
2	समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का कय	154	1000.00	5	770000.00
3	किताबों का कय	154	2000.00	5	1540000.00
4	साक्षरता सामग्री एवं साज सामान को बदलने हेतु व्यवस्था	154	2900.00	5	2233000.00
5	मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण (यात्रा व्यय सहित)	154	1200.00	5	924000.00
6	कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु	154	1000.00	5	770000.00
7	कार्यालयीन व्यय 100 रुपये प्रतिमाह	154	1200.00	5	924000.00
	योग		**17700.00**		**13629000.00**

\FINAL-CEE-BUDGET.xls\NCEC

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सतत शिक्षा केन्द्र के लिए बजट प्रस्ताव

क्र.	व्यय का मद	डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम अंतर्गत स्थापित संकुल केन्द्रों में प्रस्तावित सतत् शिक्षा केन्द्रों के मान से प्रत्येक केन्द्र के लिए वर्षवार बजट							
		भौतिक लक्ष्य	प्रति ईकाई व्यय	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	कुल योग
अनावर्ती व्यय									
1	साज सामान : अलमारी, विधुत व्यय, राउण्ड टेबल (समाचार पत्र हेतु), कुर्सियॉ	1243	5000.00	6215000.00					6215000.00
2	पुस्तकालय हेतु किताबें	1243	3000.00	3729000.00					3729000.00
3	नक्शे, चार्ट, तस्वीरें तथा अन्य पठन–पाठन सामग्री	1243	700.00	870100.00					870100.00
4	खेल से संबंधित विषय और मनोरंजक सामग्री टू इन वन इत्यादि	1243	3600.00	4474800.00					4474800.00
			12300.00	15288900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15288900.00
आवर्ती व्यय									
1	प्रेरक का मानदेय 500 रू. प्रतिमाह	1243	6000.00	7458000.00	7458000.00	7458000.00	7458000.00	7458000.00	37290000.00
2	समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का कय 100 रु प्रतिमाह	1243	1500.00	1864500.00	1864500.00	1864500.00	1864500.00	1864500.00	9322500.00
3	किताबों का कय	1243	1900.00	2361700.00	2361700.00	2361700.00	2361700.00	2361700.00	11808500.00
4	साक्षरता सामग्री एवं साज सामान को बदलने हेतु व्यवस्था एवं नवसाक्षरों/निरक्षरों के पढनें लिखने हेतु सामग्री	1243	2300.00	2858900.00	2858900.00	2858900.00	2858900.00	2858900.00	14294500.00
5	कार्यालयीन व्यय 50 रुपये प्रतिमाह	1243	600.00	745800.00	745800.00	745800.00	745800.00	745800.00	3729000.00
	योग		12300.00	15288900.00	15288900.00	15288900.00	15288900.00	15288900.00	76444500.00

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम		
1	कुल हितग्राहियों की संख्या (नवसाक्षर)	75522
2	स्त्रोत व्यक्तियों की संख्या (5 व्यक्ति प्रति केन्द्र)	30
3	नोडल सतत् शिक्षा केन्द्रों की संख्या	154
4	प्रशिक्षण का स्थल	154 नोडल सतत शिक्षा केन्द्र
5	यहां पर प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन कर 30 लोगों का समूह बनाकर प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। अतः कुल प्रशिक्षणों की संख्या	154
6	एक वर्ष के लिए प्रशिक्षणों की संख्या 154 रहेगी। अतः 1 वर्ष कें लिये बजट (154 X 30000 रुपये)	4620000.00
7	अतः 5 वर्ष कें लिये बजट (154 प्रशिक्षण X 30000 रुपये X 5 वर्ष)	**23100000.00**

समतुल्यता कार्यक्रम		
1	नवसाक्षर	75522
2	सर्वेक्षण के अनुसार 5 वीं के पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले नवसाक्षर	10237
3	सर्वेक्षण के अनुसार 8 वीं के पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले नवसाक्षर	1079
	कुल हितग्राहियों की संख्या (नवसाक्षर)	**86838**

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

समतुल्यता कार्यक्रम

वर्ष ↓	स्तर →	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	कुल केन्द्रों की सख्या	आवश्यक राशि प्रति केन्द्र रु 33000/– (कुल केन्द्र X आवश्यक राशि)
प्रथम वर्ष	कुल हिंतग्राही	11316	-	-	377	12441000.00
	कुल केन्द्र	377	-	-		
द्वितीय वर्ष	कुल हितग्राही	1000	8000	-	300	9900000.00
	कुल केन्द्र	34	266	-		
तृतीय वर्ष	कुल हितग्राही	1000	800	1079	100	3300000.00
	कुल केन्द्र	34	30	36		
चतुर्थ वर्ष	कुल हितग्राही	1000	800	500	81	2673000.00
	कुल केन्द्र	34	30	17		
पंचम वर्ष	कुल हितग्राही	-	800	500	47	1551000.00
	कुल केन्द्र	-	30	17		
					कुल योग	29865000.00

आय उपार्जन कार्यक्रम		
1	नवसाक्षरों की संख्या (संपूर्ण साक्षरता अभियान एवं पढ़ना–बढ़ना आंदोलन)	75522
2	आवश्यकता के आंकलन के आधार पर हितग्राहियों की संख्या	19098
3	नोडल सतत् शिक्षा केन्द्रों की संख्या	154
4	आवश्यकता के आंकलन के अनुसार 19100 व्यक्तियों के लिये 20 हितग्राहियों के मान से 5 वर्ष में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणो की संख्या	955
5	एक वर्ष में लगभग 200 प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जिनमें 80 प्रशिक्षण "ए" श्रेणी के 108 प्रशिक्षण "बी" श्रेणी के एवं 12 प्रशिक्षण "सी" श्रेणी के होंगे।	
A	"ए" श्रेणी के व्यवसाय के लिए बजट (पांच वर्ष के लिए) रुपये 35000 X 80 X 5	14000000
B	"बी" श्रेणी के व्यवसाय के लिए बजट (पांच वर्ष के लिए) रुपये 30000 X 108 X 5	16200000
C	"सी" श्रेणी के व्यवसाय के लिए बजट (पांच वर्ष के लिए) रुपये 25000 X 12 X 5	1500000
6	ए + बी + सी का योग	**31700000.00**

व्यक्तिगत रूचि प्रोन्नत कार्यक्रम		
अ	सामाजिक कार्य से संबंधित	1435
	सांस्कृतिक गतिविधियां	823
	खेलकूद गतिविधियां	724
	साहित्यिक गतिविधियां	489
	लोककलाओं से संबंधित गतिविधियां	981
	आध्यात्मिक गतिविधियां	324
	कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	**4776**
ब	स्त्रोत व्यक्ति	106
	बजट प्रावधान :–	
	कुल प्रशिक्षणों की संख्या	159
	प्रति वर्ष प्रशिक्षणों की संख्या	32
	1 वर्ष हेतु बजट 32 X 33000	1050720.00
	5 वर्ष हेतु बजट **32 X 33000 X 5**	**5253600.00**

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अध्याय – 12

परिशिष्ट

परिशिष्ट_1

सतत_शिक्षा_आवश्यकताओं_का पूर्वानुमान

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सतत शिक्षा परियोजना की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण प्रपत्र – 1

क्रं.	विकासखण्ड	विवरण	आगे पढ़ने के इच्छुक		वर्तमान व्यवसाय				अपने व्यवसाय से संतुष्ट	व्यवसाय में सुधार हेतु सहयोग				व्यवसाय बदलने के इच्छुक	कौन सा नया काम करना चाहते हैं		नये काम हेतु सहयोग का प्रकार			
			V	VIII	कृषि	मजदूरी	पशुपालन	अन्य		प्रशिक्षण	जानकारी	आर्थिक सहयोग	अन्य सहयोग		व्यवसाय	संख्या	प्रशिक्षण	जानकारी	आर्थिक	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	बासौदा	महिला	844	40	143	606	24	337	659	344	354	491	237	613	0	445	589	486	547	352
		पुरूष	1207	183	338	1266	26	79	988	485	496	777	401	814	0	499	559	448	657	336
		कुल संख्या	2051	223	481	1872	50	416	1647	829	850	1268	638	1427	0	944	1148	934	1204	688
2	ग्यारसपुर	महिला	225	40	159	551	4	171	505	134	166	468	4	222	38	169	54	100	245	10
		पुरुष	585	97	587	1115	29	80	1111	485	414	1141	151	521	154	373	260	225	454	58
		कुल संख्या	810	137	746	1666	33	251	1616	619	580	1609	155	743	192	542	314	325	699	68
3	कुरवाई	महिला	27	112	258	1140	60	1504	1821	312	24	1071	255	424	103	467	69	43	297	88
		पुरूष	20	102	224	778	1484	59	123	1383	13	29	948	14	584	3	569	48	38	527
		कुल संख्या	47	214	482	1918	1544	1563	1944	1695	37	1100	1203	438	687	470	638	91	335	615
4	लटेरी	महिला	484	21	644	565	53	102	778	216	790	30	166	166	66	92	146	143	146	77
		पुरूष	2379	186	2459	2305	29	394	3014	788	2600	172	766	766	362	506	649	641	649	300
		कुल संख्या	2863	207	3103	2870	82	496	3792	1004	3390	202	932	932	428	598	795	784	795	377
5	नटेरन	महिला	223	2	253	332	3	34	177	60	49	208	8	164	6	165	100	22	162	0
		पुरूष	908	35	748	726	16	12	712	328	260	737	16	605	92	535	247	153	550	0
		कुल संख्या	1131	37	1001	1058	19	46	889	388	309	945	24	769	98	700	347	175	712	0
6	सिरोंज	महिला	393	67	169	753	33	662	1095	295	197	685	47	612	69	576	468	411	605	114
		पुरूष	1765	99	1645	2131	109	229	2504	777	636	2192	292	1485	329	1200	950	753	1550	310
		कुल संख्या	2158	166	1814	2884	142	891	3599	1072	833	2877	339	2097	398	1776	1418	1164	2155	424
7	विदिशा	महिला	549	15	485	1177	4	732	1589	236	253	967	79	586	142	557	529	393	623	130
		पुरूष	628	80	550	876	35	54	1600	330	364	1043	108	690	164	647	455	353	706	77
		कुल संख्या	1177	95	1035	2053	39	786	3189	566	617	2010	187	1276	306	1204	984	746	1329	207
जिला विदिशा		महिला	2745	297	2111	5124	181	3542	6624	1597	1833	3920	796	2787	424	2471	1955	1598	2625	771
		पुरूष	7492	782	6551	9197	1728	907	10052	4576	4783	6091	2682	4895	1685	3763	3689	2621	4604	1608
		कुल संख्या	10237	1079	8662	14321	1909	4449	16676	6173	6616	10011	3478	7682	2109	6234	5644	4219	7229	2379

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

क्र.	विकासखण्ड	विवरण	विषय										
			स्वास्थ्य	कृषि	शिक्षा	विधि/न्यायिक/कानून	महिलाओं के अधिकार	शासकीय योजनाओं की जानकारी	संस्कृति	कला	खेल	साहित्य, कहानी, उपन्यास, कहानी	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बासौदा	महिला	471	202	531	214	718	561	27	13	6	15	54
		पुरूष	716	602	783	273	211	1305	44	61	72	23	235
		कुल संख्या	1187	804	1314	487	929	1866	71	74	78	38	289
2	ग्यारसपुर	महिला	179	95	83	29	289	220	4	45	0	1	41
		पुरूष	143	450	256	77	40	620	41	38	3	10	58
		कुल संख्या	322	545	339	106	329	840	45	83	3	11	99
3	कुरवाई	महिला	626	268	706	284	954	746	36	17	8	20	72
		पुरूष	952	800	1041	363	280	1734	58	81	96	31	312
		कुल संख्या	1578	1069	1746	647	1235	2480	94	98	104	51	384
4	लटेरी	महिला	73	496	243	48	314	318	22	45	7	6	0
		पुरूष	336	2327	824	265	228	1530	61	44	40	18	30
		कुल संख्या	409	2823	1067	313	542	1848	83	89	47	24	30
5	नटेरन	महिला	118	149	92	2	102	75	1	3	0	0	0
		पुरूष	594	965	500	114	37	396	19	29	36	34	19
		कुल संख्या	712	1114	592	116	139	471	20	32	36	34	19
6	सिरोंज	महिला	202	230	250	167	619	419	40	53	33	40	5
		पुरूष	342	925	739	406	249	1151	112	98	110	85	36
		कुल संख्या	544	1155	989	573	868	1570	152	151	143	125	41
7	विदिशा	महिला	600	276	226	131	770	521	13	40	3	4	13
		पुरूष	484	771	415	416	18	839	12	17	18	5	35
		कुल संख्या	1084	1045	641	547	788	1360	25	57	21	9	48
	जिला विदिशा	महिला	**2269**	**1716**	**2131**	**875**	**3766**	**2860**	**143**	**216**	**57**	**86**	**185**
		पुरूष	**3567**	**6840**	**4558**	**1914**	**1063**	**7575**	**347**	**368**	**375**	**206**	**725**
		कुल संख्या	**5836**	**8557**	**6688**	**2789**	**4830**	**10435**	**490**	**584**	**432**	**292**	**910**

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सतत शिक्षा – आवश्यकताओं का पूर्वानुमान

क्र.	विकासखण्ड	कुल पढ़ना–बढ़ना समिति में दर्ज संख्या	मूल्यांकन में सफल	कितनी समितियों ने स्व–सहायता समूह के रूप में कार्य करना आरंभ किया	कितनी समितियां स्व–सहायता समूह बनाना चाहती हैं	अब तक बचत की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बासौदा	4412	3272	16	121	16524.00
2	ग्यारसपुर	12097	6728	16	161	29925.00
3	कुरवाई	5864	4253	0	9	10250.00
4	लटेरी	7884	6334	1	9	2340.00
5	नटेरन	3552	2257	6	24	14120.00
6	सिरोंज	6085	4031	10	44	4410.00
7	विदिशा	5417	4179	1	0	1800.00
	योग	**45311**	**31054**	**50**	**368**	**79369.00**

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal